Par. S. 17. I. 27. 52
285

अंक १

संख्या २७

बुधवार,

२५ जून, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

---:o:---

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १६९१—१७४२]

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १७४२—१७६२]

(मूल्य ४ आने)

403 PSD.

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, २५ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चिकित्सकीय सामान

*११४३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पहले विदेशों से मंगाये गये चिकित्सकीय सामान हमारे फौजी सामान (ओर्डनेंस) बनाने वाली फ़ैक्टरियों में वर्ष १९५१-५२ में तय्यार किये गये थे, यदि हां तो वह कौन से सामान हैं; तथा

(ख) यहां हाल ही में तय्यार किये गये सामान का मूल्य कितना था ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या हम इन कारखानों में कोई ऐसा विशेष सामान तय्यार कर रहे हैं जो सम्भवतः अगले वर्ष तय्यार होगा ?

श्री गोपालस्वामी : हम इस समय कुछ शल्य क्रिया सम्बन्धी उपकरणों तथा टीका लगाने वाली पिचकारियों को बनाने की सम्भावना की जांच कर रहे हैं । हमें इस का परिणाम जानने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे फौजी सामान बनाने के कारखानों में इतने उत्पादन होने की कोई सम्भावना है जिस से निकट भविष्य में हमारी आवश्यकतायें पूरी हो सकें ?

श्री गोपालस्वामी : पहिले तो हमें इन फैक्टरियों में उत्पादन कार्य प्रारम्भ करना है । तभी हम यह कह सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त सामान तय्यार कर सकते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सत्य है कि विद्यार्थियों के काम में आने वाले अणुवीक्षण यंत्र देहरादून में फौजी सामान तय्यार करने के कारखाने में बनाये जा रहे हैं ?

श्री गोपालस्वामी : मैं जानता हूं कि कुछ अणुवीक्षण यंत्र एक विशेष फ़ौजी सामान बनाने के कारखाने में बनाये जा रहे हैं, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वे विद्यार्थियों के काम में आने वाले हैं।

ध्वनि दृश्य द्वारा शिक्षा

*११४४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रोफ़ेसर टी० टी० ग्रीन ने, जो कि ध्वनि-दृश्य शिक्षा के विशेषज्ञ हैं,

अपनी भारत की यात्रा के दौरान में कोई ठोस प्रस्ताव अथवा सुझाव दिये ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो वह कौन से प्रस्ताव अथवा सुझाव थे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां। एक विवरण, जिस में आवश्यक सूचना दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है।

———

विवरण

इस योजना में एक समीक्षा कार्यक्रम, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एक उत्पादन कार्यक्रम सम्मिलित हैं। समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बात का निश्चय करने के लिये, कि पाठशाला शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों तथा सामाजिक शिक्षा प्राप्त करने वाले वयस्कों के लिये किस प्रकार के ध्वनि-दृश्य उपकरण अत्यधिक सहायक होंगे, प्रवृत्तियों तथा अपेक्षाओं के पर्यालोकन की सिपारिश की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सुझाव दिया गया है कि अध्यापकों, निरीक्षक अधिकारियों तथा राज्यों में ध्वनि-दृश्य शिक्षा के कार्यों में लगे हुए अन्य कार्यकत्ताओं के प्रशिक्षण के लिये भारत सरकार को अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध करना चाहिये। बाद में यही प्रशिक्षित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार के कार्यक्रमों का संगठन करें। उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बात की प्रस्तावना की गई है कि विभिन्न प्रकार के ध्वनि-दृश्य सम्बन्धी उपकरणों का उत्पादन करने के लिये भारत सरकार को अग्रिम योज़ना के सम्बन्ध में कार्य करना चाहिये। इस योजना में ऐसे उपकरणों पर जोर देना चाहिये जो कि स्वयं अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा उसी स्थान से प्राप्त होने वाली सामग्री से सस्ते तरीके से बनाये जा सकें।

इस योजना में यह सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार यूनेस्को के सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाये।

———

सरदार हुकम सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या उक्त प्रोफेसर ने कोई योजना तय्यार की थी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : महरबानी कर के स्टेटमेंट (विवरण) देख लीजिये।

सरदार हुकम सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या उक्त प्रोफेसर के यहां आने से राज्यों ने भी कोई लाभ उठाया ?

श्री के० डी० मालवीय : योजना तय्यार की गई है तथा कुछ सिफारिशें की गई हैं। यद्यपि भारत सरकार ने विचार किया है, किन्तु यूनेस्को इस स्थिति में नहीं है जिससे कि प्रोफेसर ग्रीन की सेवायें हमें प्राप्त हो सकें। यूनेस्कों ने एक वैकल्पिक प्रस्तावना की है और वह प्रस्तावना भारत सरकार के विचाराधीन है।

सरदार हुकम सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या उनके दौरा का चर्चा हमारी सरकार ने उठाया अथवा यूनेस्को ने ?

श्री के० डी० मालवीय : यूनेस्को द्वारा।

श्री वैलायुधन : क्या मैं भारत में ध्वनि-दृश्य शिक्षा केन्द्रों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : कोई नहीं है।

विशेष न्यायाधिकरण

*११४६. **सरदार हुकम सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दण्ड विधान संशोधन अध्यादेश के अन्तर्गत रिशवत तथा भ्रष्टाचार के मामलों को निबटाने के हेतु स्थापित किये गये विशेष न्यायाधिकरण अब नहीं रहे; तथा

(ख) यदि नहीं, तो वे कौन से मामले हैं जिनकी अभी वे सुनवाई कर रहे हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। पूर्वी पंजाब विशेष न्यायाधिकरण अब भी कार्य कर रहा है।

(ख) न्यायाधिकरण में चलने वाले मामलों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १**

सरदार हुकम सिंह : क्या मैं उन मामलों की संख्या जान सकता हूं जो पूर्वी पंजाब न्यायाधिकरण में चल रहे हैं ?

श्री बिश्वास : भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की संख्या छब्बीस है। उन मामलों की संख्या जिन में आपस में समझौता हो गया है, किन्तु जो किन्हीं कारणवश विचाराधीन हैं, बारह हैं। इसके बाद प्रतिवर्त्तन (रिमांड) के मामले हैं, उनकी संख्या दस है जो कि विदेशों से साक्षियों की आयोग द्वारा गवाही लेने के लिये आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवर्त्तित किये गये हैं। चार और विचाराधीन मामले हैं।

सरदार हुकम सिंह : मैं जान सकता हूं कि इसको कोई विशेष अथवा नये मामले सौंपे जा रहे हैं अथवा वर्त्तमान मामलों को निपटाने के बाद इसे समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री बिश्वास : ऐसी आशा की जाती है कि न्यायाधिकरण अपना कार्य अक्तूबर, १९५२ में समाप्त कर लेगा। इस वर्ष इसे कोई नये मामले नहीं सौंपे गये हैं।

सरदार हुकम सिंह: मैं जान सकता हूं कि जिन मामलों पर इस न्यायाधिकरण ने पहले अपना निर्णय दे दिया था क्या उन पर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है ?

श्री बिश्वास : कुछ ऐसे मामले थे जिन्हें उच्च न्यायालय ले जाया गया था और उस सम्बन्ध में आयोग द्वारा और गवाही लेने के लिये परिवर्त्तित करने के लिये एक आदेश था। सब के बारे में यही बात है। यह कहना बहुत कठिन है कि भविष्य की अपीलों में उसी प्रकार का प्रतिवर्त्तन होगा। तब उस स्थिति पर विचार किया जायेगा।

सरदार हुकम सिंह : मैं जान सकता हूं कि जब दिसम्बर में एक मात्र न्यायाधीश की मृत्यु हो गई थी तो क्या कोई नई अपील की गई थी ?

श्री बिश्वास : आरम्भ में यह मामले पंडित चांद नारायण, दिल्ली में नियुक्त विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलाये गये थे और लाहौर में जून, १९४५ में। और मुकदमा चलाने के लिये यह मामले लाहौर स्थित तीन विशेष न्यायाधिकरणों को सौंपे गये थे। अब अम्बाला का जिला

तथा सत्र न्यायाधीश इन मामलों को निबटा रहा है।

उच्च टैक्निकल विद्यालय

*११४६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में अन्य तीन उच्च टैक्निकल विद्यालयों के लिये स्थानों को अन्तिम रूप से चुन लिया गया है; तथा

(ख) इन संस्थाओं पर अब तक कितना धन व्यय किया गया था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) कुछ नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इन इंस्टीट्यूट्स (संस्थाओं) को खोलने का इरादा गवर्नमेंट का है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, इरादा तो है, लेकिन मामला इस वक्त भी ज़ेरे गौर (विचाराधीन) है।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (श्री मौलाना आज़ाद) : इरादा तो है बशर्ते कि रुपये का सामान (प्रबन्ध) हो।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह बात सच है कि गवर्नमेंट ने जो चार इंस्टीट्यूट्स (विद्यालय) खोलने का निश्चय किया है, और क्या इन के खुल जाने के बाद अपने स्टूडेन्टस (विद्यार्थियों) को हायर टैक्निकल ऐज्यूकेशन (उच्च प्रविधिक शिक्षा) प्राप्त करने के लिये बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं होगी ?

मौलाना आज़ाद : हां, हमें ऐसी ही उम्मीद है। अभी सिर्फ़ खड़गपुर इंस्टीट्यूट खुला है। इसके बाद स्टूडेंट्स (विद्यार्थियों) के लिये बाहर भेजने की बहुत कम ज़रूरत रह जायेगी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ऐसा कोई निश्चित कार्यक्रम है कि दक्षिण भारत में उच्च टैक्निकल विद्यालय कितने वर्षों में स्थापित किये जायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने निकट भविष्य में इन संस्थाओं की स्थापना को पूर्ण करने का कोई निश्चय नहीं किया।

श्री बी० शिवा राव : माननीय मंत्री द्वारा बताये गये वित्ताभाव को दृष्टि में रखते हुए, मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि ऐसी ग़ैर, सरकारी संस्थायें हैं जो देश के कुछ भागों में उच्च टैक्निकल शिक्षा देती हैं ?

मौलाना आज़ाद : १७ इन्स्टीट्यूशन्स को गवर्नमेंट मदद दे रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि प्रोविज़नली (अस्थायी रूप से) कोई साइट (स्थान) सेलेक्ट (चुना) हुई है ?

मौलाना आज़ाद : हां बम्बई की एक साइट पर ग़ौर किया जा रहा है।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि इस समय सरकारी संस्थाओं में उच्च टैक्निकल शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय समंक प्रशिक्षण केन्द्र कलकत्ता

*११४७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने कृपा करेंगे :

(क) कलकत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय समंक प्रशिक्षण केन्द्र में कितने विदेशी तथा भारतीय विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस संस्था के कुछ प्रशिक्षणार्थी कलकत्ता में उन घरों में गये जिनके पास रेडियो थे और उनसे भारतीय तथा विदेशी रेडियो कार्यक्रमों के विषय में उन की राय पूछी;

(ग) यदि ऐसा है, तो उनकी उपपत्ति तथा प्रतिक्रियायें क्या थीं; तथा

(घ) उन देशों के क्या नाम हैं जहां के विद्यार्थी इस संस्था में प्रविष्ट होने आये ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) वर्त्तमान पाठ्य काल में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या ४० है, जिन में से २८ विदेशों के हैं तथा १२ भारत के हैं।

(ख) जी हां, प्रशिक्षणार्थी उन लोगों के पास गये थे जिन के पास रेडियो थे और अपने प्रशिक्षण के रचनात्मक कार्य के रूप में उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किये।

(ग) जो आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं उन का परिगणन तथा विश्लेषण हो रहा है तथा उस जांच की उपपत्तियां अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) उन देशों के नाम जहां से विद्यार्थी आये हैं, प्रत्येक देश की संख्या सहित निम्न-लिखित हैं :

देश	प्रक्षिणार्थियों की संख्या
ब्रह्मा	३
जापान	१
कम्बोडिया	१
मलाया	१
थाईलैण्ड	४
फ़िलिप्पीन्स	६
इण्डोनेशिया	२
लंका	२
ईराक़	१
अफ़ग़ानिस्तान	१
पाकिस्तान	६
भारत	१२
	४०

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि इस संस्था का खर्चा कैसे चलाया जाता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह यूनेस्को के तत्वावधान में चलती है और इस प्रयोजन के लिये इसे अनुदान मिलता है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को भी इसके लिये कुछ देना पड़ता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : सर ने भी कुछ छात्रवृत्तियां दी हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी विद्यार्थियों की संख्या कौन निर्धारित करता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : संस्था के अधिकारी इसे निर्धारित करते ह तथा यह

आवेदन पत्रों की संख्या पर निर्भर करता है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या उन आवेदन पत्रों पर यूनेस्को विचार करता है?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं, उन पर संस्था के अधिकारी विचार करते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय समंक संस्था तथा कलकत्ते की भारतीय समंक संस्था, दोनों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या कुछ लड़कियां भी यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि इस संस्था ने, दिसम्बर, १९५० और जनवरी, १९५१ में कलकत्ता तथा दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय समंक संस्था का जो २७वां अधिवेशन हुआ था, उसके प्रति क्या कार्यवाही की थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई थी।

कलकत्ता नेशनल बैंक

***११४८. श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वित्तमंत्री** ९ अगस्त, १९५१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २३ का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बन्द हो जाने के बाद कलकत्ता नेशनल बैंक की क्या स्थिति है;

(ख) बैंक के परिसम्पत् तथा कार्यों की आजकल कौन देखभाल करता है तथा उसे इसका क्या पारिश्रमिक मिलता है ;

(ग) क्या कुछ धन वसूल किया गया है और क्या ऋण दाताओं को कोई लाभांश

(घ) बैंक के कार्यों का प्रबन्ध करने तथा बन्द हो जाने के बाद के कार्यों के लिये कितना मासिक व्यय किया जा रहा है ;

(ङ) क्या इसके विलीनिकरण के लिये भी कोई प्रस्ताव किया गया है और यदि ऐसा है, तो वह किस अवस्था पर है; तथा

(च) बैंक की परिसम्पत् और दायित्व क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): यह बड़ा लम्बा उत्तर है; मैं उसके लिये पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। (क) तथा (ङ)। कलकत्ता नेशनल बैंक ने १४ मई, १९५१ से रुपया देना बन्द कर दिया तथा इस के आवेदन पत्र देने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ३ सितम्बर, १९५१ तक समय समय पर इसे उधार लेने वालों को रुपया देना बन्द करने की वैध अनुमति दी। जब कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उधार देना बन्द करने की आरम्भिक अवधि को बढ़ाया, उसने श्री पी० सी० चौधरी, पश्चिमी बंगाल के सेवा-निवृत्त महालेखापाल को बैंक के परिसम्पत् का कार्यभार संभालने के लिये विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने वाले आदेश जारी किये। ३ सितम्बर, १९५१ को उधार देना बन्द करने के आवेदन पत्र की सुनवाई के समय बैंक बन्द करने का आवेदन पत्र दिया गया था और न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया। इसी दौरान में, बैंक में रुपया जमा करने वालों की ओर से, इस बैंक का किसी अन्य अच्छे बैंक के साथ विलीनिकरण की लगातार मांग की गई। बैंक आफ़ जयपुर ने प्रबन्ध की योजना के कई प्रस्ताव रखे और ११ फ़रवरी १९५२ को उच्च न्यायालय ने कुछ संशोधनों के साथ प्रबन्ध की योजना को स्वीकार कर लिया

और बैंक बन्द कर देने का आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया था ।

(ख) उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रबन्ध की योजना के अन्तर्गत बैंक आफ जयपुर लिमिटेड को कलकत्ता नेशनल लिमिटेड का उस बैंक के वसूल किये जा सकने वाले सभी परिसम्पत् को २ प्रतिशत कमीशन पर परिसम्पत् को वसूल करने तथा उनको बांटने के लिये एजेण्ट बनाया गया । विशेष पदाधिकारी अपने इस पद पर तब तक रहेगा जब तक कि बैंक के परिसम्पत् में से दिये जाने वाले ७५० रुपये की राशि में से प्रति मास बन्धकपत्र वाले साहूकारों को ३३ $\frac{1}{2}$ प्रति शत दे न दिया जाय । योजना के खण्ड ८ और ९ के अनुसार, एक प्रबन्धक समिति कलकत्ते में और प्रादेशिक समितियां, जिन में से एक इलाहाबाद तथा दूसरी बम्बई में बनाई गई हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है कि कुछ पैसा वसूल किया गया है या नहीं । अब साहूकारों को कुछ भी लाभांश नहीं दिया गया ।

(घ) सरकार को इस विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ङ) रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया अधिनियम की धारा ४२ (२) के अन्तर्गत, ११ अप्रैल १९५२ को बैंक के परिसम्पत् तथा दायित्व निम्न प्रकार थे :

दायित्व

	रुपये
भारत में दर्शनी हुंडियां	१,६३,५३,०००
भारत में सामयिक हुंडियां	५७,४१,०००
कुल योग	२,२०,९४,०००

परिसम्पत्

	रुपये
भारत में नकदी	२,५१,०००
भारत में बैंकों में शेष नकदी	१६,९६,०००
धन विनियोजन	१२,७९,०००
भारत में अग्रिम देय धन	१,७५,८९,०००
बिल	४,०००
कुल योग	२,०८,१९,०००

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि, जबकि जयपुर बैंक को धन इकट्ठा करने के लिये नियुक्त किया गया है, तो फिर इस विशेष पदाधिकारी को इस पद पर अब भी क्यों रखा हुआ है ? उन के कार्य क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर मुझे अनुपूरक प्रश्नों को सीमित करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मामला है कि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा शासित होता है और जयपुर बैंक के प्रबन्ध के विषय में उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी थी । क्या ऐसी बात नहीं ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, ऐसा ही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में आता है । यदि आप चाहें तो कोई और सूचना मांग सकते हैं, किन्तु इस के कारण अथवा इस के गुण-दोषों को नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : दायित्व में, मैं समझता हूं कि अन्तिम आंकड़े १,७५,००,००० धन-विनियोजन के हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या बैंक के अध्यक्ष किसी ऐसे सार्थ से सम्बन्धित हैं जिस में वह धन विनियोजित किया गया हो ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को गलत आंकड़े मिले हैं। विनियोजित धन १२,७९,००० रुपये है, और भारत में अग्रिम देय धन १,७५,८९,००० रुपये है ।

श्री ए० सी० गुहा : धन विनियोजन तथा अग्रिम देय धन व्यवहारिक रूप से एक ही चीज़ है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या बैंक के अध्यक्ष जो कि व्यवहारिक रूप से कार्यपालक अधिकारी थे, का इस कन्सर्न से कोई सम्बन्ध था जिसे कि उस बैंक से अग्रिम देय धन तथा विनियोजन धन प्राप्त हुआ था ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस की सूचना नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि इस विशेष पदाधिकारी के कर्त्तव्य और कार्य क्या क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, क्या पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को अपना विचार बताना चाहता हूं कि ये प्रश्न प्रायः निजी प्रश्न ही हैं। मैं ने इस प्रश्न की अनुमति इसलिये दी कि इस प्रश्न का सम्बन्ध वित्तीय सूचना से है, और सम्भवतः हाल में, दो वर्ष पूर्व बंगाल में बैंक सम्बन्धी संकट अथवा एक प्रकार की वित्तीय अभाव का मामला था और बहुत से बैंकों का दीवाला निकल गया। क्या मेरी बात ठीक है ?

श्री ए० सी० गुहा : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : अतः मैं ने यही उचित समझा कि सरकार इस सूचना को प्राप्त करे और सदन को सूचना दे। तब यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा। यह तो दो दलों के बीच ठेके की बात है और यह मामला उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी की बात है। परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही, जिसे बन्द कर दिया गया है की बात को दृष्टि में रखते हुए, मैं समझता हूं कि एक प्रबन्ध योजना स्वीकार की गई है और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रबन्ध योजना के अनुसार कार्य हो रहा है। क्या मेरी बात ठीक है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह ठीक है रिजर्व बैंक का सम्बन्ध तो केवल इतना है कि किसी भी बनाई जाने वाली योजना के सम्बन्ध में बैंकिंग कम्पनीज़ (समवाय) अधिनियम की धारा ४५ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) देना पड़ता है। यह तो पहले ही कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात ले रहे हैं जो कि ऐसे मामले में जिन की कि आवेदन पत्र दिये जाने पर उच्च न्यायालय जांच करेगा। यही बात मालूम देती है ।

श्री ए० सी० गुहा : उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किसी भी योजना पर रिजर्व बैंक की भी पूर्व स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिये। अतः रिज़र्व बैंक और इस प्रकार भारत सरकार इस मामले में उत्तरदायित्व से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप का तर्क है, किन्तु मेरा विचार ऐसा नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि उन्होंने भीं इसे स्वीकार कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन की स्वीकृति यहां मान्य नहीं होगी। कुछ भी हो, मेरी ही बात मान्य होगी ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले के सम्बन्ध में भारत के रिज़र्व बैंक ने कोई विशेष रिपोर्ट दी है, और यदि ऐसा है, तो रिजर्व बैंक की सिफ़ारिश के आधार पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री सी० डी० देशमुख: इस समय उच्च न्यायालय को कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की जा सकती, जैसा कि मैं ने कहा, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम की धारा ४५ के अन्तर्गत, उच्च न्यायालय द्वारा किसी योजना को स्वीकृत किये जाने से पूर्व रिजर्व बैंक को एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है । आप इसे रिपोर्ट कहें या कुछ और कहें, यह एक दूसरा मामला है । कानून के अन्तर्गत वास्तव में यह एक प्रमाण पत्र ही है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी: मेरे प्रश्न का सम्बन्ध . . .

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

दार्जिलिंग बैंक

*११४९ **श्री ए० सी० गुहा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दार्जिलिंग बैंक बन्द हो जान के बाद उस का कोई परिसमापक नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को नियुक्त किया गया और परिसमापन कार्य में उस ने कहां तक कार्य किया है;

(ग) क्या कुछ धन भी वसूल किया गया है और क्या साहूकारों को कुछ लाभांश दिया गया है; तथा

(घ) बैंक के बन्द किये जाने के समय इस के परिसम्पत् और दायित्व क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) से (ग): फरवरी, १९४८ में दार्जिलिंग बैंक लिमिटेड को बन्द करने के लिये एक लेनदार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन पत्र दिये जाने पर उस न्यायालय ने एक अस्थायी परिसमापन नियुक्त किया और ५ अप्रैल १९४८ को बैंक को बन्द करने के लिये अन्तिम आदेश जारी किये । बाद में उन को हटा दिया गया और उन के स्थान पर, ८ मई, १९५० को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश द्वारा न्यायालय का एक सरकारी रिसीवर नियुक्त किया गया । परिसमापन कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में सरकार सूचना नहीं दे सकती ।

(घ) सरकार को इस की कोई सूचना नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि पहला परिसमाप क्यों हटाया गया, क्या सरकार के पास इस की कोई सूचना है ?

श्री सी० डी० देशमुख: इस विषय की सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या बैंक में रुपया जमा करने वालों को कोई लाभांश दिया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख: मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये ।

छात्रवृत्ति पर्षद्

*११५०. **श्री बी० आर० भगत**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्ष १९५२-५३ के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य अनुन्नत जातियों के विद्यार्थियों के लिये कोई छात्रवृत्ति पर्षद् बना दिया गया है,

(ख) यदि है, तो उस पर्षद् के सदस्य कौन कौन हैं; तथा

(ग) चालू वर्ष में छात्रवृत्ति देने के लिये कितना धन स्वीकार किया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्ष १९५२-५३ के लिये पर्षद् के यह सदस्य हैं ।

सभापति :

भारत सरकार के सचिव तथा शिक्षा सम्बन्धी परामर्श दाता ।

सदस्य :

(१) श्रीमती गंगा देवी, संसद् सदस्य ।

(२) श्री जयपाल सिंह, संसद् सदस्य ।

(३) श्री एम० वी० गंगाधर शिव; संसद् सदस्य ।

(४) डा० पंजाब राव देशमुख, संसद् सदस्य ।

(५) श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, संसद् सदस्य ।

(६) श्री लक्ष्मी दास श्रीकान्त । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये नियुक्त आयुक्त ।

(७) दीवान आनन्द कुमार, पंजाब विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ।

(८) श्री के० एस० शिवम, हरिजन सेवक संघ, दिल्ली के कार्यकारी सचिव ।

(९) श्री डी० रंगैय्या , भारतीय आदिम जाति सेवक, दिल्ली के कार्यकारी सचिव ।

(१०) श्री एम० एस० भटनागर, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव ।

(११) शिक्षा विषयक उप परामर्शदाता (छात्रवृत्तियां) ।

(१२) डा० सी० वी० रामचन्दानी, स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महा संचालक ।

सचिव :

शिक्षा विषयक सहायक परामर्शदाता (छात्रवृत्तियां) ।

(ग) १७,५०,००० रुपये ।

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि बोर्ड के १२ सदस्यों में से अनुन्नत जातियों का केवल एक सदस्य है, क्या सरकार अनुन्नत जातियों के और प्रतिनिधियों को लेने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मुझे खेद है कि इन में से पांच तो संसद् के सदस्य हैं, अत: अनुन्नत जातियों के और प्रतिनिधि नहीं लिये जा सकते ।

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यह बोर्ड किस आधार पर बनाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : सांसद् कार्य सचिव की सिफारिशों पर मंत्रालय ने यह बोर्ड बनाया है ।

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा कोई अभ्यावेदन किया गया है कि ऐसे ही लिये गये पांच गैर-सरकारी सदस्यों के स्थान पर संसद् के सदस्य होने चाहियें, और यदि ऐसा है, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, बोर्ड की अभी हाल ही में बैठक हुई थी और इस ने सरकार से यह सिफारिश की है कि इस के

सदस्य केवल संसद् के सदस्य ही हों। यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि बंगाल के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली और किस विषय के अध्ययन के लिये ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह बोर्ड एक साल के लिये है या इस से भी अधिक दिन तक चलेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक वर्ष की अवधि के लिये बनाया जाता है।

श्री राघवय्या : मैं जान सकता हूं कि ऐसी कोई प्रस्थापना है कि यदि आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ जाये तो अनुसूचित जातियों के लिये छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ा दी जाये ?

श्री के० डी० मालवीय : यदि सरकार यह समझे कि निर्धारित राशि कम है, निस्सन्देह, सरकार इस राशि को बढ़ा देने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने वाली राशि में कमी की जा रही है, और यदि ऐसा है तो इस के क्या कारण हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस में कमी नहीं की गई है ; बल्कि यह तो बढ़ा दी गई है।

श्री अच्युतन : मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुन्नत जातियों को छात्रवृत्ति देने में कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : सन् १९५२-५३ के लिये प्राप्त राशि इस प्रकार निर्धारित की गई है : कुल योग १७·५ लाख रुपये । अनुसूचित जातियां ८,७५,००० रुपये; अनुसूचित आदिम जातियां ३,५०,००० रुपये; अनुन्नत जातियां ५,७५,००० रुपये।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री महोदय जी से मैं यह पूछ सकता हूं कि उत्तर प्रदेश से इस बोर्ड में कितने मैम्बर हैं तथा शिड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियां) को स्कालरशिप (छात्रवृत्तियां) कितने शिफ्ट (पारियों) में दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सदस्यता प्रान्तों या स्टेटों (राज्यों) के प्रतिनिधित्व पर निर्भर नहीं हैं और स्कालरशिप का बंटवारा भी कोई क्षेत्र के ऊपर निर्भर नहीं है ।

श्री गणपति राम : मेरे पूछने का मतलब यह था कि स्कालरशिप्स कितने शिफ्टों (पारियों) में दिये जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

बिक्रम हवाई अड्डा

*११५१. **श्री बी० आर० भगत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) युद्ध काल में बिक्रम हवाई अड्डा (पटना) के निर्माण के लिये अधिग्रहण की गई सब भूमि क्या इस के मालिकों को वापिस दे दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी भूमि अभी वापस देनी है ;

(ग) क्या वह वापस दी जायेगी और कब दी जायेगी ;

(घ) क्या इस अधिग्रहण अवधि की क्षत्तिपूर्ति पूरी भूमि के लिये दे दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो अभी कितनी राशि और दी जायेगी ; तथा

(च) क्या शेष राशि दी जायेगी और कब दी जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) से (ग). बिक्रम हवाई अड्डे के निर्माण के लिये युद्धकाल में १,०२८·२७ एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। इस में से केवल १०७·३२ एकड़ भूमि को स्थायी रूप से अधिग्रहीत किया जा रहा है और बाकी भूमि वापिस दी जा रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) तथा (च). उत्पन्न नहीं होते।

श्री बी० आर० भगत : मैं उत्तर का यह भाग नहीं समझ सका कि कितना धन अभी वसूल किया जाना है ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान्, यह कोई इतिहास तो नहीं है। हम केवल १०७·३२ एकड़ भूमि को ही स्थायी रूप से अधिग्रहीत करना चाहते हैं। किसी गलती के कारण राज्य सरकार ने पूरी भूमि का अधिग्रहण करना अधिसूचित किया और पूरी भूमि के लिए क्षत्तिपूर्ति दे दी गयी। राज्य सरकार को यह गलती बता दी गई और असली मालिकों को जो भूमि वापिस दी जानी है उस के विषय में निश्चय किया जा रहा है और इस कार्य से सम्बन्धित ब्यौरे की जांच हो रही है।

श्री बी० आर० भगत : जिस ब्यौरे की जांच हो रही है क्या उस में क्षत्तिपूर्ति भी सम्मिलित है ?

श्री गोपालस्वामी : जब ज़िला न्यायालय में अपील रद्द हो गई तो पक्ष उच्च न्यायालय में गये और इस क्षत्तिपूर्ति के विषय में उच्च न्यायालय ने ही निर्णय किया है। किन्तु यह क्षत्तिपूर्ति पूरी भूमि के लिये है। इस भूमि के सब से बड़े भाग का अर्जन भी हमें छोड़ना है और जिस अवधि तक यह भूमि अधिग्रहीत रही और अर्जित नहीं की गई उस के लिये भी क्षत्तिपूर्ति निश्चित कर दी गई है। क्षत्ति-पूर्ति का पूरा मूल्य दे दिया गया है

श्री बोगावत : श्रीमान्, क्या मैं क्षत्तिपूर्ति के रूप में दी गई पूरी राशि जान सकता हूं ?

श्री गोपालस्वामी : अधिग्रहण के लिये दी गई क्षत्तिपूर्ति की कुल राशि सोलह लाख रुपये है। जैसा कि मैं ने कहा, कि इस भूमि के बड़े भाग को इस के मालिकों को लौटाने के मामले पर राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है, किन्तु उस अवधि के लिये, जिस में यह अधिग्रहण में रही ४,०१,९१२ रुपये क्षत्तिपूर्ति के रूप दे दिये गये हैं।

भारत के पाकिस्तान पर दावे

*११५२. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ शीर्षों के अन्तर्गत भारत के पाकिस्तान पर जो दावे हैं उन पर अभी समझौता होना बाकी है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो जिन शीर्षों के सम्बन्ध में अभी तक समझौता नहीं हुआ उन की वास्तविक राशि क्या है तथा पाकिस्तान से भुगतान प्राप्ति के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की या करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उस धन के विषय में अभी तक पाकिस्तान से बातचीत चल रही है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इस धन राशि के विषय में दोनों पक्षों में समझौता है अथवा कोई झगड़ा है ?

श्री गोपालस्वामी : झगड़ा है और उस धनराशि का निश्चय करने के लिये दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक सम्मेलन होगा।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इसमें मंत्रिगण भी भाग लेंगे या सरकारी पदाधिकारी भाग लेंगे ?

श्री गोपालस्वामी : हम ने अभी हाल में पाकिस्तान सरकार से कहा है कि सर्व प्रथम यह सम्मेलन सरकारी पदाधिकारियों के मध्य हो ।

संघ कर

*११५३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संघ करों को भाग (क) तथा (ख) राज्यों में लगाने के लिये क्या कार्यवाही, यदि कोई, की गई है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : बहि: शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क : संविधान के अनुच्छेद २८९ (२) के अनुसार समुद्र शुल्क अधिनियम १८७८ तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ में यह उपबन्ध करने के लिये संशोधन किया गया था : (क) भाग 'क' अथवा भाग 'ख' में के राज्यों के ऐसे माल पर बहि:शुल्क लगाना, जिस माल का सरकार द्वारा या सरकार की ओर से व्यापार या व्यवसाय किया जाता हो, अथवा किसी ऐसे कार्यकरण पर वह शुल्क लगाना जो इस प्रकार के व्यापार या व्यवसाय से संबंधित हो जो उस माल के बारे में किया गया हो जो किसी सरकार का न हो ।

(ख) नमक के अतिरिक्त अन्य सब वस्तुओं, जिन पर उत्पाद-शुल्क लग सकता हो और जो भारत में किसी भाग 'क' अथवा भाग 'ख' में के राज्य द्वारा, या की ओर से उत्पादित या निर्मित की जाती हो तथा किसी भी प्रकार के ऐसे वाणिज्य या व्यापारिक प्रयोजनार्थ प्रयोग की जाती हो, जो उस सरकार द्वारा, या उस की ओर से किया जाता हो, पर अथवा उक्त वाणिज्य या व्यापार से सम्बद्ध किन्हीं कार्यों पर, जो ऐसे माल पर लागू होते हों जो किसी सरकार द्वारा उत्पादित या निर्मित न किया जाता हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाया जा सके। आय-कर : अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, किन्तु इस मामले पर सरकार जांच कर रही है ।

श्री के० सी० सोधिया : जिन शीर्षों का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया उन के अन्तर्गत १९५२ में अब तक कर के रूप में कितना धन वसूल किया गया है ?

श्री त्यागी : राज्य के कार्यों पर उत्पादन-शुल्क के रूप में लगभग पांच लाख रुपये वसूल किये गये ।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की इमारत

*११५४. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया की प्रस्तावित इमारत के निर्माण कार्य के आरम्भ, मार्च, १९५१ से कितनी प्रगति हुई;

(ख) क्या मात्रा परिमापक (क्वांटिटी सर्वेयर) ने टैंडर मांगने से पूर्व वस्तुओं का बिल दे दिया है ;

(ग) विशिष्ट प्रकार के लोहे के जो कि इमारत के धरातल के खुदाई कार्य को आरम्भ करने से पूर्व मिलना आवश्यक है, देरी से मिलने के क्या कारण हैं ; तथा

(घ) दामों के उतार-चढ़ाव के कारण क्या इमारत का अनुमानित व्यय वही है अथवा उस में कुछ परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). मार्च, १९५१ से वास्तुकारों ने ड्राइंग्स (आलेख्य) पूरे कर लिये हैं और नगर-पालिका को भेज दिये हैं जिस ने उन पर

अपनी अनुमति दे दी है । सीमेंट कंक्रीट विशेषज्ञ ने भी आर० सी० सी० ड्राइंग्स पूरे कर लिये हैं। इन ड्राइंग्स के आधार पर मात्रा परिमापक (क्वांटिटी सर्वेयर) ने आवश्यक वस्तुओं के बिल के आंकड़ें तैयार कर लिये हैं और प्रसिद्ध समाचारपत्रों में छपवाकर सामान्य इमारत कार्य के लिये पहिले ही टेंडर मांगे हैं। उपरोक्त टैंडरों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि १५ जुलाई १९५२ निश्चित की गई है । लोहे के कमरे बनाने के लिये पहले ही ठेका दे दिया गया है।

(ग) अप्रैल/जून १९५२ की अवधि के लिये १,१८० टन विशिष्ट प्रकार के लोहे के लिये एक कोटा प्रमाणपत्र मिल गया है और उत्पादकों को, इस अनुदेश के साथ कि इन सामानों को देने में सर्वाधिक प्रधानता दी जाये, इस सम्बन्ध में व्यादेश दे दिये गये हैं। विशिष्ट प्रकार के लोहे की इंडेंट (मांग) देने में देर इस कारण हुई कि लोहे के कमरों को बनाने के ठेके को अन्तिम रूप देने तक ठहराना आवश्यक समझा गया था ।

(घ) मात्रा परिमापक इमारत के व्यय के आंकड़े तैयार कर रहा है किन्तु यह अभी नहीं कहा जा सकता कि पहिले के अनुमानित व्यय की तुलना में यह व्यय कैसे होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि धरातल में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है ?

श्री त्यागी : निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि इस इमारत के बनने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (सी० डी० देशमुख) : हमें इस की सूचना नहीं है ।

युद्धोत्तर अमरीकी सहायता

*११५५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि युद्धोत्तर अमरीकी सहायता के अन्तर्गत वर्ष १९५१-५२ में भारत ने कितना धन प्राप्त किया ?

(ख) इस का उपयोग करने की क्या शर्त है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख). भारत को बीस लाख टन गेहूं खरीदने के लिये १९ करोड़ डॉलर मिले । अमरीका से ऋण पर मिले गेहूं के बेचने से प्राप्त स्थानीय धन को राज्य सरकारों को अपनी विकास योजनाओं में धन लगाने के लिये दिया जा रहा है । जैसा कि सदस्यों ने ऋण करार से देखा होगा, जो कि २२ अगस्त, १९५१ को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, कि इस के उपयोग करने के विषय में कोई शर्त नहीं लगाई गई है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि यह राशि कैसे निर्धारित की जाती है क्या देश उस के लिये कोई योजना रखता है, अथवा यह मांग कैसे रखी जाती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : प्राथमिक रूप से यह हमारी खाद्य आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की गई थी ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि यह सहायता नकदी में अथवा आवश्यक वस्तुओं के रूप में होती है ?

श्री सी० डी० देशमुख: यह तो सहायता के रूप में नहीं है, यह ऋण तो अमेरिका में गेहूं खरीदने के लिये है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-

अमेरिका टैक्निकल समझौते के अन्तर्गत मौके पर जा कर क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं (फील्ड वर्कर्स) को राजनयिक विमुक्ति देना आवश्यक क्यों है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह बात इस प्रश्न विशेष से तो उत्पन्न नहीं होती क्योंकि इस विशेष ऋण के सम्बन्ध में कोई शर्तें नहीं लगी हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या यह सत्य है कि इस समझौते के अन्तर्गत कार्य करने वाले अमेरिकन कर्मचारियों को राजनयिक विमुक्ति दी गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा किन्तु यह बात इस प्रश्न विशेष से उत्पन्न नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के प्रश्न का निर्देश उन अमेरिकन कर्मचारियों से है जो इसी योजना के अन्तर्गत कार्य करते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, ऐसी कोई योजना नहीं है । हम ने गेहूं खरीदा है और गेहूं के बेचने से जो धन प्राप्त हुआ उसे हम ने राज्य सरकारों को ऋण के रूप में दे दिया ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह धन राज्यवार किस प्रकार बांटा गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : निश्चय ही मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री बर्मन : मैं जान सकता हूं कि ऋण के रूप में प्राप्त गेहूं के बेचने से वास्तविक आय की राशि क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि यह विवरण तो आय-व्ययक की चर्चा के दौरान में पहिले ही दे दिया गया है । रुपयों के रूप में वास्तव में जो धन प्राप्त होगा वह रुपयों में इस ऋण की राशि से लगभग २० करोड़ रुपये कम होगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : ब्याज की दर तथा पुनर्भुगतान, अवधि, जिस के विषय में आपस में तय हो गया है, क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : ब्याज की दर २ १/२ प्रति शत है और पुनर्भुगतान की अवधि ३० मार्च है, जो ३० जून, १९५७ से आरम्भ होगी ।

प्रादेशिक सेना

***११५६. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९४७ से प्रादेशिक सेना में कितनी वृद्धि हुई है ?

(ख) प्रादेशिक सेना में भरती के मामले में क्या कठिनाइयां हैं; और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्य किये गये हैं ?

(ग) प्रादेशिक सेना के एक सामान्य सैनिक पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है और शुद्ध नियमित (रेगुलर) सेना के सैनिक पर होने वाले व्यय की तुलना में यह कितना है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) प्रादेशिक सेना में भरती अगस्त, १९४९ से आरम्भ हुई । भरती के आंकड़े बताना लोक हित में नहीं है ।

(ख) प्रादेशिक सेना में भरती के सम्बन्ध में हमारी मुख्य कठिनाई इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि --

(१) जो व्यक्ति प्रादेशिक सेना में भरती होना चाहते हैं उन में से अधिकांश यह चाहते हैं कि उन्हें पूरे समय के आधार पर भरती किया जाये जब कि प्रादेशिक सेना एक अंश-कालिक सेवा है ;

(२) जो व्यक्ति अन्य नौकरी में लगे हुए हैं उन्हें यह भय है :

(१) कि यदि उन्हें पूरे समय की सेवा के लिये बुला लिया जाय तो उनके वेतन में से काफ़ी कट जायेगा क्योंकि तब उन्हें सेना में कार्य करने के कारण सेना में मिलने वाले वेतन के अनुसार वेतन मिलेगा, तथा

(२) संकट काल में सेना में कार्य करने के लिये लम्बी अवधि के लिये बुलाये जाने की दशा में असैनिक नौकरी में उनका स्थान समाप्त हो जायेगा।

इन कठिनाइयों में पहली के लिये तो कोई हल नहीं है। ऐसे प्रार्थियों को नियमित सेना में भरती होना चाहिये। उनके स्थानों को सुरक्षित रखने की समस्या तो संसद् के पिछले सत्र में प्रादेशिक सेना अधिनियम में संशोधन करके हल कर ली गई है, जिसके द्वारा मालिकों के लिये किसी कर्मचारी के स्थान को सुरक्षित रखना आवश्यक कर दिया गया है जिसे कि प्रादेशिक सेना में सेवा के लिये बुलाया जाय। असैनिक सेवा वेतन तथा सैनिक वेतन के अन्त के सम्बन्ध में दूसरी कठिनाई एक ऐसी है जिसे केवल तभी दूर किया जा सकता है जब कि मालिक लोग असैनिक वेतन तथा सैनिक वेतन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये तय्यार हो जायें। जहां तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का सम्बन्ध है इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया गया है। यह आशा की जाती है कि मालिक भी यथासम्भव अधिक से अधिक इसका अनुसरण करेंगे।

(ग) यह सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : उस सेना में कितने प्रति शत व्यक्तियों को नियमित वेतन मिलता है? अन्यथा, लोग तो एक विशेष अवधि के लिये आते हैं और फिर चले जाते हैं।

श्री गोपालस्वामी : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का वास्तविक अभिप्राय क्या है। स्पष्टतः इस प्रश्न का उत्तर देना भी लोक हित में न होगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या प्रादेशिक सेना में टैक्निशियन्स का भी कोई विभाग है, यदि ऐसा है, तो उनकी संख्या कितनी है?

श्री गोपालस्वामी : उसमें टैक्निकल यूनिटें भी हैं जिसके लिये भरती की जाती है।

श्री वेंकटारमन : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ मालिकों ने उन कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी सेवायें प्रादेशिक सेना को अर्पित कर दी थीं उनकी वहां सेवायें समाप्त हो जाने के बाद, सेवा में वापिस लेने से मना कर दिया है?

श्री गोपालस्वामी : सम्भवतः ऐसा है। इसी बात को रोकने के उद्देश्य से ही तो हमने उस अधिनियम में यह संशोधन पारित किया कि निजी नौकरियों में उनके स्थान सुरक्षित रखे जायें।

श्री वेंकटारमन : ऐसे कितने मामलों का सरकार को पता लगा है?

श्री गोपालस्वामी : मुझे खेद है कि मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रादेशिक सेना को असैनिक प्रशासन की सहायता के लिये बुलाया जा सकता है

और यदि ऐसा है तो किन्हीं राज्यों ने इस प्रकार की कोई प्रार्थना की है ?

श्री गोपालस्वामी : यदि ऐसा करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न हो तो निस्सन्देह इसे बुलाया जा सकता है । किन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि कितने राज्यों ने इस सेना की सहायता मांगी है ।

श्री दामोदर मेनन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ग़ैर सरकारी सेवा के मालिकों से उन कर्मचारियों की वेतन की कमी को पूरा करने के लिये कहा है जिन्हें कि प्रादेशिक सेना में सेवा कार्य के लिये बुलाये जाने पर इस प्रकार की हानि होने की सम्भावना है ?

श्री गोपालस्वामी : हम ने उन से इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की अपील की है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : प्रादेशिक सेना सैनिकों के अनुपात में सब पदों के अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे खेद है कि मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

उद्योगों में विदेशी स्वत्व

* ११५७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित सार्वजनिक सीमित (लिमिटेड) कम्पनियों में विदेशी स्वत्व की प्रतिशतता कितनी है :

(१) भारत का पटसन उद्योग;

(२) भारत का चाय बागान उद्योग;

(३) भारत का कोयला उद्योग; तथा

(ख) उपरोक्त उप-भाग (१), (२) और (३) में निर्दिष्ट उद्योगों में, जो निजी स्वामित्व वाले तथा साझीदार सार्थ (फ) हैं, विदेशी स्वत्व कितना है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सार्वजनिक सीमित कम्पनियों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है । भारत तथा विदेशों में संस्थापित (निजी सीमित कम्पनियों को मिलाकर) सभी सीमित कम्पनियों में, १९४८ में भुगतान की गई पूंजी के आंकड़ों के आधार पर, कुल विदेशी स्वत्व पटसन उद्योग में २४·४ प्रति शत, चाय के बगीचों में ७४·७ प्रति शत तथा कोयला उद्योग मे १३·१ प्रति शत है ।

(ख) भारतीय निजी स्वामित्व वाले सार्थ तथा साझीवाले सार्थों की कुल पूंजी के विषय में सूचना न होने के कारण प्रतिशतता वाले आंकड़े नहीं बताये जा सकते, किन्तु ३० जून, १९४८ को ऐसे सार्थों में चाय के उद्योग में विदेशी स्वत्व ८·४५ लाख था और ऐसे सार्थों में पटसन तथा कोयला उद्योग में कोई विदेशी स्वत्व नहीं था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या जो आंकड़े दिये गये हैं उन में मैनेजिंग (प्रबन्धक) एजेन्सियों में विदेशी विनियोजन भी सम्मिलित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : उस सीमा तक वे सीमित कम्पनियां हैं, श्रीमान्, अन्य दशा में नहीं ।

श्री वी० वी० नायर : क्या यह सत्य है कि प्रायः सभी उत्तम प्रकार का कोयला उद्योग विदेशियों द्वारा नियंत्रित होता है ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, मेरे पास विस्तृत सूचना नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने १९४८ के आंकड़े बताये हैं, क्या तब से उनमें कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री त्यागी : परिवर्तन तो अवश्य हुआ होगा ; किन्तु हमें इसकी कोई सूचना

नहीं है । जिन आंकड़ों का मैं ने उल्लेख किया है वह पुराने आंकड़े हैं।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि इन स्वत्वों को ब्रिटेन में रुके हुए हमारे पौण्ड पावने के बदले में लेने का विचार है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इन चीज़ों को खरीदने के लिये अब पर्याप्त पौण्ड पावना नहीं रुका हुआ है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार की यह प्रथा है कि जब प्रश्न वर्ष १९५२ में पूछे जाते हों तो १९४८ के आंकड़े दिये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मैं एक बहुत अच्छा उत्तर दे सकता हूं । ये आंकड़े समय समय पर तय्यार किये जाते हैं । सन् १९४८ के ये आंकड़े रिज़र्व बैंक द्वारा तय्यार किये विदेशी विनियोजन के आंकड़ों पर आधारित हैं और यदि माननीय सदस्य कार्य की जटिलता को पर्याप्त रुप से जानते हैं तो वह इस बात से सहमत होंगे कि जब ये प्रश्न पूछे गये तब ये आंकड़े तय्यार नहीं किये जा सकते थे ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि विदेशी विनियोजन को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बात इस प्रश्न से बिल्कुल भी सम्बन्धित नहीं है ।

राडर उपकरण

***११६१. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि किसी राडर उपकरण ऑर्डनेंस फैक्टरी में मरम्मत हो रही है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि अंग्रेज़ी अधिकारियों ने अपने जाने से पूर्व इन उपकरणों के कुछ मुख्य भाग हटा दिये थे; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि इन भागों को अभी प्रतिस्थापित किया जाना है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) ऑर्डनेंस फैक्टरी में मरम्मत नहीं होती है, किन्तु अन्य उपकरणों के समान किसी समय में वर्कशाप में मरम्मत हो सकती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री० ए० के० गोपालन : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि खरीदे गये राडर उपकरण का कुल मूल्य क्या है और वह किस समझौते के अन्तर्गत खरीदा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को उस विशेष देश और उस अवधि का उल्लेख करना चाहिये ।

श्री ए० के० गोपालन : ब्रिटेन से पिछले तीन वर्षों में ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह सूचना दे सकते हैं ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे खेद है कि मेरे पास यह सूचना नहीं है । मरम्मत

किये जा सकने वाले राडर उपकरण जो अब हमारे पास हैं, उसका मैं अनुमानित मूल्य बता सकता हूं। यदि वह उस आंकड़े को जानना चाहते हैं तो वह १ करोड़ १० लाख रुपये है।

अनुसूचित जातियों के लिये छात्रवृत्तियां

*११६२. **श्री वीरस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन कौन से विभिन्न पाठ्यक्रम हैं जिन के लिये अनुसूचित जातियों के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रखे गयें विवरण की ओर दिलाया जाता है।

विवरण

(१) औषधि तथा नर्सिंग जैसे अन्य सम्बन्धित विषय।

(२) इंजीनियरिंग तथा वास्तुकला।

(३) कृषि, वन विद्या तथा पशुचिकित्सा विज्ञान।

(४) टैक्नोलौजी

(५) विज्ञान

(६) शिक्षा तथा समाज सेवा शिक्षा।

(७) मानव शास्त्र (ह्यूमेनिटीज़), समाज विज्ञान तथा ललित कलायें।

(८) वाणिज्य।

(९) कानून तथा पुस्तकालय विज्ञान।

श्री वीरस्वामी : मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया धन, जिसकी घोषणा एक सप्ताह पूर्व की गई थी, क्या विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त होगा, यदि हम उस को अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तथा अनुसूचित जातियों में फैली हुई निरक्षरता की भारी समस्या की तुलना की दृष्टि से देखें ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह राय जानना चाहते हैं कि छात्रवृत्ति की राशि जनसंख्या के समपरिमाण होगी। यह तो सम्मति का विषय है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि प्रति विद्यार्थी को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के धन को क्या प्रति वर्ष बाद कम कर दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किया गया था और मैं समझता हूं कि इसका उत्तर दे दिया गया था .....

श्री बी० एस० मूर्त्ति : उसका उत्तर नहीं दिया गया था।

श्री के० डी० मालवीय : उस कुल राशि को तो बढ़ा दिया गया है, किन्तु कुछ विशेष मामलों में कुछ विशेष कारणों से, उदाहरण के लिये, शुल्क में कमी कर दी गयी है और उसके विशेष कारण हैं।

श्री वैलायुधन : क्या मैं उन विशेष कारणों को जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : वे कारण इस समय मेरे पास यहां नहीं हैं।

मूर्त्तियों को क्षति

*११६३. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि समुद्र जल की टक्कर से महाबलीपुरम की मूर्त्तियों को बहुत अधिक तथा लगातार नुकसान हो रहा है, और क्या ऐसे भी उदाहरण हैं कि एलोरा और कोनार्क में, प्राकृतिक कारणों से होने

वाले नुकसान को रोका जा सकता था और क्या यदि अजन्ता प्रस्तर मूर्त्तियों को नुकसान से बचाना है तो उन की मरम्मत के लिये विशेषज्ञों की शीघ्र आवश्यकता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : समुद्र जल की टक्कर से केवल तटमन्दिर नामक मन्दिर को ही नुकसान हो सकता है, उस की किन्हीं मूर्त्तियों को नहीं। फिर भी, इन मूर्त्तियों को क्षति होने से रोकने के लिये यथासम्भव कार्यवाही की गई है ।

सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं जिसमें एलोरा और कोनार्क में प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके ।

अजन्ता की भित्ती चित्रकारी की रासायनिक विशेषज्ञ प्रायः देख भाल करते रहते ह ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि शिल्प विध्वंस किये जाने के मामले हुए हैं, विशेषकर एलोरा में ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार का विचार इन मामलों की देखभाल करने के लिये विशेषज्ञों की एक विशेष समिति नियुक्त करने का है, विशेषकर क्योंकि अति प्रामाणिक आधार पर, एलोरा और महाबलीपुरम्, में मूर्तियों को हानि होने का बहुत अधिक खतरा है और अजन्ता की प्रस्तर कला को भी खतरा है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, जैसा कि मैं ने कहा कि इस बात को देखने के लिये कि अजन्ता की भित्ती चित्रकला की देखभाल की जाय सरकार ने समय समय पर कार्यवाही की किन्तु जहां तक इन बड़े स्मारकों का सम्बन्ध है, इन सब स्थानों पर सामान्य समस्या राजगिरी के काम को रेतीली हवा तथा अन्य भौतिक कारणों से नुक़सान है और इन स्मारकों पर इन के हानिकारक प्रभाव विद्यमान हैं। अभी तक हमें ऐसे किसी तरीके का पता नहीं है जिसके द्वारा इसे रोका जा सके । इस सम्बन्ध में हम अन्य देशों से राय ले रहे हैं कि क्या वे ऐसे तरीक़े जानते हैं कि जिससे इन्हें रोका जा सके ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : प्रविधिविज्ञता की आधुनिक प्रगति को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार उस तटमन्दिर को समुद्र से कुछ दूर हटाने का है ?

अध्यक्ष महोदय : वह सुझाव दे रहे हैं ।

श्री बी० दास : दो वर्ष पूर्व इस बात पर सम्मति देने के लिये कि कोनार्क मन्दिर की समुद्र से आने वाली हवा से किस प्रकार रक्षा की जा सकती है, क्या कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस की पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि अभी हाल में अजन्ता प्रस्तर कला को काफ़ी नुक़सान हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : अजन्ता में हुए किसी विशिष्ट नुक़सान का पता नहीं है ।

भारतीय अधिकोषण समवाय अधिनियम

*११६४. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने कलकत्ता नैशनल बैंक, लिमिटेड को, जिस ने कि रिज़र्व बैंक के निदेश के अन्तर्गत मई, १९५१ में कार्य करना बन्द कर दिया है लेखा पुस्तकों की जांच करने में कोई लापरवाही दिखाई ; तथा

(ख) क्या सरकार का विचार, जनता को बार बार बैंक बन्द होने से होने वाले खतरे को कम करने के हेतु, वर्त्तमान भारतीय अधिकोषण समवाय अधिनियम तथा रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में संशोधन करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): जी नहीं, श्रीमान् । माननीय सदस्य की सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि जैसा कि उन्हों ने कहा कलकत्ता नेशनल बैंक, लिमिटेड ने रिज़र्व बैंक के निदेश के अन्तर्गत अपना कार्य बन्द नहीं किया । उस बैंक को तो केवल नये निक्षेप लेने से रोक दिया गया था और इसने अपना कार्य स्वयं ही बन्द कर दिया ।

(ख) सरकार की सम्मति में भारतीय अधिकोषण समवाय अधिनियम के रहने तथा बैंकों के प्रबन्धकर्त्ताओं द्वारा अपने उत्तरदायित्व का विशेष अनुभव प्राप्त करने के कारण बार बार बैंक बन्द हो जाने का खतरा कम हो जाता है । इस अभिप्राय से उस अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक नहीं है और न ऐसा करने का विचार है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कलकत्ता नैशनल बैंक के बैंक आफ जैयपुर के साथ एकीकरण की व्यवस्था के कर्मचारियों द्वारा चलाये गये तथा बैंक में धन जमा करने वालों के आन्दोलन के कारण हुई और रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के अधीक्षण अधिकारों के कारण नहीं, जो निस्सन्देह अब भी हैं, क्या सरकार बतायी गई स्थिति पर पुनः विचार करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है । बैंक का निरीक्षण इसलिये किया गया था कि बैंक ने संविहित शेषनिधि बनाये रखने में, जैसा कि भारत रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा ४२ के अन्तर्गत किया जाना चाहिये, बार बार गलतियां कीं अतः इसे नये निक्षेप लेने से रोक दिया गया था । परिणामतः धन जमा करने वाले कुछ व्यक्तियों के कारण यह मामला न्यायालय में गया । मैं नहीं जानता कि उसके कारण किसी अधिनियम में संशोधन क्यों किय जाय ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस बात की सम्भावना को दृष्टि में रखते हुए कि धन जमा करने वालों के स्वत्वों को बहुत अच्छी प्रकार से रक्षा की जा सकती है यदि किसी बैंक के परिसमापन की अपेक्षा रिज़र्व बैंक किसी प्रकार की व्यवस्था का निदेश करे, इस बात को सम्भव बनाने के लिये क्या सरकार उपाय तथा साधनों का विचार न करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह इस अधिनियम द्वारा प्रतिबन्धित नहीं है । उचित मामलों में रिज़र्व बैंक अपने आप ही एकीकरण कर देता है । बंगाल में एक ऐसा उदाहरण है जहां ऐसा किया गया है ।

श्री **ए० सी० गुहा** : पूर्व इसके कि रिज़र्व बैंक किसी बैंक को निक्षेप लेने से रोकने के लिये कठोर निदेश दे, क्या रिज़र्व बैंक को उस बैंक के प्रबन्ध का संचालन तथा नियंत्रण करने के लिये अन्य विवेकात्मक अधिकार नहीं है ?

श्री **सी० डी० देशमुख** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान स्वयं अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं।

दियासलाई तथा पैट्रोल उत्पादन शुल्क संग्रह कोष

*११६७. श्री **एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें :

(क) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के दियासलाई तथा पैट्रोल उत्पादन शुल्क संग्रह कोष में विन्ध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा कितना है ;

(ख) इस राशि का किस प्रकार से उपयोग किया गया; **तथा**

(ग) क्या इस कोष के बटवारे में विन्ध्य प्रदेश को अब भी भारत की भूतपूर्व रियासत की तरह माना जाता है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जहां तक दियासलाई उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य सम्भवतः उस समझौते का निर्देश कर रहे हैं जोकि भारत सरकार तथा भूतपूर्व भारतीय रियासतों के बीच अपने अपने क्षेत्राधिकारों में अपने अपने उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा दियासलाई पर एकत्रित किये गये उत्पादन शुल्क राजस्व के समूहीकरण तथा उसमें हिस्सा लेने के लिये था। यह व्यवस्था पहिली अप्रैल १९५० से समाप्त हो गई, जिस दिन भारत सरकार ने "फैडरल" राजस्व के एकीकरण की योजना के रूप में सारे भारत में (जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर) दियासलाई उत्पादन शुल्क प्रशासन को अपने अधिकार में ले लिया था। अतः वित्तीय वर्ष १९५०-५१ तथा वर्ष १९५१-५२ की दियासलाई उत्पादन शुल्क की आय में से विन्ध्य प्रदेश राज्य को "भारतीय रियासतों" जिसमें से यह राज्य बना है, के हिस्से के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाना है।

पैट्रोल उत्पादन शल्क कोष के सम्बन्ध में सम्भवतः केन्द्रीय सड़क कोष का निर्देश है, जिसका अर्थ वहन पैट्रोल पर उत्पादन शुल्क तथा बहिःशुल्क में से किया जाता है, और जिस में से राज्यों को सीधे ही धन सहायता दी जाती है।

वर्ष १९५०-५१ तथा वर्ष १९५१-५२ में केन्द्रीय सड़क कोष में से विन्ध्य प्रदेश राज्य को निर्धारित कुल राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपये
१९५०-५१	८९,१९१
१९५१-५२	५०,००० (लेखे में)

सन् १९५१-५२ के अन्तिम आंकड़े अभी तय्यार नहीं किये गये हैं।

(ख) (१) जहां तक दियासलाई उत्पादन शुल्क समूह कोष का सम्बन्ध है, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(२) केन्द्रीय सड़क निधि के सम्बन्ध में टैंउठार-पनवार-दभूरा सड़क को पक्का करने के लिये अप्रैल १९५२ में १,२१,४०० रुपये का एक अनुमान स्वीकार किया गया था।

श्री एम० एल० द्विवेदी : वह अन्य भाग ख और भाग ग में के कौन से राज्य

जिन को दियासलाई उत्पादन शुल्क में से धन देना अभी शेष है ?

श्री त्यागी : लेखानुदान के आधार पर किसी राज्य को दियासलाई शुल्क का भुगतान नहीं दिया जाता है ।

हाली सिक्का मुद्रा

*११६९. **श्री विट्टल राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अप्रैल, १९५३ से हैदराबाद राज्य की हाली सिक्का मुद्रा हटा ली जायगी ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उस मुद्रा को परिचालन से हटा लेने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : हैदराबाद राज्य के सभी मूल्यों के सिक्के तथा एक रुपये के नोट १ अप्रैल, १९५३ से वैध सिक्के नहीं रहेंगे । हैदराबाद पत्र (पेपर) मुद्रा अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये एक रुपये के नोटों को छोड़कर अन्य मूल्य के करेंसी नोटों को तब हटा लिया जायगा जब इस अधिनियम का निरसन किया जायगा ।

(ख) हैदराबाद के करेंसी नोटों तथा सिक्कों को परिचालन से हटा लेने की सुविधा देने के लिये स्टेट बैंक आफ़ हैदराबाद के प्रबन्ध के अनुसार रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया ने उस राज्य में इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया, हैदाराबाद शहर, तथा सिकन्दराबाद में दो करेंसी बक्सों तथा छोटे छोटे सिक्कों के डिपो स्थापित करने के अतिरिक्त करेंसी बक्सों के २६ केन्द्र स्थापित किये । इन बक्सों में राज्य मुद्रा के बदले भारतीय मुद्रा दी जाती है । वहां की मुद्रा बन्द कर देने के बाद जनता को तब तक ये सुविधायें मिलती रहेंगी जब तक कि कोषागारों और उप-कोषागारों तथा अन्य विशिष्ट केन्द्रों पर उनकी स्थानीय मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलना वांछनीय समझा जाय ।

श्री बिट्टल राव : मैं जान सकता हूं कि मुद्रा के परिचालन को बन्द करने के बाद क्या हैदराबाद के एक आने के छै छोटे सिक्के होंगे या चार पैसे मिलेंगे जैसे यहां मिलते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जहां तक हैदराबाद के आने के सिक्के का संबंध है क्या वही व्यवस्था चलती रहेगी अथवा उसमें कुछ परिवर्त्तन हो जायेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं, श्रीमान् । जब यह वैध सिक्का नहीं रहेगा तो यहां पर भी वही प्रबन्ध चलेगा जो देश के शेष भागों में है ।

श्री वैलायुधन : इस मुद्रा को बन्द कर देने के कारण राज्य को कुल कितनी हानि होगी, और क्या भारत सरकार कोई क्षतिपूर्ति दे रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि उनका मुद्रा तथा सिक्कों को जारी करने से होने वाले लाभ से अभिप्राय है, तो मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

बचत निपेक्ष

*११७०. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री ३ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दिये गये वचन के अनुसार दस वर्ष वाले बचत निक्षेपों पर ब्याज हर छै महीने बाद दिया जाना है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि दस वर्ष के बचत निक्षेपों के ब्याज का भुगतान नहीं

किया जा रहा है यद्यपि उसके दिये जाने की तारीख बहुत पहिले निकल चुकी है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री **त्यागी**) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । दस वर्ष कोष बचत निक्षेपों पर, धन जमा करने की तारीख से प्रत्येक बारहपत्री महीनों के समाप्त हो जाने पर ब्याज साल भर बाद दिया जाता है ।

(ख) इन निक्षेपों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान के संबंध में रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया ने पहिले ब्याज का भुगतान करने के समय से बहुत पहिले ही सभी कोषागार के अधिकारियों को अनुदेश दे दिये थे । सरकार को इस संबंध की शिकायत नहीं मिली है कि इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि वे अनुदेश कब दिये गये थे ?

श्री त्यागी : जिस पत्र का मेरे माननीय मित्र संभवतः निर्देश कर रहे हैं उसे रिज़र्व बैंक में दूसरी जनवरी को जारी किया था ।

अध्यक्ष महोदय : किस वर्ष की ?

श्री त्यागी : प्रत्येक वर्ष की ।

अधिग्रहीत इमारतों सम्बन्धी दावे

*११७१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभाजन-पूर्व क्षतिपूर्ति दावा समिति ने सन् १९४२ में सेना अधिकारियों द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा इमारतों और जिसे १९४५ में सरकार ने स्थायी रूप से अधिग्रहीत कर लिया था, के संबंध में यह निर्णय किया कि ये पाकिस्तान सरकार के दायित्व हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो ऐसे दावों की राशि की वसूली के लिये क्या कार्य किया गया अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (**श्री गोपालस्वामी**) : (क) इस समिति ने यह रिपोर्ट की है कि अपना कार्य करने के लिये यह इसी आधार पर कार्य करती रही । उनका ऐसा करने का मुख्य कारण यह प्रतीत है कि यह संबंधित संपत्ति पाकिस्तान का भाग है; क्योंकि उन के अर्जन से होने वाला लाभ उसी सरकार को मिलता है अतः इस दायित्व को भी उसी सरकार को पूरा करना चाहिये ।

(ख) यह मानते हुए कि इनमें दायित्व पाकिस्तान सरकार है, इस मामले से संबंधित दावा करने वालों को क्षतिपूर्ति के लिये, जिसके विषय में अर्जित की हुई भूमि तथा संपत्ति के संबंध में उन्हीं के बीच समझौता हो, उसी सरकार से कहना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हमारी सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके द्वारा हम पाकिस्तान सरकार से इस क्षतिपूर्त्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा यह इस मामले से संबंधित व्यक्तियों द्वारा ही पूरी तरह से किया जाना है ?

श्री गोपालस्वामी : यह इस मामले से संबंधित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना है । जब हम से कोई आवेदन करेगा तो हम उन दावों को पूरा करने के लिये हम सद्प्रभाव का प्रयोग करेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

दियासलाई बनाने के लिये गन्धक का वितरण

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्धक तथा माल गाड़ी के डिब्बे दिये जाने के संबंध में क्या दक्षिण भारत दियासलाई निर्माण कर्त्ता संघ (साउथ इंडिय

मैन्युफ़ैक्चरिंग असोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो यह अभ्यावेदन किस तारीख को किया गया और यह किस प्रकार का था ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) दक्षिण के दियासलाई बनाने वालों को गन्धक देने की क्या पद्धति तथा व्यवस्था है ; तथा

(ङ) दियासलाई बनाने वालों को कच्चा माल लाने तथा तय्यार सामान के भेजने के लिये क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) गन्धक दिये जाने के संबंध में मंत्रालय को दक्षिण भारत स्वदेशी दियासलाई निर्माण कर्त्ता संघ से दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसी संघ का निर्देश कर रहे हैं।

माल के डब्बे दिये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अभी हाल ही में जब मैं मदुरा में था तो इस संघ ने गन्धक तथा माल गाड़ियों दोनों के संबंध में मुझ से निजि रूप से अभ्यावेदन किया;

(ख) तारीख ३१ मई, १९५२ तथा २ जून, १९५२ को उन्होंने जो अभ्यावेदन किया था उसमें संघ ने यह प्रार्थना की थी कि मैसर्स इम्पीरिल केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के पास गन्धक नहीं है और शिवकाशी में आई० सी० आई० के प्रतिनिधि को गन्धक दिये जाने के संबंध में आदेश दे दिये जायें जिससे कि वह बम्बई अथवा कलकत्ता के गन्धक के किसी व्यापारी से गन्धक खरीदकर दियासलाई के कारखानों को गन्धक दे सकें।

(ग) शिवकाशी में आई० सी० आई० के प्रतिनिधि को पर्याप्त मात्रा में गन्धक दिला दी गई थी और ११ जून, १९५२ को संघ को यह सूचित कर दिया गया था कि वे उन से मिलें।

(घ) दियासलाई के जो कोई भी कारखाने सरकार से गंधक प्राप्त करने के बारे में सहायता मांगते हैं, उनको अधिकृत व्यापारियों के पास जितना माल होता है उतना खरीदने की सलाह दी जाती है।

(ङ) चूंकि उस उद्योग ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर नहीं दिलाया कि उन्हें कच्चा माल लाने तथा तय्यार माल को भेजने में कोई बड़ी कठिनाई है अतः इसकी विशेष सुविधायें नहीं दी जाती हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या इस गन्धक का वितरण करने के संबंध में मैसर्स इम्पीरियल कैमीकल इंडस्ट्रीज़ को कोई एकाधिकार दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इन दियासलाई बनाने वालों को किसी और स्थान से गन्धक खरीदने से रोका जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी श्रीमान्, स्थिति यह है कि साफ़ की हुई गन्धक जिसकी दियासलाई बनाने वालों को आवश्यकता होती है, की आयात पर कोई नियंत्रण नहीं और यद्यपि सभी आयातकर्त्ता इसे स्वयं ही मंगाते हैं किंतु इसके वितरण पर सरकार नियंत्रण रखती है और कभी कभी कुछ व्यापारियों को कुछ क्षेत्र बांट दिये जाते हैं और यदि दियासलाई बनाने वालों को विशेष व्यापारियों से गन्धक मिलने में कठिनाई होती है तो सरकार इस बात का प्रबन्ध करती है कि उन्हें गन्धक अन्य व्यापारियों से मिल सके।

श्री बी० एस० मूर्ति : दियासलाई बनाने वालों को इम्पीरियल कैमीकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य स्थानों स गन्धक की अपेक्षित मात्रा को खरीदने की परमिट देने में सरकार को क्या बाधा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने यह बता दिया है कि इम्पीरियल कैमीकल इंडस्ट्रीज़ का एकाधिकार नहीं है । मद्रास की वैरी एण्ड कम्पनी ने १०० टन गन्धक का आयात किया है और दियासलाई बनाने वालों से कहा है कि वे उन से मिलें। मैं यह भी बता दूं कि हाल ही में जब मैं मदुरा में था तो मैं इस संघ के सदस्यों से मिला और वहां उनकी आवश्यकताओं पर बातें हुई और मैं जानता हूं कि गन्धक की स्थिति इतनी विषम नहीं है जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि माल गाड़ी के डिब्बे न मिलने के कारण इन कारखानों में लाखों रुपये का सामान रखा हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दियासलाई निर्माणकर्त्ता संघ ने जो बातें मुझे बताईं उनके अनुसार निस्संदेह इसमें कुछ कठिनाई है और जैसा कि मैंने कहा कि अब से कुछ दिन पहिले तक, जब कि मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था, इस मामले की ओर मेरे मंत्रालय का ध्यान नहीं दिलाया गया था । उनकी शिकायतों को इस बात से सम्बद्ध मंत्रालय के पास आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेजा जा रहा है । किंतु यह भी सत्य है कि इस समय जो माल गाड़ी के डिब्बे दिये जाने की व्यवस्था है उसके अनुसार समुचित प्राधिकारी द्वारा उन्हें कुछ माल के डिब्बे निश्चित रूप से दिये जाने का आश्वासन दे दिया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या यह सत्य नहीं है कि जितने माल के डिब्ब दिये जाने का वचन दिया गया था उतने उन्हें आज भी नहीं दिये जाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि आजकल देश में साफ की हुई गन्धक की कितनी मात्रा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इसके ठीक आंकड़े नहीं हैं। जैसा कि मैं ने कहा; साफ की हुई गन्धक पर अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री सम्मेलन द्वारा कोई नियंत्रण नहीं है और गन्धक खुले लाइसेंस द्वारा मंगाई जाने वाली चीज़ों में सम्मिलित है और इसका आयात हो रहा है यद्यपि यह उतना नहीं हो रहा जितनी की हमें आवश्यकता है । यदि दियासलाई बनाने वालों को साफ की हुई गन्धक न मिल सके तो उस दशा में, सरकार ने सल्फ़र यूज़र्स आर्गनाइज़ेशन को कच्ची गन्धक कुछ मात्रा में रख लेने के लिये कहा है ताकि वह उन्हें दी जा सके ।

श्री वेंलायुधन : श्रीमान्, मैं पूछ सकता हूं कि गन्धक की कमी के कारण दियासलाई के कितने कारखाने बन्द कर दिये गये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पूना में बढ़े हुए नगर भत्ते

*११६० **श्री नम्बियार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूना के किसी मज़दूर संघ से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिसमें इस बात

की प्रार्थना की गई हो कि पूना शहर को 'ख' क्षेत्र घोषित किया जाय, और यह कि सरकारी तथा अर्ध सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ नगर भत्ता मिलना चाहिये; तथा

(ख) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) मज़दूर संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है किंतु पूना के एक केन्द्रीय विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्मेलन में पारित किया गया संकल्प १९४९ में प्राप्त हुआ था।

(ख) हां। सरकार ने उस अभ्यावेदन पर उचित रूप से विचार किया। पूना को 'ख' क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता क्योंकि जन संख्या के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार पूना की जन संख्या पाच लाख से कम है।

सेना न्यायालय तथा जांच न्यायालय

*११६५. श्री **थिरानी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभाजन के बाद से भारतीय सेना में अपराधों की संख्या बढ़ गई है; यदि हां उसके कारण क्या हैं और इन्हें रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; तथा

(ख) वर्ष १९४८--५२ में अनुशासनीय मामलों के बारे में सेना न्यायालयों और जांच न्यायालयों पर लगभग कितना रुपया खर्च हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां। सेना में अपराधों की वृद्धि इन कारणों से हुई है :

(१) कुछेक यूनिटों में कम अनुभवी सेनापतियों का होना।

(२) विभाजन के बाद अधिकारियों की कमी।

(३) कुछ नान-रेग्युलर अधिकारियों का रवैया।

इसके उपाय के लिये--

(१) सैनिक टुकड़ियों में अधिक रेगुलर और अनुभवी अधिकारी नियुक्त किये जारहे हैं।

(२) अधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिये निदेश दिये गये हैं और दिये जा रहे हैं, और

(३) अनुशासनीय मामलों को देखकर जहां जहां दोष पाया गया है उसके बारे में नियमों को और कठोर बना दिया गया है और बनाया जा रहा है।

(ख) सेना न्यायालयों और जांच न्यायालयों पर जो खर्च हुआ है उसके बारे में आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि यह सैनिक कर्मचारियों के सामान्य कृत्यों में शामिल हैं। जो कुछ भी ऊपर खर्चा होता है वह केवल उन गवाहों के लाने ले जाने पर होता है जो बाहर होते हैं, परन्तु चूंकि इसका कोई अलग लेखा नहीं रखा जाता, इसलिये कोई आंकड़े नहीं दिए जा सकते।

छात्र वृत्ति के लिए हरिजन छात्रों का चुनाव

*११३८. **डा० सत्यवादी** : (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि छात्र-वृत्तियां देने के लिये हरिजन छात्रों के चुनाव की प्रणाली क्या है और चुनाव का आधार क्या है ; तथा

(ख) क्या इन अभ्यर्थियों के चुनाव में इस सदन के हरिजन सदस्यों को भी विश्वास में लिया जाता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियां अनुसूचित जातियों अनुसूचित

आदिम जातियों तथा अन्य अनुन्नत जातियों के छात्रवृत्ति बोर्ड की सिपारिशों पर दी जाती हैं । इन छात्र वृत्तियों से संबंधित विनियमों की एक प्रति, जिसमें इस चुनाव का आधार दिया हुआ है, सदन पटल पर रखीं जाती है [**देखिये परिशिष्ठ ६, अनुबन्ब संख्या २**]

(ख) जी हां श्रीमान । इस सदन के अनुसूचित जातियों के तीन सदस्य उस बोर्ड के सदस्य हैं ।

रक्षा सेनाओं में विदेशी पदाधिकारी

*११७२. श्री **एच० एन० मखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री भारतीय सेना, नौ-सेना तथा वायु सेना में इस समय काम करने वाले विदेशी पदाधिकारियों की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें बताने की कृपा करेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री **गोपालस्वामी**) : एक विवरण, जिसमें उपलब्धियां दी हुई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ठ ६, अनुबन्ध संख्या ३**]

विदेशी पदाधिकारियों को एक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये ठेके पर रखा जाता है । और उन की सेवा एक वर्ष का सेवा काल पूरा हो जाने पर सामान्य रूप से दोनों ओर से तीन महीने की पूर्व सूचना देने पर समाप्त की जा सकती है । प्रवृत्त नियमों के अनुसार उन्हें छुट्टी मिल सकती है तथा वे और उनके परिवार इंगलैंड को मुफ्त जा सकते हैं और मुफ्त वापिस आ सकते हैं ।

मैसूर राज्य में सेनाओं का विघटन

*११७३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सेनाओं के एकीकरण के कारण मैसूर में कितने व्यक्ति और किस श्रेणी के व्यक्तियों का विघटन किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री **गोपालस्वामी**) : (१) ५१ अधिकारी ;

(२) ७६ जनियर कमीशंड अधिकारी

(३) १,८२७ अन्य श्रेणी के कर्मचारी ; तथा

(४) ५०० अयोद्धा (नान-काम्बेटेंट्स) (पंजीबद्ध) तथा असैनिक ।

मोंनेजाइट

*११७४. **श्री मात्तन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन सरकार को अलवाये की रेयर अर्थस् कम्पनी को मोनोज़ाइट किस मूल्य पर देने को राजी कर लिया है, वह कितनी मात्रा में दिया जायगा तथा उस ठेके की अवधि क्या है और जब से यह ठेका हुआ उस समय से अन्यत्र के मूल्यों की तुलना में यह मूल्य कैसा है; तथा

(ख) विश्व मूल्यों में, जो ठेके किये गये मूल्य से लगभग दस गुना है, महान् समानता को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार का विचार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने तथा त्रावनकोर-कोचीन सरकार के लिये न्याय संगत तथा उचित मूल्य निर्धारित करने का है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) इंडियन रेयर अर्थस् कम्पनी पर संघ तथा त्रावनकोर-कोचीन दोनों का संयुक्त रूप से स्वामित्व है । अवलाये में इसके कारखाने को मोनाजाइट देना तो वहां सामग्री को स्थानान्तरण के रूप में होता है और विश्व मूल्यों से इसकी तुलना करना संगत नहीं है ।

(ख) यह बात सत्य नहीं है कि विश्व मूल्य, ठेके गये मूल्य से, जिस पर कि अलवाये कारखाना इसे प्राप्त करता है, लगभग दस गुना है ।

शिक्षा के लिये अनुदान

*११७५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों को शिक्षा के लिये अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : शिक्षा के लिये राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान, के स्वरूप के अनुसार भिन्न होते हैं । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४**]

सेना के डेरी फार्म

*११७६. **श्री कजरोलकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सेना के डेरी फ़ार्मों की संख्या कितनी है तथा वे केन्द्र कौन से हैं जहां पर वे हैं ;

(ख) ऐसे डेरी फ़ार्मों का कुल उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या यह उत्पादन सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन होता है उसे असैनिकों के उपभोग के लिये दे दिया जाता है ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या इस कमी को बाज़ार से दूध तथा डेरी की बनी चीज़ों को खरीद कर पूरा किया जाता है ; तथा

(च) क्या सरकार ने यह देखने के लिये कि सेना के डेरी फ़ार्म बचत के साथ चलाये जा रहे हैं, उत्पादन व्यय की, जहां ये सेना के डेरी फ़ार्म हैं, उस क्षेत्र के असैनिक डेरी फ़ार्मों से तुलना की है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) सेना के डेरी फ़ार्म २६ हैं जो निम्न लिखित केन्द्रों में स्थित हैं :

अहमदनगर, बेलगांव, बंगलौर, देवलाली, जबलपुर, कल्यान, किरकी, पिम्प्री, सिकन्दराबाद, वैलिंगटन, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नमकोम, पान्नागढ, अम्बाला, दिल्ली छावनी, फ़ीरोज़पुर, जालन्धर, मऊ तथा पठानकोट ।

(ख) इन डेरी फ़ार्मों में लगभग ३१,००० पौंड गाय का दूध तथा लगभग ६५,००० पौंड भैंस का दूध प्रतिदिन होता है ।

(ग) नहीं । यह प्रतिदिन आवश्यकता से ५,००० पौंड कम होता है ।

(छ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) हां, श्रीमान् ।

(च) असैनिक डेरी फ़ार्म उसी प्रकार बनी हुई चीज़ों को जिन मूल्यों पर बेचते हैं उसकी तुलना में ये मूल्य भी वैसा ही है ।

सैनिक पर्षद् आदि

*११७७. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सैनिक, नौसैनिक तथा वायु सैनिक पर्षद (सोलजर्स, सेलर्स एण्ड एयरमैंस बोर्ड) की रचना तथा कार्य क्या है ; तथा

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट बोर्ड पर वार्षिक व्यय कितना होता है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ५**]

(ख) इस बोर्ड पर प्रति वर्ष लगभग ९०,००० रुपये व्यय होते हैं ।

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*११७८. **श्री एन० प्रभाकर :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि दिल्ली विश्व विद्यालय के ऐसे हरिजन छात्रों की संख्या क्या है, जिन को सरकार की ओर से छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं ?

(ख) इस काम में कितनी धन राशि दी गई थी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सन् १९४४-४५ से, जब यह अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां देने की योजना चलाई गई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय के ६७ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ।

(ख) ४२,८८५ रुपये ।

किरकी और जबलपुर का युद्धोपकरण फैक्टरियां

*११७९ **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किरकी तथा जबलपुर के पुलगांव डिपो या देहू रोड डिपो की युद्धोपकरण फैक्टरियों के कर्मचारियों को हटाने की कोई प्रस्तावना है ; तथा

(ख) यदि है, तो इस में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपाल स्वामी) : (क) तथा (ख) । 'कर्मचारियों को हटाने' से शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय कर्मचारियों की संख्या में कमी करने से है । काम सदा एक सा नहीं रहता और यह समय समय पर बदलता रहता है । परिणामतः स्थापनाओं में समय समय पर समायोजन होता रहता है । यदि किसी एक केन्द्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपेक्षित संख्या के अतिरिक्त होता है तो उसे पास के दूसरे स्थापना केन्द्रों में लगाने के सब प्रयत्न किये जाते हैं । देहू रोड डिपो को छोड़कर, जिसका मामला विचाराधीन है, इन उल्लिखित स्थानों में से किसी में भी कर्मचारियों को कम करने की इस समय कोई प्रस्तावना नहीं है । उनकी सख्या में, यदि कोई कमी की जायगी तो कितनी कमी की जायगी यह इस बात पर निर्भर होगी कि अतिरिक्त कर्मचारियों में से कितनों को अन्य स्थानों पर लगाया जा सकता है ।

सूर्य की किरणों से भोजन पकानेवाले यंत्र सोलर कुकर्स

*११८०. **श्री राम दास : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सूर्य की किरणों से भोजन पकाने वाले यंत्रों को लोक प्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; तथा

(ख) क्या इन सूर्य किरणों से भोजन पकाने वाले यंत्रों से रात में अथवा बादल होने पर काम लिया जा सकता है ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) इन पर अभी प्रयोगशालाओं में परीक्षण हो रहे हैं और इन परीक्षणों के परिणाम जन साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित कर दिये जायेंगे ।

(ख) यदि माननीय सदस्य ने इस यंत्र के नाम पर ध्यान दिया होता; तो संभवतः वे इस प्रश्न को नहीं पूछते ।

अनुसन्धान संस्थायें

*११८१. **श्री बी० एन० राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किसी नये खाद्य पदार्थ को खोज निकालने के संबंध में क्या कोई अनुसंधान किये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं, तथा

(ख) मकानों तथा यातायात में फौलाद तथा लोहे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकने वाली चीजों के संबंध में क्या कोई अनुसंधान हुए हैं तथा उनके परिणाम क्या रहे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६**]

(ख) मकानों तथा यातायात में फौलाद तथा लोहे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकने वाली चीजों के संबंध में राष्ट्रीय प्रयोगशाला में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है । टिटेनियम धातु तथा मिश्रित धातुओं को प्रयुक्त किये जा सकने के संबंध में अनुसंधान हो रही है ।

हिन्दी वैज्ञानिक पर्षद पारिभाषिक शब्दावली

*११८२. **श्री राम दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हिंदी वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावलि पर्षद को सहायता देने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समितियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इस पर्षद ने अब तक कोई रपोर्ट प्रस्तुत की है ; तथा

(ग) बोर्ड द्वारा इस योजना को कब कार्यान्वित करने की आशा की जाती है ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) दस ।

(ख) तथा (ग) इस समय इस पर्षद द्वारा किसी रिपोर्ट को प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न ही नहीं है । इसकी सिपारिश पर विभिन्न विज्ञानों की १० समितियां तथा भाषा विज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई है और उन्हें जो कार्य सौंपा गया है उसे वे कर रही हैं । इन समितियों के पद प्रदर्शन के हेतु इस बोर्ड ने कुछ सामान्य सिद्धांत बनाये हैं और कार्य इन्हीं के अनुसार हो रहा है । यह एक बहुत बड़ा कार्य है और इसको पूरा करने में कई वर्ष लगेंगे ।

सार्जेन्ट आयोग प्रतिवेदन

२५०. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा विकास पर सार्जेन्ट आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि कुछ राज्यों ने उस रिपोर्ट को अंगीकार नहीं किया है ?

(ग) यदि किया है, तो वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने उक्त रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया है और वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को अंगीकार नहीं किया ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास, १९४४ (जो सार्जेंट रिपोर्ट भी कहलाती है) पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की रिपोर्ट में की गई सिपारिशों को सामान्य रूप से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने स्वीकार कर

लिया है और उन्हें शनैः शनैः कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पजाब प्रोविंशियल कोपरेटिव बैंक लाहौर से लिया जाने वाला धन

२५१. **श्री राम दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४७ में विभाजन के समय पंजाब (भारत) की सहकारी संस्थाओं को पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंशियल-कोपरेटिव बेंक लिमिटेड, लाहौर से कितना धन मिलना है ; ;

(ख) इसमें से कितना धन मार्च, १९५२ तक वसूल कर लिया गया है ;

(ग) शेष धन को वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ;

(घ) उन सहकारी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनको यह वसूल किया हुआ धन बांट दिया गया है, और उनमें से प्रत्येक को कितना धन दिया गया है ,

(ङ) उन सहकारी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पुनः भुगतान कर दिया गया है ; तथा

(च) क्या सरकार का विचार भाग (ङ) में निर्दिष्ट संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) अगस्त, १९४८ में दोनों पंजाबों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों द्वारा लेन देन का जो अन्तरिम विवरण तय्यार किया गया था उसके अनुसार, भारत के पंजाब द्वारा पाकिस्तान के पंजाब को दिये जाने वाले ६९ लाख रुपयों का समायोजन करके, पाकिस्तान के पंजाब द्वारा भारत के पंजाब को कुल २२६ लाख रुपये देने थे । जब तक कि सभी दावों का सत्यापन नहीं हो जाता तथा अन्तिम संतुलन लेखा तय्यार नहीं हो जाता, तब तक वसूल किये जाने वाले वास्तविक धन को निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

(ख) १,४५,६५,५०० रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां प्राप्त हो गई हैं ।

(ग) शेष धन तो केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी दावों का सत्यापन हो जाय और जो वास्तविक धन अभी लिया जाना है उसे निश्चित कर दिया जाय । दोनों पंजाबों की सहकारी समितियों के के रजिस्ट्रारों के निदेशों के अन्तर्गत सत्यापन के कार्य में प्रगति हो रही है ।

(घ) तथा (ङ) । एक विवरण, जिसमें भारत के पंजाब की सहकारी संस्थाओं के बीच १,०४,६५,५०० रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों का वितरण दिया हुआ है, सम्बद्ध किया जाता है । बकाया ४१ लाख रुपये किस प्रकार बांटे गये हैं इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(च) नहीं ।

भारत यू० एस० प्राविधिक सहयोग समझौता

२५२. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत यू० एस० प्राविधिक सहयोग समझौते के पद ; तथा

(ख) इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किये गये थे ?

बित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) । माननीय सदस्य का ध्यान २१ फरवरी १९५२ की तारांकित प्रश्न संख्या १५७ के विषय में दिये गये मेरे उत्तर की ओर दिलाया जाता है, जब कि उस समझौते की एक प्रति सदन पटल पर रख दी गई थी ।

भारत यू० एस० प्राविधिक सहयोग समझौता (कार्य सम्पादन सम्बधी समझौता)

२५३. **श्री एन० एल० जोशी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत यू० एस० प्राविधिक सहयोग समझौते के अधीन अब तक कितने कार्य संपादन संबंधी समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

(ख) क्या सरकार इन में से प्रत्येक समझौते की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) ग्यारह कार्य संपादन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(ख) ११ जून, १९५२ को प्रश्न संख्या ७१३ के उत्तर में आठ समझौते सदन पटल पर रख दिये गये थे । शेष तीन समझौतों की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाती हैं । **[प्रतियां पुस्तकालय में रख दो गई हैं । देखिए संख्या पी०-५४/५२]**

विदेशी सहायता तथा ऋण

२५४. श्री **बादशाह गुप्ता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत १९५२ की मई की समाप्ति तक बहुत से विदेशों से रुपयों के रूप में क्या सहायता तथा ऋण मिले ;

(ख) उपरोक्त सहायता तथा ऋण कितनी किस्तों में दिये जायेंगे ;

(ग) १९५२-५३ में उस सहायता के रूप में कितना धन दिया जायगा ; तथा

(घ) कितने काल के दौरान में इन किस्तों का भुगतान किया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग) में एक विवरण, जिसमें विस्तृत बातें दी हुई हैं; सदन पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ९]**

(घ) ३० जून, १९५७ तक कोई भुगतान नहीं किया जाना है ।

भूतपर्व भारतीय रियासतों के सिक्के

१५५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों की संख्या कितनी है जहाँ भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सिक्के अब भी चलते हैं ;

(ख) भूतपूर्व रियासतों के सिक्कों के स्थान पर भारत संघ के सिक्के चलाने के परिणाम स्वरूप क्या कोई हानि हुई है ; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार एक विवरण, जिसमें भूतपूर्व रियासतों के विभिन्न मूल्यों के सिक्कों, जिन के स्थान पर पहले ही भारत संघ के सिक्के चलने लगे हैं, की सूचना दी हुई हो, सदन पटल पर रखने का है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) (क) चार, अर्थात्. मध्य भारत, राजस्थान हैदराबाद तथा त्रावनकोर-कोचीन ।

(ख) जब तक भूतपूर्व रियासतों के सिक्कों के प्रचलन का पूरी तरह से बन्द नहीं हो जाता , तब तक भूतपूर्व रियासतों के सिक्कों के स्थान भारतीय सिक्कों को चलाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार होने वाली हानि का , यदि कोई हो तो, निर्धारण संभव नहीं होगा ।

(ग) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक कुच्छ (भुज) रियासत की कौडियों, पुदुकोट्टई रियासत के अम्मकासू तथा कोम्बे रियासत के पैसे के प्रचलन को बन्द कर दिया गया है । भाग 'ख' राज्य (विधियां) अधिनियम १९५१, के उपबन्धों के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि १ अप्रैल, १९५१ को चलने वाले सिक्के ३१ मार्च १९५३ तक उन्हीं रियासतों में वैध सिक्के माने जायेंगे ।

अशोधित जस्ता

२५६. श्री **बलवन्त सिन्हा महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के बाहर अशोधित जस्ता उद्योग के संयत्र कहां हैं और उनकी उत्पादन क्षमता और मूल्य कितने हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : एक विवरण, जिसमें प्राप्त सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या १०]**

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

२५७. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा क्रमशः व्यापार के लिये कितना धन ऋण के रूप में दिया गया तथा इन दोनों मामलों में ऋण लेने वालों की संख्या कितनी है ;

(ख) पश्चिमी बंगाल के उन ऋण लेने वालों की संख्या कितनी है जो उन ऋणों पर दी जाने वाली किस्तें नहीं दी हैं, तथा

(ग) ऐसे किस्त न देने वाले व्यक्तियों के सम्बंध में क्या कार्यवाही, यदि कोई, की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) पुनर्वास वित्त प्रशासन व्यापार तथा औद्योगिक कार्यों दोनों के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में कार्य करता है किंतु पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार तथा औद्योगिक कार्यों के लिये दिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में पृथक पृथक आंकड़े नहीं रखता । ३१ मई, १९५२ एक पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की कुल राशि तथा प्रत्येक मामले से सम्बन्धित ऋणी व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

	ऋण लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	मंजूर किया गया धन
पश्चिमी पाकिस्तान	३८९१	३.४१ करोड़ रुपये
पूर्वी पाकिस्तान	१६५६	१.०४ करोड़ रुपये
कुल योग	५५४७	४.४५करोड़ रुपये

(ख) लगभग २३२ पश्चिमी बंगाल के ऋण लेने वाले व्यक्तियों ने, जिनको अपनी किस्तों का पुनः भुगतान ३१ दिसम्बर १९५१ को अथवा इससे पहिले करना था, इन किस्तों को ३१ मार्च, १९५२ तक नहीं दिया था ।

(ग) ऐसे किस्त न देने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही प्रत्येक मामले के गुण दोषों पर निर्भर करती है । यदि उधार खाता सन्तोषजनक रूप से चलता रहता है तो पुनर्वास वित्त प्रशासन इस मामले से सम्बद्ध व्यक्तियों को अपना बकाया देने के लिये याद दिलाता रहता है; जब लिये जाने वाले धन को याद दिलाने या कहने से वसूल किये जाने के सम्बंध में सब प्रयत्न असफल रहते हैं तो कलैक्टर से इन किस्तों को भू-राजस्व में से बकाया के रुप में वसूल करने के लिये कहा जाता है और मामलों में, जहां ये किस्तें भी बकाया रह जाती हैं तथा उधार खाता भी असन्तोष जनक रूप से चलता है और जब इस बात की कोई संभावना नहीं होती कि ऋणी व्यक्ति अपने आर्थिक मामलों को सुधार

सकता है तो पूरा ऋण वापिस मांगा जाता है और प्रशासन द्वारा लिये जाने वाले धन को वसूल करने में कलैक्टर की सहायता ली जाती है; कुछ मामलों में इस बात से सम्बंधित व्यक्ति के साथ ऐसी व्यवस्था कर ली जाती है जिसके अन्तर्गत वह इस समझौते में उपबन्धित शर्तों की अपेक्षा प्रशासन को किस्तें आसानी से दे सकता है।

दियासलाई उद्योग से उत्पादन राजस्व

२५८. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४८-४९, १९४९-५०, तथा १९५०-५१ में दियासलाई उद्योग से भारत सरकार को कितना उत्पादन राजस्व प्राप्त हुआ था ; तथा

(ख) उत्पादन शुल्क में हिस्सा होने के कारण उन वर्षों में सम्बद्ध राज्यों को कितना धन दिया गया था ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सन् १९४८-४९ से १९५०-५१ में दियासलाई उद्योग से कुल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इस प्रकार है :

वर्ष	रुपये (०००)
१९४८-४९	७,२५,४४
१९४९-५०	७,३०,८५
१९५०-५१	८,०१,५१

(ख) संभवतः माननीय सदस्य सन् १९४८-४९ से १९५०-५१ तक के वर्षों में दियासलाई उत्पादन शुल्क की आय में से भूतपूर्व 'भारतीय रियासतों को दिये गये धन का निर्देश कर रहे हैं जो उस प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत था जो भारत सरकार तथा उन रियासतों के बीच दियासलाई के उत्पादन राजस्व को, जो अपने अपने क्षेत्राधिकार में अपने उत्पादन विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता है था, समूहीकरण करने तथा आपस में बांट लेने के लिये था। इन वर्षों में इन राज्यों को भुगतान किये जाने के लिये अधिकृत कुल राशि इस प्रकार है।

वर्ष	राशि
१९४८-४९	१,२६,४२,६२२
१९४९-५०	१,१०,६९,४७०
१९५०-५१	कुछ नहीं

२. चूंकि उपरोक्त समूहीकरण व्यवस्था पहिली अप्रैल, १९५० से समाप्त हो गई, जिस तारीख से भूतपूर्व भारतीय रियासतों के क्षेत्राधिकार में दियासलाई उत्पादन विभाग का, फ़ेडरल वित्तीय एकीकरण के अनुसार, भारत सरकार ने पूर्ण रूप से कार्य भार ले लिया, अतः इनमें से कोई रियासत या उनके उत्तराधिकारी भाग 'ख' राज्य उस तारीख से हिस्से के रूप में कुछ नहीं ले सकते। जम्मू तथा काश्मीर के मामले में, समूहीकरण व्यवस्था केवल पहिली अप्रैल, १९५१ से समाप्त की गई थी।

कूच बिहार के कर्मचारी

२५९. **श्री बर्मन : क्या वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कूच बिहार राज्य के सन् १९५० में भारत से विलयन किये जाने से पूर्व तम्बाकू उत्पादन शुल्क तथा भूसीमा-शुल्क एकत्रित करने के काम में लगे हुए कूच-बिहार राज्य के (स्थायी तथा अस्थायी) कर्मचारियों की सख्या कितनी थी ; तथा

(ख) केन्द्रीय सेवाओं में लगा लिये गये ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वित राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) संविलयन से पहिले तम्बाकू उत्पादन शुल्क तथा भूसीमा शुल्क एकत्रित करने के काम में लगे हुए कूच बिहार राज्य के, चतुर्थ

श्रेणी के कर्मचारियों को मिलाकर (स्थायी तथा अस्थायी दोनों), कर्मचारियों की संख्या १५६ थी।

(ख) राज्य के १२४ कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की उपयुक्त सेवाओं में लगा लिया गया है।

आयकर जांच आयोग

२६०. **श्री के० के० बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) (दिसम्बर १९५१ से मई १९५२ के अन्त तक आयकर जांच आयोग द्वारा कितने मामलों पर विचार हुआ ;

(ख) इसी काल में आयोग ने कुल कितना कर इकट्ठा किया ;

(ग) कितने मामलों में कर से बचने का अपराध सिद्ध हुआ और अपराधियों को दंड मिला ; और

(घ) मंत्री महोदय की अपील के बाद अपनी इच्छा से सूचना देने के फ़लस्वरूप कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) १ जनवरी, १९५२ से ३१ मई, १९५२ तक आयोग ने ६९ मामले निपटाये।

(ख) आयोग कर वसूल नहीं करता इसी काल में आयोग द्वारा निपटाये गये मामलों के संबन्ध में आयकर विभाग ने १ करोड़ ६६ लाख रुपया आयकर के रूप में वसूल किया।

(ग) आयोग के स्थापित होने के समय से उन मामलों की संख्या ७१८ है जिनमें यह पता लगा है कि आय छिपाई गई है। २३ मामलों में यह पता लगा कि आय नहीं छिपाई।

निबटारे के आधार पर ६२० मामले निबटा दिये गये हैं। ऐसे मामलों में आयोग द्वारा सामान्यतः केवल साधारण सा अर्थ दण्ड दिया जाता है अथवा दिये जाने की सिफ़ारिश की जाती है क्योंकि कुछ सीमा तक तो यह निबटारा कर दाता द्वारा बताई गई बातों के आधार पर होता और कुछ इस आधार पर होता है कि नियमित अनुसन्धान से छिपी हुई आय, जिसे कर दाता स्वीकार कर लेता है, मालूम हो जाती है।

नियमित अनुसन्धान के आधार पर निबटाये १२१ मामलों में अर्थ दण्ड सदैव आयकर अधिनियम तथा अतिरिक्त लाभ कर अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाता है और इसमें बहुत कम अपवाद होते हैं और वह भी तब होते हैं जब कि स्वयं आयोग या तो आंशिक या कोई अर्थ-दण्ड नहीं देता।

निबटारें और अनुसन्धान वाले मामलों का विवरण यह है।

	निबटाये गये मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त छिपी हुई आय	अन्तर्ग्रस्त कर
		रुपये	रुपये
निबटारा	६२०	२९ करोड़ ४२ लाख	१६ करोड़ ३७ लाख
अनुसन्धान	१२१	४ करोड़ ३४ लाख	३ करोड़ १ लाख
कुल योग	७४१	३३ करोड़ ७६ लाख	१९ करोड़ ३८ लाख

(घ) अपनी इच्छा बतलाने वाले मामलों में १९५२ की मई की समाप्ति तक प्राप्त हुई कुल राशि ४ करोड़ ६७ लाख रुपये है।

केन्द्रीय सरकार के अधीन विधि अधिकारी

२६१. **श्री के० के० बसु** : क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) तथा महा वादेशिक (सालिसिटर जनरल) के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ज्येष्ट विधि अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे अधिकारियों के नाम तथा वे पद जिन पर वे नियुक्त हैं ;

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों में से कोई अधिकारी सालिसिटर के रुप में वकालत करता था ; तथा

(घ) ऐसे पद की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं ?

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जहां तक विध मंत्रालय का सम्बन्ध है, दो अधिकारी है।

(ख) श्री एम० वी० जयकर, जो बम्बई में केन्द्रीय सरकार के सालिसिटर हैं तथा श्री एस० के० मण्डल, जो कलकत्ते में केन्द्रीय सरकार के सोलिसिटर हैं।

(ग) हां। दोनों ही।

(घ) (१) **कार्यकाल** :

ये सालिसिटर ठेके के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। कलकत्ता के सालिसिटर को अनिश्चित काल के लिये नियुक्त किया जाता है तथा बम्बई के सालिसिटर को ५ वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जाता और भारत सरकार की सम्मति के अनुसार यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। कुछ परिस्थियों में सेवाओं को समाप्त करने की व्यवस्था का भी उपबन्ध है।

(२) **कर्त्तव्य** :

न्यायालय के सब मुकदमों को मिला कर बम्बई और कलकत्ता में व्यवहार विधि सम्बन्धी अभियोगों की पैरवी करना, राज्य रेलवे प्रशासन को (यदि आवश्यक हो) परामर्श देना, और बम्बई और कलकत्ते में स्थित केन्द्रीय सरकारी विभागों को परामर्श देना और ऐसे विभागों के सम्पति हस्तान्तर कार्य करना तथा ऐसे विभागों के अपराधिक कार्यों में परामर्श देना है।

(३) **पारिश्रमिक** :

इन दोनों पदाधिकारियों में से प्रत्येक को १,००० रुपये मासिक प्रतिधारण शुल्क दिया जाता है। कलकत्ते के सालिसिटर को १५० रुपये कार्यालय के मासिक भत्ते को छोड़ कर इस धन में, सरकार की ओर से किये जाने वाले कार्य के विषय में भारतीय लाभ या उपलब्ध राशि, और कर्मचारी वर्ग, कार्यालय किराया, टेलीफ़ोन, डाकव्यय तथा अन्य स्थापना प्रभार सम्मिलित हैं। दीवानी के मुकदमों में केन्द्रीय सरकार को सालिसिटर की फ़ीस के रूप में दिलाये गये सारे खर्च की राशि भी सालिसिटर ग्रहण करने का अधिकार भी है, यदि ऐसे खर्च सम्बन्धित पक्ष से वसूल किये जाते हैं। और सम्पत्ति हस्तान्तरण के विषय में सोलिसिटर की सारी फ़ीस भी लेने का अधिकार है, जो उस पक्ष से वसूल की जाय जो उस खर्च का देनदार है। अस्थायी व्यवस्था के रुप में कलकत्ते के सालिसिटर को ५०० रुपये महीने अतिरिक्त कार्यालय भत्ता भी दिया जाता है। और बम्बई के सालिसिटर को १५० रुपये महीना अतिरिक्त कार्यालय भत्ता दिया जाता है।

(४) **सामान्य** :

इन सालिसिटरों को गैर सरकारी वकालत करने का अधिकार है।

Wednesday, 25 June 1952

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, २५ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-२० म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

अमरीकी वायुयानों द्वारा यालू के विद्युत संयन्त्रों पर बम बर्षा

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपालन ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना भेजी है जिसमें यालू नदी के विद्युत संयंत्रों पर अमरीकी वायुयान की बम वर्षा के फलस्वरूप युद्ध के चीन तथा सारी दुनिया में फैल जाने की आशंका प्रकट की गई है। मुझे खेद है कि बहुत से स्थगन प्रस्तावों की सूचना इस सम्बन्ध में नियमों की उचित जानकारी के बिना दी जाती है। मैं चाहता हूं कि सदस्यगण इस संबंध में नियमों को अच्छी प्रकार पढ़। अब इस प्रस्ताव विशेष में विषय का निश्चित रूप से वर्णन नहीं किया गया है। दूसरी कठिनाई यह है कि जिन तथ्यों पर विषय का आधार है, उनका वर्णन नहीं किया गया है। प्रत्येक अवस्था में यह अधिक अच्छा होगा कि सदस्य अल्प-सूचना प्रश्न पूछ

कर सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लें। श्री मूर का प्रश्न है कि क्या हम समाचारपत्रों की रिपोर्टों को तथ्य विचार नहीं कर सकते ? निश्चय ही नहीं। सदा से प्रथा यही रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसी रिपोर्टें ठीक ही हों।

अतएव मैं इस प्रस्ताव विशेष को स्वीकृति देने का कोई औचित्य नहीं देख पाता।

सदन से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मुझे यह विषय जान रिचर्डसन से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सोमवार, २३ जून १९५२ से लेकर सत्र के शेष काल तक के लिए सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की है।

क्या सदन उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करता है ?

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

सामान्य आय-व्ययक—अनुदानों की मांगें

मांग संख्या ५४—गृहकाय मंत्रालय—

७४,६३,००० रुपये

,, ५५—मंत्रिमंडल—

१६,७३,००० रुपये

,, ५६—दिल्ली—

८४,८४,००० रुपये

मांग संख्या ५७--पुलिस--
४६,४०,००० रुपये

" ५८--जनगणना--
१२,४६,००० रुपये

" ५९--गृहकार्य मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय--६,०१,००० रुपये

" ६०--अंडमान तथा निकोबार द्वीप--१,०५,३९,००० रुपये

" १२०--गृहकार्य मंत्रालय पर पूंजी व्यय--१५,९०,००० रुपये

अध्यक्ष महोदय: माननीय विधि मंत्री के स्पष्टीकरण से पता चलता है कि विभागों तथा मंत्रालयों में परिवर्तन हो जाने से प्रधान मंत्रियों के समझौते को सफलतापूर्ण ढंग से कार्यान्वित न कर सकने के बारे में जिस कटौती प्रस्ताव की सूचना दी गई है, उसे अब २७ तारीख को प्रस्तुत की जाने वाली मांग के अन्तर्गत बहस में लाया जायेगा ।

नागरिक रक्षा के लिए समुचित धन-व्यवस्था का अभाव

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

नीति

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अधिकारियों द्वारा निवारक निरोध सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वित किया जाना

श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता

श्री वीरस्वामी (मयूरम--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सहायकों (चतुर्थ श्रेणी) के बारे में केन्द्रीय सचिवालय के पुनर्गठन तथा पुनर्प्रवर्त्तन योजना के कार्यान्वित किये जाने के परिणाम

श्री वल्लातरास (पुदुकोटै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

केन्द्रीय सचिवालय में नियुक्त विस्थापित व्यक्तियों का स्थायीकरण

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नागरिक स्वतन्त्रता का हनन

श्री आर० एन० दास० देव (कालाहांडी-बोलनगिर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अनुसूचित आदिमजातियों की हालत में सुधार

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

शान्ति काल में सुरक्षा बलों के लिए सामाजिक-आर्थिक योग देने सम्बन्धी योजना बनाने में असमर्थता

श्री यू० सी० पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'मंत्रिमण्डल' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

प्रशासन का विकेन्द्रीकरण

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'मंत्रिमंडल' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

मई, १९५२ के अन्त में एक प्रस्तावित अन्तर्जातीय विवाह के सम्बन्ध में हुए उपद्रव को रोकने में पुलिस की असमर्थता

श्री वल्ला तरदास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'दिल्ली' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विज़ियानगरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'पुलिस' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

आंग्ल-भारतीय समुदाय को विशेषता तथा अल्पसंख्यकों को सामान्यता संविधान में दी गई प्रत्याभूतियां

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

पुलिस के सामान्य कर्मचारियों में भ्रष्टाचार तथा घूस

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अनुसूचित जातियों की अवस्था

श्री बहादुर सिंह (फ़िरोज़पुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

श्री जाटव-वीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नागरिक स्वतन्त्रता—निवारक निरोध अधिनियम तथा प्रेस विधियों के विशेष निर्देश में

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नीति

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जनजातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

अध्यक्ष महोदय : सदन अब इन मांगों पर चर्चा को आरम्भ करेगा। माननीय मंत्री ५-१५ पर चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री बहादुर सिंह : भारत की अनूसूचित जातियों की हालत के बारे में कुछ कहने से पहिले में प्रजातन्त्र तथा लौकिक वाद के सम्बन्ध में कुछेक शब्द कहना चाहता हूं। यद्यपि कांग्रेस तथा इस के सब से बड़े नेता सदैव प्रजातन्त्र तथा लौकिक वाद का राग अलापते रहते हैं, तो भी हमारी पुण्य भूमि में लोकतन्त्रवाद का एक पाखण्ड बन कर रह गया है। वास्तव में लोकतन्त्रवाद तथा लौकिकवाद का नारा वास्तविक स्थिति को छुपाने के लिये ही लगाया जा रहा है जिस में लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों तथा व्यवहार को कुचल कर रख दिया गया है। देश में इस शान्ति के समय में भी धारा १४४ तथा निवारक निरोध अधिनियम से काम लिया जा रहा है। श्रीमान्, स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता का अब दूसरा नाम है पैदल, घुड़सवार सेना तथा फ़ौजी तोपखाने। मैं पूछ सकता हूं कि यदि हमारे यहां सचमुच लौकिकवाद ही है तो पिछड़े वर्गों को विशेष अधिकार दे कर धार्मिक विभेद क्यों किया जा रहा है? जहां हिन्दू तथा सिख जातियों के पिछड़े वर्गों को विशेष अधिकार दिये गये हैं, वहां मुसलमानों, ईसाइयों तथा बौधो की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है। क्या लौकिकवाद की ठीक परख यह नहीं है कि शासन करने वाला दल आर्थिक अवस्था में सुधार की बात को विशेष अधिकारों के प्रदान करने में कसौटी बनाता?

अब यदि किसी अनुसूचित जाति का कोई सदस्य स्वयं को हिन्दू नहीं कहता तो वह उन सब विशेष अधिकारों से वंचित रह जाता है जो संविधान में उसे दिये गये हैं। उन्हें यह विशेष अधिकार इस लिये नहीं दिये गये कि वे किसी धर्म के अन्याई नहीं, बल्कि इस लिये दिये गये हैं कि आर्थिक दृष्टि से वे बहुत पीछे हैं।

जो विशेष अधिकार इन वर्गों को दिये भी गये हैं, वे कुछ अस्तित्व नहीं रखते। अब मन्दिर प्रवेश अधिकार को ही लीजिये। यह केवल आध्यात्मिक महत्व ही रखता है, परन्तु इस समय अनुसूचित जातियों की परम आवश्यकता आध्यात्मिक नहीं बल्कि आर्थिक है। मन्दिर में प्रवेश करने से उन की आर्थिक हालत कुछ नहीं सुधरती। यह वैसी को वैसी ही रहती है।

अनुसूचित जातियों के लिये जो धनराशि स्वीकार की गई है, वह बहुत अपर्याप्त है।

शिक्षा में पिछड़े होने से भी पिछड़े वर्गों को बहुत हानि उठानी पड़ रही है, जहां तक मुझे विदित है, पुलिस विभाग में अनुसूचित जातियों का एक ही अधिकारी है तथा प्रशासन सेवाओं में उन के केवल चार या पांच ही सदस्य हैं। आयु में कुछ रियायत देने से उन का कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। हमें देखना तो यह है कि प्रतियोगिताओं में उन की शिक्षा सम्बन्धी कमी को कैसे दूर किया जाये। अनुसूचित जातियों के लोग अच्छा खाना नहीं खा सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, तथा ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहां उन्हें सूर्य का प्रकाश भी नसीब नहीं होता। ऐसी अवस्था में वे समृद्ध श्रेणी के साथ कैसे प्रतियोगिता कर सकते हैं?

अतएव माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह अनुसूचित जातियों की समस्या को धर्म की दृष्टि से न जांचे, अपितु आर्थिक पहलू को सामने रखें।

अन्त में मैं उन के सामने कुछ मांगे रखना चाहता हूं। मेरी पहली मांग यह है कि देश की पिछड़ी जातियों के लिये प्राथमिक शिक्षा से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय, उन्हें पुस्तकें मुफ़्त दी जायें तथा खाना और रहने के स्थान बिना पैसे लिए उपलब्ध किये जायें जिस से उन की उचित उन्नति हो सके। दूसरे, उन्हें सेवाओं में उन के रक्षित अनुपात से स्थान दिये जायें। तीसरे बंजर ज़मीनों को ऐसे वर्गों को दिया जाये, उन के लिये न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में सरकार एक विधान पारित करे इसके अतिरिक्त मेरी मांग है कि सभी ज़िलों में अनुसूचित जातियों के अधिकारी नियुक्त किये जायें जो ऐसी जातियों के हितों की देख भाल करें।

अनुसूचित जातियों की समस्या को शीघ्रता से तथा बहुत अच्छी प्रकार से सुलझाने के लिये मेरी यह भी मांग है कि एक पृथक् मंत्रालय स्थापित किया जाये। सदन में तथा देश में उन की जनसंख्या के अनुपात से उन्हें मंत्रिमंडल में बहुत कम अनुपात दिया गया है।

अन्त में मेरी मांग है कि दस वर्ष की अवधि को, जिस के लिये अनुसूचित जातियों को विशेष अधिकार दिये गये हैं, बढ़ा कर तीस वर्ष कर दिया जाय। मुझे यह देख कर खेद होता है कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिये कुछ भी नहीं किया। इसी कारण मैं अवधि को बढ़ा देने की मांग करता हूं।

अन्त में मैं पूरे ज़ोर से यह कह देना चाहता हूं कि इस देश का लोकतन्त्र केवल एक ढोंग सा बनता जा रहा है। लौकिकवाद के परदे के पीछे बहुसंख्यक वर्ग की साम्प्रदायता को छिपाया जा रहा है। अतः गृह कार्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह अनुसूचित जातियों की समस्या को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझ कर सुलझाने की चेष्टा करें।

पंडित एम०वी० भार्गव (अजमेर दक्षिण): मैं गृह कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

हमें यह अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिये कि गृह कार्य मंत्रालय भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी है। विभाजन से ले कर अब तक इस मंत्रालय ने जो कार्य किया है, वह इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। अनुभवी अधिकारियों के समय से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाने से इस मंत्रालय पर काम का बोझा और भी बढ़ गया। इस पर और भी बहुत से अधिकारी पाकिस्तान चले गये। ऐसा सब कुछ होते हुए भी जिस प्रकार इस मंत्रालय ने आंतरिक शान्ति तथा व्यवस्था को बनाए रखा है, उसे सदैव इतिहास में स्वर्ण शब्दों में लिखा जायगा। इस मंत्रालय ने साम्यवादियों तथा साम्प्रदायिक दलों का मुक़ाबला बड़ी सफलतापूर्वक ढंग से किया है।

कुछेक कटौती प्रस्तावों में नागरिक स्वतन्त्रता को संकुचित करने तथा निवारक निरोध अधिनियम के प्रति विरोध प्रगट किया गया है। हमें स्वीकार करना चाहिये कि देश में समाज विरोधी दल बड़े सरगरम हैं। वह अस्तव्यस्तता के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कोई सरकार जिस पर देश की शान्ति तथा व्यवस्था को बनाये रखने का उत्तरदायित्व आता है तथा जो धीरे धीरे एक वर्गहीन समाज के बनाने का व्रत ले चुकी है, ऐसे लोगों के कामों को सहन कर सकती है? यह समय नारे लगाने का नहीं। हमें वास्तविक स्थिति पर ध्यान देना चाहिये। यदि नागरिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को लूटमार तथा हत्या कर लेने के बाद ही पकड़ा जाये तथा उस पर मुकदमा चलाया जाये तो इतनी हानि हो जाने के बाद यह सब कुछ व्यर्थ सिद्ध होगा। बुद्धिमत्ता

[पंडित एम० बी० भार्गव]

का कहना तो यह है कि ऐसे काम करने से पहले ही रोक दिया जाये। संक्षिप्त रूप से कहते हुए लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हित में कुछेक व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता को संकुचित कर देने में कोई बुराई नहीं। तो परिस्थिति तथा तथ्यों को देखते हुए हमें अवश्य ही यह स्वीकार करना चाहिये कि वर्तमान अवस्था में निवारक निरोध अधिनियम को सर्वथा गलत नहीं ठहराया जा सकता।

१२ मध्यान्ह

सेवाओं में भ्रष्टाचार का होना भी कुछेक कटौती प्रस्तावों का विषय है। यह भ्रष्टाचार अंग्रेज़ों के समय से चला आता है। हम एक लोकहितकारी राज्य बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार की क्रियाशीलता का क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है तथा साथ ही साथ भ्रष्टाचार में भी बहुत वृद्धि हो गई है। परन्तु यदि आप भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में चलाये गये वादों की संख्या पर दृष्टिपात करेंगे तो यह सिद्ध हो जायगा कि हमारी सरकार ईमानदारी से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक 'प्रैस कमीशन' की स्थापना की ओर संकेत किया है। हमें अभी तक इस कमीशन के निर्देश के पदों का पता नहीं। मैं चाहता हूं कि ये वैसे ही विस्तृत प्रकार के हों जैसे कि ब्रिटिश प्रेस के बारे में नियुक्त किये गये रायल कमीशन के थे। कमीशन को अधिकार होना चाहिये कि प्रेस के प्रबन्ध तथा स्वामित्व के कुछ इने गिने व्यक्तियों के हाथों में ही रहने के बारे में जांच कर सके। वह पता लगाये कि इस से लोकमत के बिना रोक टोक व्यक्त किये जाने में किस सीमा तक बाधा पड़ी है, हमारे श्रमजीवी पत्रकारों की अवस्था कैसी है तथा उन में कैसे सुधार किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि कमीशन इन सब बातों पर अच्छी प्रकार से विचार करेगा तथा इस के सदस्यों को भी एक विस्तृत आधार पर चुना जायगा। इस के निर्देश-पद काफ़ी विस्तृत होने चाहियें तथा श्रमजीवी पत्रकारों के दिल्ली में की गई विगत बैठक की सिफ़ारिशों के अनुसार होने चाहियें।

मुझे अजमेर के विषय में कुछ कहना है। वहां अभी तक एक ही न्यायिक आयुक्त हैं जो उच्चतम न्यायालय की समस्त शक्तियों को प्रवर्तन में लाते हैं, पुरानी दीवानी व्यवहार संहिता के अनुसार १०,००० रुपये से ऊपर के मामले प्रीवी कौंसिल को भेजे जाते थे जहां कि अब २०,००० रु० से ऊपर के मामलों को ही उच्चतम न्यायालय में भेजा जा सकता है। इस प्रकार से आयुक्त महोदय की शक्तियां और भी बढ़ गई हैं। मेरा निवेदन यह है कि कोई ढंग निकाला जाय जिस से जनता उच्चतम न्यायालय के, जिस में एक से अधिक न्यायाधीश हों, फ़ैसलों का लाभ उठा सकें।

दिल्ली के सर्किट (चक्रमी) न्यायालय को बड़ी देर की जनता की मांग के बाद स्थापित किया गया था, परन्तु कुछ ही महीनों के बाद इस के सभी कार्यालय न्यायालय समेत यहां से हटा दिये गये हैं इस से जनता को बहुत असुविधा होती है तथा उन्हें शिमला जा कर नई अपीलें दाखिल करनी पड़ती हैं तथा वकीलों को रखना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि सर्किट न्यायालय की समय समय पर बैठक हो तथा जनता को पहले से पता होना चाहिये कि इस की बैठक कब हो रही है। दूसरे इस के कार्यालय स्थायी रूप से दिल्ली में रखे जायें ताकि मुकदमेबाज़ों को कोई असुविधा न हो।

श्री कजरोलकर (बंबई शहर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : माननीय

उपाध्यक्ष, जो मुझे प्रसन्नता होती है कि आज आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। इस के लिये मैं आप का आभारी हूं। मेरी मातृभाषा मराठी होने के कारण मेरी हिन्दी में ग़लतियां होंगी, इस लिये आशा है कि यह सभा मुझे क्षमा करेगी। सन् १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ। उस के बाद विधान में हम हरिजनों के लिये संरक्षण दिया गया है और यह संरक्षण इस वर्ष के लिये है। आप सब को मालूम होगा कि जब महात्मा गांधी ने जब पूना क़रार किया तो अपनी जान की बाजी लगा कर तय कराया कि हरिजनों के ऊपर जो जुल्म होते हैं वह जल्द से जल्द मिटाये जायें। उस वक्त पूना करार में जनता को यह आश्वासन दिया गया कि सारे जुल्म बंद किये जायेंगे लेकिन मुझे दुःख होता है कि जो वचन उस वक्त दिया उस को पूरा करने का प्रयत्न नहीं होता है। महात्मा जी ने कहा था :

इस धब्बे को दूर किये बिना स्वराज्य एक व्यर्थ सी चीज़ होगी।

सरकार ने भी बहुत से क़ानूनों में अस्पृश्यता के हटाये जाने की बात लिखी है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि हमारे होम मिनिस्टर जितने कानून बनाते हैं उन पर ठीक तरह से अमल करने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह की कोशिश कर रही है लेकिन जिस तरीके से यह कोशिश हो रही है उस से हमारा काम पूरा नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने निर्वासितों के प्रश्न को जो कि इतना कठिन था पांच साल में किसी हद तक निपटाया है। यह ठीक है कि पूरी तरह से वह उस को नहीं निपटा सके हैं लेकिन फिर भी बहुत हद तक वह अब समाप्त हो चुका है। इसी तरह से हमारे यहां की भी बड़ी भारी समस्या है। आज सैंकड़ों वर्ष से जो अस्पृश्यता हमारे ऊपर लदी हुई है वह पांच दस बरस में नहीं जा सकती है। इसके लिये बहुत जोरों से प्रयत्न करना चाहिये। जब शरणार्थियों के लिये हमारी सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, मैं जानता हूं कि गत वर्ष क़रीब क़रीब ३१ करोड़ रुपया खर्च हुआ है और अभी और भी खर्च करने जा रही है उसी तरह से हरिजनों के लिये भी कुछ न कुछ करना चाहिये। पंच वर्षीय योजना में शेड्यूल्ड क्लास के लिये रक़म नहीं रखी गई है। इस के लिये मुझे दुःख है। मेरा कहना यह है कि इसी दस वर्ष के अन्दर हरिजनों की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहिये और अगर इस दस वर्ष के अन्दर हमारी गवर्नमेंट इस के लिये ज़ोरों से कोशिश नहीं करेगी तो हमारी समस्या हल होने वाली नहीं है।

हमारे माननीय होम मिनिस्टर (गृह कार्य मंत्री) साहब के पास शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये एक डिपार्टमेंट है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये पंच वर्षीय योजना में १८ करोड़ रुपया रखा गया है। इस की मुझे प्रसन्नता है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये १८ करोड़ रुपया रखा है क्योंकि वह लोग भी आज तक बहुत बुरी हालत में थे। ठक्कर बापा ने उन का दुःख दूर करने के लिये बहुत कोशिश की। उन के लिये हमारी सरकार ने १८ करोड़ रुपया रखा है। लेकिन हरिजनों के लिये पंच वर्षीय योजना में कुछ भी नहीं रखा है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट (प्रकाशन विभाग) ने एक पुस्तक प्रकाशित की है। उस में लिखा है कि :

"हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिये पंच वर्षीय योजना में १८ करोड़ रुपये की धन राशि की व्यवस्था" मैं जानना चाहता हूं कि यह जो गवर्नमेंट

[श्री कजरोलकर]

ने पब्लिकेशन किया है यह सच है । अगर यह सच है तो मझे प्रसन्नता होगी लेकिन मैं जब तक समझता हूं कि यह १८ करोड़ रुपया शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये नहीं है । यह तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये है । मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स (हरिजनों) के लिये भी कुछ रकम रखी जानी चाहिये । अगर उन की शिक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध नहीं किया जायगा तो दस साल में तों क्या पचास साल में भी कुछ होने वाला नहीं है ।

दूसरी बात नौकरियों के बारे में है । नौकरियों के लिये हमारी सरकार ने हरिजनों के लिये पब्लिक सरविस कमीशन (लोक सेवा आयोग) के द्वारा साढ़े बारह फी सदी और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट (प्रत्यक्ष भर्ती) से सोलह सही दो बटे तीन प्रति शत रखा है लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिन में हमारे हरिजनों का परसेंटेज बहुत कम है । अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किताब प्रकाशित की है उस के अनुसार विभिन्न मिनिस्ट्रियों में रेसपांसिबिल पोस्टस (बड़ी बड़ी नौकरियां) पर हरिजनों की संख्या इस प्रकार है :

	संख्या
वैदेशिक कार्यमंत्रालय	३
निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय	६
संचरण मंत्रालय	२
श्रम मंत्रालय	२४
उद्योग तथा वणिज्य मंत्रालय	३
प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय	७
मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय	१४
डाइरेक्टर, लेबर ब्यूरो एंड सप्लाई	१

मैं समझता हूं कि इन मिनिस्ट्रियों में सिर्फ एक लेबर मिनिस्ट्री ही ऐसी है जिस में कि हमारा कोटा (अभ्यंश) भरा सा जान पड़ता है । लेकिन दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के अन्दर सरविसेज़ में हमारा कोटा बहुत ही कम है । मैं समझता हूं कि क्योंकि हमारे लेबर मिनिस्टर श्री जगजीवन राम जी हरिजन हैं इसलिये उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया । इसी से यह कोटा पूरा भर गया है । दूसरी मिनिस्ट्रीज से भी मेरी यह प्रार्थना है कि उन में रेसपांसिबिल पोस्ट्स के लिये जो हरिजनों का कोटा है उस को भी पूरी तरह से भरा जाये ।

हमारे पास बराबर इस बात की शिकायतें आती हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते । जब हमारे केंडीडेट (अभ्यार्थी) यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन (संघ लोक सेवा आयोग) के सामने जाते हैं तो वह लिखित परीक्षा में तो पास हो जाते हैं लेकिन वाइवावोसी (*Vivavoce*) के अन्दर वह फेल होते हैं । इस का कारण मैं यह समझता हूं कि हमारे हरिजनों को शिक्षा मिलने के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां हैं । जो स्पृश्य हिन्दू हैं उन की तो आधी शिक्षा घर पर ही हो जाती है । उन के माता पिता शिक्षित होते हैं इसलिये उन की आधी शिक्षा घर पर ही हो जाती है । उन को बराबर पत्र बांचने का मौका मिलता रहता है । अब हरिजन केंडीडेट्स से पब्लिक सरविस कमीशन में प्रश्न पूछा जाता है और वह कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो उन को नापास कर दिया जाता है । माननीय श्रीयुत राजभोज ने कहा था कि जब कोई हरिजन केंडीडेट पब्लिक सरविस के सामने जाता है तो उस से पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी के हैं । मैं नहीं समझता कि यह पूछने से पब्लिक सरविस कमीश का यह प्रयोजन होता है कि वह कौन सी पार्टी का है । उनका शायद यह जनाने का मंशा

होता है कि उस की कम्युनिटी (समुदाय) के अन्दर उन का लीडर, (नेता) कौन है। तो मेरी यह प्रार्थना है कि इन हरिजन केंडीडेट्स के साथ थोड़ा कन्सेशन (रियाय त होना चाहिये। आप देखिये कि जो हरिज न केंडीडेट्स ग्रेजुएट (स्नातक) होते हैं, और जिन को अच्छे मार्क (नम्बर) मिले होते हैं और जो लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं उसको वाइवा वोसी में न पास कर दिया जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब पब्लिक सरविस कमीशन को कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन (अनुदेश) दे दें कि वह हमारे हरिजन केंडीडेट्स को जरा सहानुभूति से देखें। यह तो रेसपांसिबिल पोस्ट्स के बारे में हुआ। इस के अतिरिक्त सैक्रेटेरियट पोस्ट्स में भी हरिजनों का बहुत कम कोटा है। जब तक आफिसर्स कन्सर्न्ड (सम्बद्ध अधिकारी) इन हरिजन केंडीडेट्स को सहानुभूति से नहीं देखेंगे तब तक चाहे हमारे केंडीडेट्स कितने भी योग्य हों वह पास नहीं हो सकते। मैं यह जानता हूं कि बहुत से आफिसर्स सहानुभूति रखते हैं। किन्तु बहुत सी जगह उन को सहानुभूति नहीं मिलती है और वह नापास कर दिये जाते हैं और इस तरह उन को डिसकरेजमेंट (हौसला ढाना) होता है। इस का नतीजा यह होता है कि जब उन को इतनी मुश्किल से शिक्षा देने पर भी पोस्ट नहीं मिलतीं और वह नापास कर दिये जाते हैं, तो उन के माता पिता को उन को शिक्षा देने का उत्साह नहीं रहता।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मेरे बारे में जो कहा गया है वह ग़लत है। मैं यह सुधार देना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि शिड्यल्ड कास्ट्स के साथ पब्लिक सरविस कमीशन में न्याय नहीं होता यह गलत है।

श्री कजरोलकर: उस दिन मेरे भाई राजभोज ने कहा था कि उनसे पब्लिक सर विस कमीशन के सामने ऐसे प्रश्न किये जाते हैं कि तुम कौन सी पार्टी के हो, अम्बेडकर पार्टी के या जगजीवन राम पार्टी के। जो जगजीवन राम पार्टी का होता है उसे पास कर दिया जाता है और जो अम्बेडकर पार्टी का होता है उसे नापास कर दिया जाता है। मेरा ख्याल यह है कि यह प्रश्न करने से पब्लिक सरविस कमीशन का आशय यह होता है कि यह लड़का यह जानता है या नहीं कि कम्यूनिटी में कौन कौन लीडर हैं। मैं यह जानता हूं कि पब्लिक सरविस कमीशन के कई मेम्बर भी उन की तरफ सहानुभूति रखते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स के केंडीडेट्स की तरफ सहानुभूति से नहीं देखा जायगा तब तक सब हरिजन अप टु दी मार्क (उचित योग्यता के) नहीं मिलेंगे और हमारा कोटा बहुत दिन तक भरने वाला नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हमारे मिनिस्टर साहब इस पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब ख़त्म कीजिये। मैं कई बार घंटी बजा चुका हूं।

श्री कजरोलकर: अभी तक शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर कुछ नहीं कर पाये हैं। विधान को पास हुए दो बरस हो गये हैं और दस बरस में से दो बरस निकल गये हैं। अभी तक यह कमिश्नर कुछ नहीं कर पाये हैं। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में २८ स्टेट्स हैं और उस कमिश्नर को इन २८ स्टेट्स के हरिजनों की समस्याओं को देखने के बाद अपनी रिपोर्टें देनी होगी इसके अलावा इस कमिश्नर के पास कोई पावर (शक्ति) नहीं है और उन के पास पैसा नहीं है। तो कुछ काम होने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना है प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से

[श्री कजरोलकर]

और मेरे मित्र फाइनेन्स मिनिस्टर चिन्तामणि देशमुख जी से कि वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये बजट में कुछ ज्यादा अमाउंट रखें और जो हमारी चिन्ता है उसको हमारे चिन्तामणि जी दूर करें। इतना कह कर मैं आप से बिदा लेता हूं।

श्री रिशांग किशिंग : हमारे देश में कुल २ करोड़ ५० लाख आदिम जातियों के व्यक्ति रहते हैं। चिरकाल से ये लोग जंगलों, पहाड़ों तथा गन्दी बस्तियों में रहते आ रहे हैं। समाज के तथाकथित उन्नत वर्गों द्वारा शोषण के फलस्वरूप इन्होंने अत्यन्त क्षति उठाई है। अब स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद भारत की जनता ने जाति-धर्म का विचार किये बिना सभी वर्गों से न्यायपूर्ण व्यवहार करने का व्रत लिया है।

आदिमजातियों के सम्मुख मुख्य समस्या भूमि, संचरण, शिक्षा तथा डाक्टरी सहायता है। सरकार को चाहिये कि वह इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाये। भूमि तथा संचरण के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाय। सड़कों के बन जाने तथा फलतः मण्डियों के निकट हो जाने से पहाड़ी आदिम जातियों के लोग स्वतः भूमि के सम्यक प्रयोग से परिचित हो जायेंगे। मैदानों में रहने वाले आदिम जातियों के व्यक्तियों को काफ़ी जमीनें दी जानी चाहियें भारत सरकार जो देश में वर्गहीन समाज की स्थापना के लिये कटिबद्ध है, इन लोगों के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार की व्यवस्था करे। आदिम जाति सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी ने इन लोगों में राष्ट्रीय एकता के भाव को उन्नत करने पर जोर दिया था। हमें चाहिये कि इस भाव को दृढ़ करने के लिये भरसक प्रयत्न करें। जनता के सभी वर्गों में परस्पर सहयोग के बिना हम किसी भी योजना को सफल नहीं बना सकते। हमें आदिम जातियों तथा मैदानों में रहने वाले लोगों में परस्पर सम्पर्क को बढ़ाना चाहिये जिससे वह एक दूसरे को अधिकाधिक समझ सकें। वे लोग मैदानी लोगों के शोषण से बहुत भयभीत हैं। हमें उन के भय को दूर करने की प्रत्येक कोशिश करनी चाहिये। हमें उन्हें यह आश्वासन देना चाहिये कि उन की ज़मीनों को पूर्णतः सुरक्षित किया जायगा। क़बायली लोगों का वास्ता अभी तक पूंजीपतियों तथा व्यापारियों से ही पड़ा है तथा वे उन्हें शोषक समझते हैं।

सरकारी कर्मचारी पहाड़ी लोगों तथा मैदानी लोगों और सरकार के बीच अच्छे सम्बन्धों के कायम करने में बहुत सहायता दे सकते हैं। परन्तु खेद है कि जब यह अधिकारी आदिम जाति-क्षेत्रों में जाते हैं तो भगवान बन जाते हैं, वह अपनी कुर्सियों में जमे रहते हैं तथा आम क़बायलियों में नहीं मिलते जुलते। उनका व्यवहार क़बाइलयों के प्रति अच्छा नहीं है। वे अपने चपरासियों की रिपोर्टों के अनुसार सब फ़ैसले करते हैं। इस से उन लोगों में सद्भावना की बजाय शत्रुता के भाव बढ़ रहे हैं।

मैंने कहा कि आदिम जातियों की जमीनों संस्कृति तथा भाषा की रक्षा की जानी चाहिये। आप जमीन की व्यवस्था जमींदारी के उन्मूलन, और बंजर तथा ऊसर भूमि को कृषियोग्य बनाकर कर सकते हैं।

इन जातियों की उन्नति के लिए सड़कों का बनाना एक बहुत ही ज़रूरी बात है। प्रायः कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के बनाने पर ख़र्च बहुत आता है, परन्तु स्वेच्छा से कम श्रम करने से इसमें कमी हो सकती है।

सरकार क़बाइलयों के लिए ऋणों की व्यवस्था भी करे ताकि वह सहकारी संस्थाएं बनाकर पूंजीपतियों के शोषण का मुकाबला कर सकें ।

आदिम जातियों की लोकतन्त्र विरोधी कुछ रस्मों तथा प्रथाओं को तत्काल बन्द कर दिया जाय । उनमें शिक्षा के प्रसार के लिये प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय खोले जायें । अच्छे अस्पतालों तथा चिकित्सालयों की व्यवस्था भी की जाय । इन लोगों को कृषि सम्बन्धी तथा प्राविधिक शिक्षा की भी ज़रूरत है ।

अन्त में उन के लिये राज्यों की तथा संघीय सेवाओं में समुचित व्यवस्था की जाय। क़बाइली आयुक्त जैसे पदों पर उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाय।

धन के अभाव का बहाना बना कर हमें इन लोगों के विकास से मुंह नहीं फेर लेना चाहिये। हम सब जानते हैं कि कहां कहां तथा किस प्रकार से धन को बरबाद किया जा रहा है । यदि सरकार खास खास उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे, पूंजी-कर लगाये तथा राजा लोगों के निजी धन को बन्द कर दे तथा इन लोगों के दूसरे अग्रसर समुदायों के स्तर पर लाने की चेष्टा करे तो उन्हें इसके लिये काफ़ी धन मिल जायगा । बिना क्रान्तिकारी परिवर्तनों के इन लोगों की अवस्था किसी प्रकार से नहीं सुधर सकती ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : संविधान बनाते समय कांग्रेस दल ने अल्पसंख्यकों के प्रति जिस उदारता का बर्ताव किया था, उसके लिये मैं बहुत बार कृतज्ञता प्रगट कर चुका हूं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां तक केन्द्र के नेताओं का सम्बन्ध है, वह संविधान में उपबन्धित प्रत्याभूतियों को सच्चे हृदय से निभाना चाहते हैं । इन के निभाने का सब से अधिक उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय पर आता है । परन्तु मुझे खेद है कि इन प्रत्याभूतियों को या तो इस लिये सुलझाया गया है कि उन के वास्तविक अर्थों को अच्छी प्रकार से नहीं समझा गया था इस लिये कि उन्हें इनके विद्यमान होने तक का भी पता नहीं है ।

सब से पहले मैं संविधान के अनुच्छेद ३० में उल्लिखित प्रत्याभूतियों का वर्णन करना चाहता हूं । इसमें समस्त अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं को काम करने तथा चलाने का अधिकार दिया गया है । जब संविधान में इस उपबन्ध को रखा जा रहा था तो सुझाव उपस्थित किया गया था कि " अपनी मातृभाषा के माध्यम से " शब्द इसमें रखे जायें । पंडित नेहरू ने इन शब्दों को अनावश्यक बतलाया था । मुझे खेद है कि मेरी उस समय भी कुछ आशंकायें थीं । दुर्भाग्य से शिक्षा एक केन्द्रीय विषय नहीं है तथा किसी भी दो राज्य सरकारों में शिक्षा सम्बन्धी नीति में सहयोजन नहीं है । आज मेरी आशंका सच्च सिद्ध हो रही है । मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि शिक्षा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का गतिरोध होने दिया जाये । मुझे इस बात का अच्छी प्रकार से आभास है कि समय की शिक्षा तथा सामाजिक विचारधाराओं के साथ साथ न चलने से कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़े जायगा । इस समय देश में ३०० से अधिक आंग्ल-भारतीय लोगों के स्कूल हैं जिन में ५० प्रतिशत से अधिक अन्य समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं । मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि इन स्कूलों की सर्वत्र अत्यन्त प्रशंसा हो रही है । इन सब स्कूलों में एक अन्तर्राज्य आंग्ल-भारतीय शिक्षा पर्षद् द्वारा सहयोजन किया जा रहा है । इस पर्षद् का मैं निर्वाचित प्रधान हूं । हिन्दी को इन सब स्कूलों में यथेष्ट स्थान दिया गया है । परन्तु मुझे खेद है कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

सरकारों की नीति से संविधान के अनुच्छेद ३० में दी गई गारंटी को बेकार सा बनाया जा रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ ही वर्षों में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिये अपनी शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध चलाना असम्भव हो जायगा। विशेषत: गृह-कार्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह ऐसी कार्यवाही करें जिस से इस प्रकार की नीति उन राज्यों में न अपनाई जा सके।

इसके बाद मुझे सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३३६ की ओर दिलाना है। इस के अनुसार संविधान सभा ने कुछेक सेवाओं, अर्थात् रेलों, डाक तथा तार तथा चुंगी आदि विभागों में आंग्ल-भारतीयों को निश्चित प्रतिशत में लेने की गारंटी दी थी। परन्तु हाल में दिल्ली के नौकरी दिलाने के बड़े दफ्तर से एक पत्र मिला है जिस से मेरी यह आशंका सच सिद्ध हो जाती है कि इस गारंटी पर पूरा अमल नहीं किया जा रहा है। उस पत्र से पता चलता है कि जनवरी से मार्च, १९५२ तक के काल में मेरी जाति के लिये रेलवे, चुंगी तथा डाक और तार विभाग में कुल मिला कर पांच स्थान रक्षित किये गये हैं जहां कि उस गारंटी के अनुसार ये कई सौ स्थान होने चाहियें थे। मैं गृह मंत्री का ध्यान विशेषत: उस चालाकी की ओर दिलाना चाहता हूं जो रेल तथा डाक और तार विभाग में बर्ती जा रही है। इन विभागों में शिक्षा योग्यताओं को एकाएक बढ़ा दिया गया है। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि इस से कार्य-क्षमता में कोई उन्न ति नहीं हुई है बल्कि उल्टा इस में गतिरोध हुआ है। यहां तक ही नहीं, इन योग्यताओं को जो १९४७ में निश्चित की गई थीं, १९४३ के भर्ती किये गये लोगों पर भी लागू किया गया है। इस में सरासर अन्याय है।

अन्त में मैं कुछ शब्द अनुच्छेद ३३७ के बारे में कहना चाहता हूं। कांग्रेस दल ने इस में बहुत उदारता से काम लेते हुए मेरी जाति को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान देना स्वीकार किया था। इन अनुदानों में १९५३ से पहले कमी नहीं की जा सकती थी; परन्तु मुझे खेद है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने १९५३ से बहु त पहले २५ प्रतिशत कमी कर दी है। उस राज्य की तुलना में बम्बई और बंगाल का रुख बहुत उदार है। मैं जानता हूं शिक्षा राजकीय विषय है, परन्तु संविधान में दी गई गारंटी को पूरा करने का उत्तरदायित्व गृह-कार्य मंत्रालय पर है। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन बातों पर विशेष ध्यान दें। मैं उन के मंत्रालय की निन्दा अथवा आलोचना नहीं कर रहा हूं। परन्तु मुझे ऐसा लग रहा है कि भूलवश अथवा छोटे मोटे अधिकारियों के संकुचित दृष्टिकोण से इन गारंटियों को उपेक्षा की जा रही है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक चार बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सदन की बैठक चार बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : श्रीमान् मैं आप की आज्ञा से हिन्दी में बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की शक्ति दो नीतियों पर निर्भर होती है। पहली गृह नीति और दूसरी वैदेशिक नीति। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की गृह नीति और वैदेशिक नीति का आधार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रक्खा था। उन्हों ने कहा था कि "पीस आन अर्थ" (पृथ्वी पर शान्ति) अर्थात् संसार में शान्ति हो, और "गुडविल टु मैन" (मानव का कल्याण) अर्थात् संसार

के अन्दर सब मनुष्यों का कल्याण हो । इन दो नीतियों का राष्ट्रपिता के आदेश के अनुसार हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने अनुसरण किया । मैं समझता हूं कि जब आज हमारी संसद् होम पालिसी (गृह-नीति) पर बहस कर रही है तो यह हमारा फ़र्ज़ है कि इस समय जिस नेता ने हिन्दुस्तान की होम पालिसी का अर्थात् गृह नीति को क़ायम किया और देश के अन्दर शान्ति और अमन क़ायम किया उस के लिये हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस समय हमारा मन सरदार पटेल की तरफ़ जाता है और मुझे पूर्ण आशा है कि पूरी संसद् इस समय मेरे साथ सरदार पटेल के लिये श्रद्धांजलि अर्पित करेगी ।

आज हिन्दुस्तान में यदि शान्ति और अमन है तो वह शान्ति और अमन हमारी गृह नीति के कारण है। हमारे बहुत से संसद् सदस्य यह भूल जाते हैं कि आज अशोक के बाद पहली मर्तबा हिन्दुस्तान पूर्ण रूप से स्वतन्त्र अवस्था में है और यह कि इस समय यह आवश्यक है कि हम अपनी गृह नीति और अपनी वैदेशिक नीति को मज़बूत करें और हमारी यह दोनों नीतियां आज मज़बूती के साथ चली आ रही हैं। मैं कई वर्ष से विदेशों में रहा हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आज की हिन्दुस्तान की गृह नीति और वैदेशिक नीति के कारण हिन्दुस्तान का सिर ऊंचा है और हिन्दुस्तान की इज्ज़त तमाम दुनिया के अन्दर क़ायम है । मुझे मालूम है कि सन् १९४८ में जिस समय मैं फ्रांस में था, फ्रांस के लोग फ्रांस के विदेश मंत्रालय के अधिकारी मुझ से कहते थे कि हमें उम्मीद नहीं है कि आप का देश चल सकेगा और आप के देश से विदेशी सत्ता के जाने के बाद वहां पर अन्दरूनी अमन क़ायम रखना और विदेशों के साथ भी सम्बन्ध रख सकना कठिन है । लेकिन जब उन्हों ने देखा कि हम ने अपने यहां जो लोग सैबोटेज (विध्वंसक) की पालिसी चला रहे थे और जो अनसोशेबल एलिमेंट्स (समाज विरोधी वर्ग) हमारे देश में थे उन को ख़त्म करके हम ने अपने देश में अमन और शान्ति क़ायम की तो वह चकित हो गये और वह हमारे देश के लिये और हमारे देश के नेताओं के लिये आदर की दृष्टि रखने लगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं ने बारह वर्ष विदेशों में गुज़ारे हैं और जिस समय यह देश आज़ाद नहीं था उस में और आज में जब कि हिन्दुस्तान आज़ाद है बहुत अन्तर है । उस ज़माने से आज इस देश की क़द्र बहुत ज़्यादा है और वह क़द्र हमारी गृह नीति और हमारी वैदेशिक नीति के कारण ही है ।

किसी भी देश की नीति की सफलता और गृह नीति का उद्देश्य वहां की सबवर्सिव ऐक्टिविटीज़ (विनाशकारी काम) के कम या ज़्यादा होने पर निर्भर है । हिन्दुस्तान ने भी आज़ादी के बाद हर तरह की सबवर्सिव ऐक्टिविटीज़ को दबाने का प्रयत्न किया । जिस प्रान्त से मैं आता हूं उस प्रान्त में भी बहुत तरह की सबवर्सिव ऐक्टिविटीज़ चलीं । मैं समझता हूं कि यह करना अनुचित न होगा और यदि आप की इजाज़त हो तो मैं यह कहूंगा कि—हमारी होम पालिसी के ही कारण हैदराबाद में, तैलंगाना तथा दूसरी जगहों में अमन क़ायम हुआ । इस के बावजूद भी कि वहां के हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने, जो इस संसद् में दूसरी तरफ़ बैठे हुए हैं उन के साथियों ने, हर तरह के अत्याचार और हर तरह के ज़ुल्म ढाये हैं । मुझे कम्युनिस्ट भाइयों से दुश्मनी नहीं है, न मुझे कम्युनिज्म (साम्यवाद) से दुश्मनी है । लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तानी होने के नाते हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम अपने हिन्दुस्तान में एक आज़ाद नीति को चला सकें और ऐसी आज़ाद नीति निर्धारित करें और उस का पालन पोषण करें जिस के

[डा० सुरेश चन्द्र]

कारण हमारे देश का आदर और सम्मान हो। जब से मैं संसद् में आया हूं मैं ने अपने कम्युनिस्ट भाइयों के बहुत से व्याख्यान और भाषण सुने, और बहुत ध्यान से सुने। तो भी मुझे अफ़सोस है कि आज तक जितने भाषण उन की ओर से यहां पर हुए हैं उन में से एक भी ऐसा नहीं था जिस में के किसी सुझाव या प्रपोज़ल (प्रस्थापना) को कन्स्ट्रक्टिव या रचनात्मक कहा जा सके। उन में आज तक कोई सुझाव नहीं दिया गया कि किस प्रकार से हमें अपनी गृह नीति को या अपनी डिफेन्स पालिसी (रक्षा नीति) को आगे बढ़ाना चाहिये, बल्कि हमेशा इस प्रकार के सुझाव दिये जिस में किसी तरह से हमारे देश का मान नीचा हो, और हमारे देश को किसी प्रकार से दुनिया के सामने आंखें नीची करनी पड़ें। मुझे इस का अफ़सोस है।

जब हम हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पालिसी को ठीक तरह से तोलते हैं तो उस के तीन रूप मालूम पड़ते हैं। एक लीगल (वैधानिक) रूप है, एक सेमी लीगल (अर्ध वैधानिक) रूप है और एक इल्लीगल (अवैध) रूप है। इस को दूसरे शब्दों में कहें तो एक ओवर ग्राउंड (उपरि भूमि) है, एक अन्डर ग्राउंड (भूमि तले) है और एक शायद मिड एयर (वायु मण्डल में) या मिड स्ट्रीम (नदी के बीच) है। इन रूपों से हमारे यहां के कम्युनिस्ट भाइयों ने हमारी उन्नति को सबोटेज करने का प्रयत्न किया। यहां हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने प्रेज़िडेन्ट के भाषण को डिक्लेरेशन आफ़ वार (युद्ध घोषणा) कहा। मैं तो उसे सुन कर चकित हो गया। मुझे तो ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं कहीं और बैठा हूं। मैं आज़ाद हिन्दुस्तान की संसद् में न हो कर किसी दूसरे देश की संसद् के अन्दर बैठा हुआ बातें सुन रहा हूं। मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की इस होम पालिसी के बावजूद भी हमारे कम्युनिस्ट भाई जो कि यह दावा करते हैं कि वह सब का कल्याण करना चाहते हैं उन के बारे में क्या कहा गया। आज हमारे हैदराबाद के चीफ़ मिनिस्टर यहां आये थे और वहां के होम मिनिस्टर भी आये थे। उन से मैं ने विशेष तौर पर इस सम्बन्ध में बातचीत की थी। उन्होंने मुझ से जो कुछ कहा उस को सुन कर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। उन्हों ने कहा कि हैदराबाद के अन्दर, और तैलंगाना के अन्दर, जिस का आज यहां बहुत नाम लिया जाता है वहां पर हमारे कम्युनिस्ट भाई पैरेलल गवर्नमेंट (समानान्तर सरकार) क़ायम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप भले ही हंसे लेकिन वह यहां पर पैरेलल गवर्नमेंट हर्गिज़ नहीं क़ायम कर सकेंगे। नलगोंडा, करीमनगर और बारंगल के ज़िलों के अन्दर इस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं। एग्रेरियन रिफ़ार्म (भू-सुधार) के बहाने से वहां पर वायलेंट रिवोल्यूशन (हिंसात्मक क्रान्ति) के लिये कोशिश की जा रही है। मेरी इस विषय में कई भाइयों से बातचीत हुई। मैं ने उन से कहा कि आप हथियार सरेंडर (डाल) क्यों नहीं करते हैं। हैदराबाद की गवर्नमेंट ने यहां की गवर्नमेंट की तरफ़ से ऐलान किया हुआ है कि अगर वह अपने हथियारों को दे दें तो उन के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जायगी। लेकिन इस के बावजूद भी वह आज हैदराबाद में अपने हथियारों को लेकर घूम रहे हैं और वह गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं।

इस विषय में इतना कह कर, अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रैस कमीशन (प्रेस आयोग) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिस के बारे में सुझाव दिया गया है। मेरी आन-

रेबिल होम मिनिस्टर से यह इल्तिजा है कि जितनी जल्दी हो सके वह इस कमीशन के टर्म्स आफ़ रेफ़रेन्स (निर्देश के पद) तै कर दें और वर्किंग जरनलिस्ट (श्रमजीवी पत्रकारों) के नुमाइन्दों को इस में लें। और उस को जितनी जल्दी क्रियात्मक रूप में लाया जा सकेगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और उस से हिन्दुस्तान के वर्किंग जरनलिस्ट को बहुत लाभ होगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व) : इस से पूर्व कि मैं और कुछ कहूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रातः श्री एन्थनी ने यहां कुछ बातें कही हैं जो सर्वथा अन्यायपूर्ण हैं। उन्हों ने इस सदन में उत्तर प्रदेश सरकार पर अल्पसंख्यकों से न्यायपूर्ण व्यवहार न करने का लांछन लगाया है जिस से न केवल मुझे ही दुःख तथा आश्चर्य हुआ है, बल्कि मैं समझता हूं कि स्वयं माननीय गृह-कार्य मंत्री को मुझ से अधिक आश्चर्य हुआ होगा।

मैं केवल सार्वजनिक सुरक्षा तथा लोक सेवाओं के विषय में ही कुछ कहूंगा।

जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है, विभिन्न मंत्रालयों के आधीन बहुत सी सेवाओं को रक्खा गया है जिन पर सहयोजन के विचार से लागू होने वाले नियमों का काम गृह-कार्य मंत्रालय को करना पड़ता है। थोड़े समय से हमारे कार्यालयों तथा कर्मचारीवर्ग में इतनी वृद्धि हुई है कि इनका सम्भालना भी कठिन हो रहा है। परन्तु सेवाओं में सहयोजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यद्यपि कई प्रयत्न किये जा चुके हैं, परन्तु सफलता अभी तक नहीं हो सकी।

हमारी सेवाओं का देश के प्रशासन में बहुत सराहनीय भाग रहा है तथा आज भी उन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार में परिवर्तन का आभास केवल सेवाओं के व्यवहार से ही किया जा सकता है। यद्यपि इन में अब कुछ सुधार हो भी चुका है, तो भी सेवाओं में "काली भेड़ें" भी हैं तथा वे बढ़ भी बहुत चुकी हैं। हमारे पास योग्य तथा अनुभवी अधिकारियों की कमी है। इस समय आवश्यकता है कि सब से पहले कर्मचारीवर्ग को संतोषजनक बनाया जाय। संगठन तथा प्रणाली को बाद में लिया जाय। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार आदि देखने में आये, उसे सख्ती से दबा दिया जाय। जब तक इस बारे में सख्ती न की जायगी, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता तथा कदाचार की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिये हमें नियमों को भी सामने रखना होगा। अभी लोक लेखा समिति के सामने कुछ मामले आये थे। यह देखा गया कि नियमों में त्रुटि होने से उन के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। मेरा अनुमान है कि सरकार उन में परिवर्तन अथवा संशोधन करना भी नहीं चाहती। इस सम्बन्ध में अस्थायी संसद् ने एक अधिनियम, वर्ष १९५१ का ६१वां, भी पारित किया था, परन्तु उस के अन्तर्गत अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये, कम से कम संसद् के सामने नहीं रखे गये। अधिकारियों के नियमों को संशोधित न करने के इस बर्ताव को भविष्य में सहन नहीं किया जायगा। वे पहले के बनाये गये नियमों को ही स्थायी रूप देना चाहते हैं, यह कोई सराहनीय बात नहीं। इन नियमों में शीघ्र संशोधन किये जाने चाहियें। हमारे कर्मचारियों का बर्ताव अच्छा नहीं है। सार्वजनिक लेखा समिति में हम ने देखा—तथा हम से पहले इस समिति के सदस्यों का अनुभव भी यही था —कि विभागों के मुख्य अधिकारियों ने सहयोग देने में काफ़ी संकोच किया। अधिक विस्तार से न कहते हुए मेरा निवेदन है कि ये नियम अब संशोधित किये जायें।

[पंडित मनीश्वर दत्त उपाध्याय]

अब मैं सेवाओं के पुनर्गठन के सवाल को लेता हूं। इस सम्बन्ध में कई बार समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं। जिन में से सब से अधिक महत्वपूर्ण आयंगर समिति है। इन सब समितियों ने तथा स्वयं मंत्रालय ने अपने अपने सुझाव दिये हैं, परन्तु इन में से किसी को कार्यान्वित नहीं किया गया है। फलतः उच्चाधिकारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। मेरा निवेदन है कि सदन इस सवाल को स्वयं अपने हाथ में ले तथा एक अपनी समिति नियुक्त करे। इस के लिये एक स्थायी व्यवस्थापन किया जाय जो हर छः मास के बाद अपनी रिकार्ड सदन के सामने रखे।

सार्वजनिक सुरक्षा के सवाल को लेते हुए मेरा यह कहना है कि पुलिस विभाग को १९०२ में संगठित किया गया था। पुलिस के कर्त्तव्यों में बहुत पविरर्तन हो जाने से इस के बहुत कुछ पुनर्संगठन की आवश्यकता है। हमें पुलिस बल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने की आवश्यकता पेश आ सकती है। अतः हमें चाहिये कि प्रशिक्षण, अनुशासन तथा सामान में एक्य बनाये रखें। हमें एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो इन सब बातों की विस्तार से जांच करे। विशेष पुलिस स्थापना का काम संतोषजनक नहीं है। केवल ५० प्रतिशत व्यक्तियों को ही दण्ड मिलता है तथा शेष के ५० प्रतिशत को साफ़ छोड़ दिया जाता है।

अन्त में मेरा सुझाव है कि सेवा नियमों को संशोधित किया जाय। जेलों के विभाग को पुनर्गठित करने के लिये हमें एक समिति नियुक्त करनी चाहिये।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : इस मंत्रालय विशेष का मुख्य कार्य देश में शान्ति तथा व्यवस्था को बनाये रखना है। अतः सब से पहले मुझे यह दिखलाना है कि इस अभिप्राय से कुल कितना धन व्यय किया जाता है। मांग संख्या ५६ के अन्तर्गत यह मंत्रालय दिल्ली की पुलिस पर १ करोड़ २२ लाख रुपये का व्यय करता है। इस के अलावा सम्बन्धित राज्य भी इस मद पर काफ़ी रुपया ख़र्च करता है। भाग (ख) राज्यों के बारे में कुल स्वीकृत अनुदान में २५ प्रतिशत भाग पुलिस पर खर्च किया जाता है। 'राज्यों से सम्बन्ध' शीर्षक के अन्तर्गत भी ५५ लाख रुपये के अनुदान में से ४६ लाख रुपये पुलिस पर ख़र्च किया जाते हैं। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय भी 'आदिम जातियों सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत २½ करोड़ के कुल अनुदान में से १ करोड़ ८३ लाख रुपये सीमा पुलिस बल पर ख़र्च करता है। तीन या चार राज्यों में कुल अनुदानों का २५ तथा ३० प्रतिशत भाग पुलिस पर ख़र्च किया जाता है। मैं त्रिपुरा तथा हैदराबाद आदि में प्रचार करने के लिये गया तो मुझे धारा १४४ के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। यद्यपि मैं ने अपने वक्तव्य की कापी का देना भी पहले से स्वीकार कर लिया था तो भी उन के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह सब कुछ शान्ति तथा व्यवस्था के नाम पर हो रहा है। अब देखिये तो शान्ति तथा व्यवस्था का अर्थ क्या है? हम इस बारे में अंग्रेज़ों के समय से सुनते आये हैं। इसके नाम पर जलियांवाला बाग़ तथा कई और हत्याकाण्ड किये गये। परन्तु हम जानते हैं कि यह सब कुछ शान्ति तथा व्यवस्था के लिये नहीं, अपितु विदेशी साम्राज्यवाद को बनाये रखने तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिये ही किया गया था। अब देखना यह है कि आज यह शब्द किन अर्थों में लिये जा रहे हैं। जब कभी मिल मालिकों तथा कर्मगारों में कोई झगड़ा होता है तो एक न्यायाधिकरण नियुक्त कर दिया जाता है तथा फैसला दे दिया जाता है। इस बात के सैंकड़ों परिमाण मौजूद हैं जब बजाय उन फैसलों को पूरा

करने के मिल मालिक मिलें बन्द कर देते हैं। ऐसी अवस्था में सहायता सदैव मिल मालिक की की जाती है। आज बजाय किसानों की सहायता करने के उन्हें ज़मीनों से बेदख़ल करके निकाला जा रहा है। गर्भवती स्त्रियों तक को निकाला गया है। जब कभी हम कुछ कहते हैं तो हम पर हत्या लूट मार आदि के बहुतान लगाये जाते हैं। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जब स्वयं सरकारी कर्मचारियों ने शान्ति तथा व्यवस्था का उल्लंघन किया है। मैं पूछता हूं कि क्या शान्ति तथा व्यवस्था के नाम पर किसी स्त्री से बलात्कार भी किया जा सकता है ?

मेरे पास २४ ऐसे उदाहरण हैं जिस में न्यायाधीशों द्वारा बन्दियों के उपस्थित किये जाने के आदेश पर यह कहा गया कि वे लोग जीवित नहीं हैं। हम ने पत्रों में पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय में भी ऐसी बातें की गई हैं। कम से कम ४० ऐसे मामले हैं जिन में मैं ने मद्रास के मुख्य मंत्री को मानवता के नाम पर लिखा कि कम से कम माताओं को इतना तो बता दिया जाय कि उन के पुत्र जोवित भी हैं या नहीं। परन्तु उन लोगों के विषय में कुछ पता नहीं लगा। मैं स्वीकार करता हूं कि लोगों की ओर से भी हिंसात्मक कार्य हुए हैं। मेरा कहना है कि हमें अवश्य ही यह जानना चाहिये कि किन परिस्थितियों में ये सब बातें हुई हैं। सैंकड़ों स्कूलों के विद्यार्थियों को बिना मुक़दमा चलाये नज़रबन्द रखा गया है। पंजाब से मुझे एक सरकारी अधिकारी की पत्नी का पत्र मिला है कि उसे थाने में ले जाया गया तथा उस से यह यह बातें की गईं। कृष्णा ज़िले में एक रिपोर्ट के अनुसार ३०० व्यक्तियों को नंगा किया गया तथा बाद में उन्हें जलूस के रूप में ले जाकर महात्मा गांधी के एक चित्र के सामने लेटकर प्रणाम करने के लिये विवश किया गया। जब ऐसी बातों की चर्चा हो रही हो तो क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह जांच करे आया यह सत्य है या नहीं। चुनावों से पहले तथा बाद में बहुत बार अधिकारियों को इस बारे में लिखा गया है। परन्तु आज तक कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। २३ व्यक्तियों को जेल में मार दिया गया है, परन्तु सरकार ने अभी तक जनता को इस के कारण तथा औचित्य नहीं बतलाये। मैं तंजोर ग्राम के हिरानियन तथा मदुरा के मानवालन का उदाहरण दे सकता हूं। उसे बाहर ले जाकर वृक्ष से बांध कर गोली से उड़ा दिया गया। क्या ऐसी कई घटनाओं के होते हुए भी सरकार का कर्तव्य नहीं है कि ऐसी कार्यवाही करे जिस से प्रत्येक बात क़ानून के अनुसार ही हो।

इस सम्बन्ध में मैं आप को ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य मुकदमे में दिये गये निर्णय में श्री महाजन की टिप्पणी में से एक उद्धरण देना चाहता हूं। श्री महाजन ने लिखा है कि निवारक निरोध का क़ानून दुनिया के किसी लोकतन्त्रात्मक देश में नहीं है। अब यह बात कोई साम्यवादी नहीं कर रहा है, बल्कि उच्चतम न्यायालय का एक मान्य न्यायाधीश कह रहा है। १९३५ में मैं कांग्रेसी था तथा मैंने विदेशी हकूमत के विरूद्ध आन्दोलन में भाग लिया था। जब यहां न्यायवादी ने इस तरफ का वर्णन किया तो श्री महाजन ने कहा था कि "क्या यह भी अपराध समझा जायगा ? क्या उस समय की बातों को भी आप इस समय कहेंगे ? यह अपराध नहीं, यह तो देश भक्ति का काम है मैं ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं करूंगा।"

अब मुझे पुलिस प्रशासन के विषय में कुछ कहना है। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस के वेतनों के सम्बन्ध में अभी तक कोई संशोधन क्यों नहीं किया गया है ? आज पुलिस को केवल लोगों के पकड़ने,

[श्री ए० के० गोपालन]

पीटने, गाली देने तथा जान से मार देने के सिवाय और कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। न ही उन्हें लोगों से अबाध होकर मिलने जुलने की इजाज़त दी जाती है। उनके वेतन बहुत कम हैं, परन्तु उन्हें बड़ी शान से रहना पड़ता है। वे अपना कोई मजदूर संघ नहीं बना सकते। जब उन्हें कोई और ढंग नहीं सूझता तो वे लोगों को मार पीट कर तथा अनुचित दबाव डाल कर घूस लेते हैं। मैं कांग्रेस सरकार से जो अपने को उत्तरदायी सरकार कहती है तथा सत्य और अहिंसा पर चलने का दावा करती है, यह पूछना चाहता हूं कि वे पुलिस वालों में ऐसी भावना क्यों नहीं पैदा करती जिससे वे स्वयं को जनता का सेवक समझें ? आवश्यकता है कि पुलिस अधिकारियों तथा जेल वार्डर्स जैसे छोटे कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जायें। जेल के अन्दर भी ये गरीब कर्मचारी अपने निर्वाह के लिये बहुत सा व्यापार करते हैं। स्थिति में उस समय तक कोई सुधार नहीं हो सकता जब तक कि इनके वेतन न बढ़ाए जायेंगे हमारे पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों में यह भावना होनी चाहिये कि वह सचमुच जनता के सेवक हैं।

मुझे मंत्रिमण्डल सम्बन्धी मांग संख्या ५५ के विषय में भी कुछ कहना है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों, मन्त्री मंडल से पृथक मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा प्रधान मंत्री के अधिकारियों पर खर्च के लिये कुल १,९१,००० रूपये की मांग रखी गई है। बड़े बड़े अधिकारियों पर इतना अधिक खर्च करने से छोटे कर्मचारियों के लिये कुछ धन नहीं बचता। अतः मेरा माननीय मंत्री से यह निवेदन है कि इन छोटे कर्मचारियों के वेतन बढाए जायें, केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यन्वित किया जाय, प्रान्तीय सरकारों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार से एकसम व्यवहार किया जाय। संविधान में एकसम कार्य के लिये एकसम वेतन की गारंटी दी गई है।

पूर्व इसके कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूं, मेरा माननीय गृह कार्य मंत्री से यह निवेदन है कि वे इन सब बातों के बारे में जांच करे ताकि अपराधियों को दण्ड दिया जा सके। सारे पुलिस बल को नए सिरे से संगठित किया जाय तथा उन्हें इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाये जिस से वे अपने को जनता का वास्तविक सेवक समझें।

श्री भगवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : विरोधी दल के सदस्य एक दूसरे के बाद विचित्र घोषणायें कर रहे हैं जिन में क्रोधपूर्ण बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। श्री गोपालन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को जनता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा ठहराया है। बाद में हमारी विदेश नीति को एक अकेले व्यक्ति की मिथ्या धारणाओं पर आधारित बतलाया गया है—इत्यादी इत्यादी।

विरोधी दल के सदस्य एक ही लांछन को बार बार दोहराते रहते हैं। लोकतन्त्रात्मक देश में सरकारों का पतन इन छोटी मोटी बातों से नहीं होता ; यह नीतियों पर होता है। निश्चय ही जहां कहीं कोई व्यक्ति विशेष जुलम करे तो उसे कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये। परन्तु इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति के अत्याचारों को सरकार की नीति समझा जा सकता है। मैं विरोधी दल से पूछ सकता हूं कि क्या इन वैयक्तिक उदाहरणों के आधार पर सरकारी की नीति की निन्दा करना उचित है ?

निवारक निरोध अधिनियम के बारे में मेरी पहले यह धारणा थी कि इसे बहुत अनुचित रूप से काम में लाया जा रहा है।

परन्तु आज मैं समझता हूं कि देश में शान्ति तथा व्यवस्था के बनाए रखने के लिये इसका होना आवश्यक है । युद्ध के बादल हमारे सर पर मण्डला रहे हैं तथा देश में उपद्रवी लोग अवसर की ताक में हैं । अवश्य ही हमारे पास कोई ऐसा विधान होना चाहिये जो आपात काल में काम में लाया जा सके । आज कल के युद्ध में केवल सेनाओं से ही नहीं लड़ा जाता : आजकल देशद्रोही लोग शत्रु से मिल जाते हैं, पहले सदैव ऐसे ही लोग चलते हैं और अपने विध्वंसकारी कामों से अपने पीछे विजयता को लाते हैं । इन सब बातों को विचार में रखते हुए जरूरी है कि हमें किसी विधान से यह शक्ति प्राप्त हो जिसे आपात काल में काम में लाया जा सके परन्तु मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यदि निवारक निरोध अधिनियम का मतलब विरोधी दल को कुचलना ही है तो मैं इसका कहर विरोधी हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे ।]

मुझे वास्तव में बोलना तो आदिम-जातियों की समस्याओं पर था, परन्तु श्री गोपालन के भाषण को सुनने के बाद मैं इतना कहे बिना नहीं रह सका हूं । मेरा सम्बन्ध सन्थाल परगना से है जिस में ४० प्रतिशत जनता सन्थाली है उन में से अधिकांश लोग पहाडों में रहते हैं तथा 'पहाड़ियों' नाम से सुप्रसिद्ध हैं। आज उन लोगों की बहुत बुरी अवस्था है । मैं जानता हूं कि सरकार उनके उत्थान के लिये काफ़ी प्रयत्न कर रही है तथा पंच वर्षीय योजना में भी उनकी उन्नति की व्यवस्था की गई है । परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिये कि केवल पैसा खर्च करने से ही उन लोगों को उन्नति की ओर नहीं लाया जा सकता । हमारे सामने वास्तविक कार्य उन विचित्र धारणाओं का दूर करना है जो इन लोगों के दिलों पर जमी हुई हैं । हमें ऐसे अधिकारी नियुक्त करने चाहिये जो उन से मिल जुल सकें तथा उनके साथ बैठ कर एक स्थान पर खा पी सकें । जब तक ऐसा नहीं किया जायगा, इन लोगों का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा । नियुक्त किये गये अधिकारी ऐसे होने चाहियें जो उनकी भाषा को समझ सकें, उनकी भावनाओं की प्रशंसा कर सकें ।

मुझे खेद है कि मेरे कुछ राजनीतिज्ञ मित्र सुप्रसिद्ध मानव-विज्ञान विशारद डा० वर्वियर एलविन के इस कथन का अनुचित लाभ उठा रहे हैं कि ऐसी जातियों के लिये पृथक रूप से वन रक्षित किये जायं । ये मित्र आज उनके लिये पृथक प्रांत की मांग कर रहे हैं । वे इन्हें इस प्रकार से पृथक करना चाहते हैं जिससे भारतीय सभ्यता इन पर कोई प्रभाव न डाल सके । मेरा निवेदन है कि ऐसे मित्रों को अपनी मनमानी करने से रोका जाय ।

५ म० प०

एक शब्द मुझे मिशनरियों के बारे में भी कहना है। मुझे खेद है कि ये लोग धर्म की आग में सन्यासियों को भड़का रहे हैं। वे इन लोगों के मन में यह धारणा जमा रहे हैं कि सब गैर-सन्थाली लुटेरे हैं । सरकार को ऐसे व्यक्तियों के बारे में सावधान रहना चाहिये । निश्चय ही संविधान में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, परन्तु यह स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि धर्म में उन्हें हिंसात्मक कार्यों के लिए भड़काया जाय ।

इसके बाद मैं इन लोगों के कल्याण तथा उद्धार के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं । इस प्रयोजन से उन क्षेत्रों में कुटीर उद्योग चलाये जाने चाहियें । उनके अपने सबाई घास तथा जंगली सुअरों के बालों से चलने वाले उद्योग केवल इस लिए नष्ट हो चुके हैं कि अधिकारियों ने इन वस्तुओं के उन्हें उपलब्ध करने के लिए

[श्री भगवत झा]

प्रयत्न नहीं किये । यदि सरकार को इनकी आर्थिक अवस्था को सुधारना है तो उसे चाहिये उन पर से आर्थिक बोझ को हटाए तथा वहां घरेलू धंधे जारी करे।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : श्रीमान् मुझे खेद है कि मैं बोलने के लिए भारी दिल से खड़ा हो रहा हूं । आज केवल मुझे ही नहीं बल्कि सदन के प्रत्येक सदन को अपने मन से यह प्रश्न पूछना है कि क्या हम लोकतंत्र के मार्ग की ओर चल भी रहे हैं । आज से कुछ महीने पहिले माननीय मंत्री ने सदन में नजरबन्दों की संख्या को इस प्रकार से बतलाया था जैसे १६३० व्यक्तियों की संख्या कोई महत्वपूर्ण ही न हो । मैं समझता हूं कि नागरिक स्वतंत्रता के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न को विचार करते हुए आंकड़ों को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिये । निवारक निरोध अधिनियम का मूल आधार यह है कि आप के पास ऐसे तथ्य हों जिन से यदि राष्ट्रीय हित में किसी व्यक्ति को न्यायालयों में दण्डित न कराया जा सके तो कम से कम वे तथ्य उसे नज़रबन्द करने के लिए तो पर्याप्त हों । यह अधिनियम हमारी संविधि पुस्तक पर एक धब्बा है। सामाजिक शांति तथा अन्य बहुत से विचारों से यह विधान संविधि पुस्तक पर नहीं होना चाहिये । एक और बात है जिस पर मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री अत्यन्त सहानुभूति से विचार करें। बहुत बार ऐसा हुआ है कि नज़रबन्द किए गये व्यक्तियों को उनकी नज़रबन्दी के कारण नहीं बतलाये गए हैं । ऐसी अवस्था में मंत्रणा पर्षद् को प्रतिनिधान करने से क्या काम हो सकता है ? जब किसी को नज़रबन्दी के कारणों का ही पता न हो तो वह लिखित प्रतिनिधान नहीं कर सकता, गवाहों को नहीं बुला सकता तथा न ही उन पर जिरह कर सकता है । आप ने यह भी उपबन्धित कर रखा है कि राष्ट्रीय हित में किसी व्यक्ति को कारण बतलाने से इंकार भी किया जा सकता है। माननीय मंत्री देखें कि इन शक्तियों का कहां तक दुरुपयोग हुआ है । मैं इस संबंध में उन अनेक विषयों का निवारक निरोध अधिनियम के काल में वृद्धि के अवसर पर वर्णन नहीं करना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि यह सदन उस अधिनियम की प्रत्येक धारा पर विचार करेगा ।

लोक सेवाओं के बारे में यहां बहुत से सुझाव रखे गये हैं । मुझे इस संबंध में यह कहना है कि हमें भर्ती के नियमों में परिवर्तन करना चाहिये । आज यह भर्ती केवल प्राप्त किए अंकों के अनुसार नहीं होनी चाहिये बल्कि इसके साथ साथ हमें अपने समाज के विभिन्न भागों तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना चाहिये । अनेक बार ऐसा हुआ है कि हमें किसी अच्छे प्रशासिक की सेवाओं से केवल इस लिए बंचित होना पड़ा है कि उसके जीवन के वातावरण की हमने विशेषत: कदर नहीं की । अगले दिन हमारे प्रधान मंत्री ने आदिमजातियों से विशेषत: उदार व्यवहार करने पर जोर दिया था । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक बात यह है कि हम व्यक्तियों को ऐसे सामाजिक वातावरण से चुनें जिसे वे बड़ी अच्छी प्रकार से समझते हैं । अन्य सेवाओं में भी हमारे सामने यही सवाल है, अत: हमें चाहिये कि हम सेवाओं को इस महान देश के विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रों का ठीक ठीक प्रतीक बनाएं ।

इस संबंध में मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की ओर निर्देश करना चाहता हूं । ठीक है कि आज अनुसूचित जातियां बहुत अधिक दावा करती हैं, परन्तु हमें स्मरण रहना चाहिये कि गए दिनों में हमने उनकी बहुत अधिक उपेक्षा की है तथा उनकी मांगों पर कभी सहानुभूति से

विचार नहीं किया गया। सरकार ने इन जातियों के लिए १२½ प्रतिशत सेवाओं के रक्षित रखने के आदेश दे रखे हैं परन्तु इन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। कारण कुछ भी हों, मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस सवाल पर विचार किया है, वे ऐसे उपाय सोचें जिससे इन जातियों को सेवाओं में अधिक भाग दिया जा सके तथा इनके लिये रक्षित स्थानों से उचित समय में भरा जा सके। इन जातियों की शिक्षा के लिए १७½ लाख रुपय का जो अनुदान रखा गया है, वह भी बहुत थोड़ा है। मुझे यह देख कर भी खेद होता है कि इन जातियों के विदेशों में शिक्षा पाने के लिये रखी गईं छात्रवृत्तियों को केवल इसलिए बन्द कर दिया गया है कि केवल एक वर्ष विशेष में उचित योग्यताओं के व्यक्ति नहीं मिल सके। जब बड़े बड़े सामाजिक प्रयोग किए जा रहे हैं तो हमें पिछड़े वर्गों की केवल धीरे धीरे उन्नति करने की आशा करनी चाहिये। हमें छात्रवृत्तियों को और भी बढ़ा देना चाहिये तथा इसे व्यर्थ का व्यय नहीं समझना चाहिये। आने वाले पांच वर्षों अथवा इस से कुछ अधिक समय में यह संभव हो सकता है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों को उच्च सेवाओं में लिया जा सके। मुझे आशा है कि सरकार हमारे प्रधान मंत्री की इन जातियों के संबंध में उच्च आदर्शवाद को सच्चे दिल से पूरा करेगी।

मुझे खेद है कि हाल में हमने बहुत सी पुरानी प्रथाओं का अतिक्रमण किया है। हम ने न्यायालयों की प्रतिष्ठा को कम करने की भी चेष्टा की है। क्या हमारे गृह-कार्य मंत्री इस संबंध में सरकार के पक्ष का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं?

तीन सप्ताह पहले एक आय-कर विधेयक के प्रस्तुत करते समय कहा गया कि उसकी आवश्यकता का कारण किसी अधीन न्यायालय का निर्णय है जिसे संशोधित करने के लिये उच्चतम न्यायालय को बहुत समय लग जायगा। अब यह बात ग़लत है। कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं जो सरकारी केस को सर्वप्रथम प्राथमिकता न दे। क्या आप को अधिकार है कि किसी न्यायालय के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आप पहले ही कोई विधान पारित कर दें? इस प्रकार से हमारे न्यायालय की प्रतिष्ठा नहीं बड़ सकेगी। अतः मेरा गृह मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जहां हमें वह शांति तथा व्यवस्था के बनाए रखने के लिए कहते हैं, वहां सरकार का भी उतना ही कर्त्तव्य है कि ऐसा वातावरण पैदा करे जिसमें कानून का सम्मान हो सके तथा उचित प्रथाओं के अनुसार चला जाय। एकपक्षीय सम्मान से काम नहीं चलेगा। जनता की सेवा का भार सरकार तथा जनता दोनों पर है।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम): श्रीमान्, मैं मुख्यतः श्री गोपालन के भाषण में कही गई बातों का उत्तर दूंगा। इससे पूर्व मैं श्री कृष्णस्वामी के इस कथन के बारे में कुछ कहूंगा कि निवारक निरोध अधिनियम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती जा रही है। मेरा अनुमान है कि श्री कृष्णस्वामी ने निवारक निरोध संशोधन अधिनयिम, १९५१ को नहीं पढ़ा है। पृष्ठ २४ पर लिखा है कि इस क़ानून को केवल विशेष प्रकार के इने गिने लोगों पर ही लागू किया जायगा। साथ ही इन मामलों के एक न्यायिक अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण के स्थान पर इन सब मामलों को एक मंत्रणा पर्षद् को अनिवार्य निर्दिष्ट किए जाने की व्यवस्था की गई है जिसे उन पर १० सप्ताह के अन्दर अन्दर रिपोर्ट करनी पड़ेगी।

श्री गोपालन ने सलेम की कुछ घटनाओं की चर्चा की है। उन्होंने संविधि पुस्तक, निवारक निरोध अधिनियम तथा पुलिस विभाग पर

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

किए जा रहे व्यय के बारे में भी कहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलात्कारों तथा अत्याचारों की एक सूची भी पेश की है। क्या मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि इसका मतलब यह नहीं कि इन सब कामों में गृह-कार्य मंत्रालय की स्वीकृति विद्यमान है। मैं भी उन्हें कई उदाहरण दे सकता हूं जिनमें पुलिस अधिकारियों पर मुकदमें चलाये गये हैं तथा उन्हें दंड दिये गए हैं।

इसके बाद मैं केन्द्रीय सलेम जेल के गोली कांड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस बारे में इसलिए बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूं क्योंकि मैं उस समय निकट ही एक मुकदमे की पैरवी कर रहा था। एकाएक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी। उस जेल में विभिन्न जिलों से लाए गए साम्यवादी बन्दियों को रखा गया था। अधिकारियों ने इतने साम्यवादी बन्दियों के एक स्थान पर रखकर अवश्य ही एक ग़लती की थी। उन्हें पता नहीं चला कि वे लोग जेल के अन्दर गुप्त रूप से क्या कर रहे थे। बन्दियों ने जेल के अधिकारियों को पीटने का पहले से कार्यक्रम बना रखा था उन्होने पहिले एक उप-जेलर को पीटा। बाद में बहुत कुछ कहने सुनने पर भी उन्होंन दूसरे अधिकारियों को पीटा। इस पर जेल अधिकारियों के लिए उन लोगों पर सिवाय गोली चलाने के और कोई चारा न रह गया। वास्तविक स्थिति यह थी।

मेरे दुर्भाग्य में यह आया था कि मैं सब से बड़े साम्यवादी का मुक़ाबला करूं। उन्होंने तथा श्री कृष्णस्वामी ने निवारक निरोध अधिनियम को कलंक का टीका बतलाया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में जिला कांग्रेस समिति के कार्यालय में बैठा था तो श्री गोपालन—तथा मेरा अनुमान है कि श्री नम्बियार भी उन के साथ थे—शहर में घूम घूम कर यह घोषणा कर रहे थे कि देश की सभी विपत्तियों का मूल कारण .....

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर): श्रीमान्, मैं वहां कभी नहीं गया (**अन्तर्बाधा**)

श्री एस० वी० रामस्वामी: श्री गोपालन ने वहां कहा था कि यदि उनका बस चले तो वह पंडित नेहरू का भेजा निकाल उनकी अस्थियों को गले में डाल बाज़ारों में प्रदर्शित करेंगे तथा उनका खून निचोड़ लेंगे (**अन्तर्बाधा**) मैं इसके सत्य को सिद्ध करता हूं।

श्री ए० के० गोपालन: आपको यह सिद्ध करना होगा। मैं ने कभी ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। श्रीमान्, मैं इस वक्तव्य से इन्कार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य इस वक्तव्य से इन्कार करते हैं। माननीय सदस्य अपने भाषण को जारी करें।

श्री एस० वी० रामस्वामी: श्रीमान्, इन सब बातों का उत्तर देना मेरे भाग्य में लिखा था। मुझे इसके लिए दिन रात सभाएं करनी पड़ीं तथा लोगों को बतलाना पड़ा कि जब तक आप मेरे जैसे श्रद्धालू कांग्रेसियों की लाशों पर से नहीं गुजरेंगे तथा खून की नदियों को पार नहीं करेंगे, तब तक आप हमारे नेता पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। क्या हमारे जैसे बड़े देश के प्रधान मंत्री पर किसी भी देश में ऐसा कहना संभव है?

श्री एस० के० गोपालन: निरी कल्पना!

श्री एम० वी० रामस्वामी: मैं २२ वर्ष से बैरिस्टर चला आ रहा हूं। मैं इसे पूर्णतः प्रमाणित करूंगा। हमें इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिये। जैसा कि आपने कहा, यदि स्थिति ऐसी ही रही तो एक नहीं, ऐसे हजारों निवारक निरोध अधिनियमों की आवश्यकता पड़ेगी।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : बहस में इतना जोश पैदा कर दिये जाने पर भी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि कम से कम एक विषय पर, जिस से हम सबका बहुत गहरा संबंध है, बहुत कुछ लाभदायक बातें कही गई हैं। यह विषय अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों का है। सदन के सब दलों के इस पर काफ़ी भाषण हुए हैं तथा मैंने उन सब भाषणों को बहुत लाभदायक तथा शिक्षा-प्रद पाया है। मैं प्रारम्भ में ही कह देना चाहता हूं कि मैं इस समस्या पर स्वयं इन जातियों के दृष्टिकोण से ही नहीं देखता हूं। यह प्रत्येक भारतीय के लिये एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण विषय है। वे हमारे नागरिक हैं, बन्धु हैं तथा हमारे देशवासी हैं तथा उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। बतलाया जाता है कि हमारे देश की आदिम जातियों के नर-नारियों की संख्या कोई २½ करोड़ है। अनुसूचित जातियों की संख्या इससे बहुत अधिक है। बहुत संक्षेप से कहते हुए मैं यह भी नहीं चाहता कि हम उनकी संस्था को बढ़ाएं अथवा उनके उद्धार के लिए बड़ेपन की भाषा का प्रयोग भी करें। व्यक्तिगत रूप से मुझे तो चिंता यह है, तथा मैं समझता हूं कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य भी इसके लिए चिंतित है कि उन लोगों के अन्दर ऐसी भावना पैदा हो जिससे वे सब भारत को अपना देश समझें, इसमें रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर, इसके लिए लड़ने में अपना गौरव समझें तथा इसकी उन्नति के लिए काम करना अभिमान का कारण। यह किसी श्रेणी विशेष का ही देश नहीं है ; यह वह देश है जिसे पतित ग़रीब से ग़रीब तथा निर्धन से निर्धन लोग अपना देश समझ सकते हैं। उन्हें इस देश निवासी होने म गौरव होना चाहिये, स्नेह होना चाहिये तथा जैसा कि संविधान में कहा गया है, उन्हें स्वयं को इस देश के बड़े से बड़े आदमी के बराबर अनुभव करना चाहिये। बड़ी विनम्रता से मैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से मैं यहां आया हूं—न केवल यहां आने पर बल्कि गत ३० वर्षों से जब कि मेरे देश के लाखों करोड़ों देशवासियों ने गांधी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में काम करना आरम्भ किया था—मैंने इस समस्या पर इसी दृष्टिकोण से विचार किया है। अतः हमें इस दिशा में जो कुछ भी हो सकता हो, करना चाहिये। संविधान में कुछ प्रत्याभूतियां दी गई हैं, कुछ रक्षण रखे गए हैं तथा एक कालावधि निश्चित की गई है। अभी इन सब के विस्तार में जाना उचित समय से बहुत पहले की बात होगी। आप उस समय को आने दें तथा तब यदि आवश्यकता हुई और अग्रेतर कार्यवाही का करना आवश्यक हुआ तो मुझे तनिक संदेह नहीं कि उस समय के सदन के सदस्यगण इस पर अवश्य विचार करेंगे।

जहां तक सरकार की आदिम जातियों के लोगों में रुचि का संबंध है, आप हाल में किए गए सम्मेलन की निश्चित सफलता से इसका प्रमाण समझ सकते हैं। उस सम्मेलन में प्रधान मंत्री के भाषण से मुझे उद्धरणों को सुनकर प्रसन्नता हुई। मैं इस बारे में सदन के प्रत्येक सदस्य से सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, लोगों में जाकर किसी बड़प्पन की भावना से काम करना अत्यन्त अनुचित है। वे सब योग्य व्यक्ति हैं तथा हमें उन में जाकर समता का व्यवहार करना चाहिये। हमें उनसे प्रथाओं के अनुसार ही नहीं, अपितु सचमुच ही हार्दिक प्रेम का वर्ताव रखना चाहिये।

सरकारी स्तर पर बहुत सी बातें संविधान की आवश्यकताओं के अनुसार कर दी गई हैं। मणिपुर के मेरे मित्र ने कहा है—उन्होंने इन भावनाओं को सम्मेलन में भी व्यक्त किया

[डा० काटजू]

था—कि उन लोगों की आवश्यकताएं संचरण के साधन, भमि, शिक्षा तथा चिकित्सा संबधी सहायता है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इन सब बातों पर अच्छी प्रकार से विचार करेगी। जैसा कि सदन को विदित है कि केन्द्रीय सरकार ने आदिम-जातियों के उद्धार के लिए १ करोड़ ८० लाख रुपये के अनुदान को स्वीकार किया है। इस अनुदान को विभिन्न राज्यों में निश्चित योजनाओं के लिए बांटा गया है। इसके अतिरिक्त एक बात छात्रवृत्तियों के बारे में भी कही गई है। उस मामले पर मेरे सहकारी शिक्षा मंत्री महोदय ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। यहां पर छात्रवृत्तियां केवल उच्च शिक्षा के लिए दी जाती हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि यदि अधिक धन की आवश्यकता पड़ी तो उस पर सहानुभूति से विचार किया जायगा। ये सब कुछ उपलब्ध धन पर निर्भर करता है। परन्तु सहानुभूति का कोई अभाव नहीं है। इसके भी अतिरिक्त सेवाओं में स्थानों के रक्षित रखने के बारे में कुछ कहा गया है। मैं बहुत सी व्यक्त की गई बातों से सहानुभूति रखता हूं। हम इस संबध में भरसक प्रयत्न भी कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण इस से सहमत होंगे कि संविधान के उपबन्धों के अनुसार हम कुछ निश्चित सीमा तक तो काम कर सकते हैं, परन्तु हम बहुत ही निचल सतह तक ही नहीं रह सकते क्योंकि संविधान के अनुसार हमें हर काम क्षमता-पूर्ण करना होगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं। उसमें आयु की सीमा निश्चित की गई है। मेरा विश्वास है कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को पहले ही तीन वर्ष की छूट दी गई है। हमने इस बात पर अग्रेतर विचार किया है तथा अघोषित कर्मचारियों के बारे में इस छूट को तीन से पांच वर्ष किया जा रहा है। हमने इस पर भी सोचा कि क्या इतनी छूट घोषित अधिकरियों को दी जा सकती है परन्तु ऊंचे अधिकारियों के विषय में और भी बहुत सी बातों को सोचना पड़ता है। हमें इस सोच विचार से पता चला कि समस्या का हल केवल आयु में छूट देने से नहीं होगा, यह हल तो और उपायों से होगा। सदन यह अनुभव करेगा कि यह मामला संघ लोक-सेवा आयोग तथा विभिन्न राज्यों के सेवा आयोग से ही संबंध रखता है। यहां पर यह ठीक ही कहा गया है कि हमारी दृष्टिकोण सहानुभूति का होना चाहिये। मुझे तनिक सन्देह नहीं कि सभी नियुक्तियों के करने वाले अधिकारी इन बातों को विचार में रखते हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हमें इस बात पर निरन्तर ध्यान देना चाहिये कि हमारे कर्मचारियों को उस वातावरण का लाभ प्राप्त नहीं है जिसमें अधिक भाग्यशाली लोग जन्म लेते हैं तथा पलते हैं। इसके लिए हमें उचित सीमा तक रियायत देनी चाहिये। मुझे इस बात का ज़रा भी भय नहीं है कि नियुक्त करनेवाले अधिकारी इसे विचार में नहीं रखेंगे, परन्तु जहां तक मैं इसे कह सकता हूं कि यदि इस संबंध में कोई कमी रह जाय तो उसे ठीक कर दिया जाय। जहां तक उच्च नियुक्तियों का संबंध है कि इन आदिम जातियों तक तथा अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों से संबंध रखने वाले योग्य व्यक्तियों को समुचित भाग मिले।

मेरे माननीय मित्र श्री एन्थनी ने आंग्ल-भारतीय समुदाय के बारे में कुछ प्रश्न उठाये हैं। मैं ने उनके भाषणमें कोई अन्तर्बाधा नहीं की है यद्यपि यह स्पष्ट है कि वह एक ऐसे विषय के बारे में कह रहे थे जिससे इस सदन मे हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कुछेक राज्य सरकारों की ओर निर्देश किया है। सचमुच यह बहुत उचित नहीं था क्योंकि यहांपर राज्य सरकारें अपने बचाव में कुछ

नहीं कह सकती हैं। उन्होंने स्कूलों के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं। संविधान में भी इस बारे में कहा गया है। मैं ने बंगाल, कलकत्ता, दारजिलिंग, कलिमपांग तथा अन्यत्र इन स्थानों को देखा है। उन्हें अधिकार है कि वे अपनी संस्थाओं को जिस प्रकार चाहें, चलाएं। परन्तु उन्हें अपने मन को एक बार दृढ़ कर लेना चाहिये अर्थात् कि वे भारतीय नागरिक हैं। भारत उनकी अपनी भूमि है तथा उन्हें भाषा और वातावरण के विषय में परिवर्तित स्थिति के अनुसार चलना चाहिये। मैं इस में अधिक विस्तार से नहीं जाना चाहता। मुझे आशा है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं श्री एन्थनी उसके वास्तविक महत्व को अनुभव करेंगे। जहां तक भाषा के सवाल का संबंध है, सचमुच मुझे उनके वास्तविक अभिप्राय को समझने में कठिनाई है। उन्होंने डाक तथा तार विभाग की ओर निर्देश किया है। सब से आसान तरीका यह है कि आप इस विषय पर एक प्रश्न पूछें तथा उसे अपने तर्क का आधार बनाएं। उनका कहना है कि "हमें हमारा उचित भाग नहीं मिल रहा है"। ये सब बातें सुनी जा रही हैं। जहां तक मेरी एक विशेष वातावरण में काम करने से बन गई आपत का संबंध है सामान्य प्रकार के वक्तव्य से मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ है।

इसके बाद अजमेर से आये मेरे मित्र मुकुट बिहारीलाल भार्गव ने दो बातों की ओर संकेत किया है; एक तो सामान्य सी बात है परन्तु दूसरी का कुछ महत्व है जो 'सर्किट' न्यायालय के संबंध में है। यह ऐसा विषय है जिस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है तथा ठीक ही पंजाब में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों में तथा यहां के लोगों में इस बारे में बहुत मतभेद है। मैं यह बिना हिचकिचाहट के कह देना चाहता हूं कि पंजाब उच्च न्यायालय ने दिल्ली में काफी प्रशासी व्यवस्थापन की कार्यवाही कर दी है जिस से दिल्ली की मुकदमे करने वाली जनता को इसके लिए शिमला न जाना पड़े। इससे यह आपत्ति कि इन लोगों को एक वकील यहां करना पड़ता है तथा एक शिमला में, दूर हो जायगी।

दूसरी बात अजमेर के बारे में कही गई है। इस में केवल वकीलों को ही रुचि हो सकती है। उन्हों ने बतलाया है कि न्यायिक आयुक्त १०,००० रुपये तक की अपीलों को सुन सकते हैं तथा गये दिनों में इस से अग्रेतर अपील भी हो सकती थी—क्योंकि यह एक काफी बड़ी ईश्वरीय देन है; स्वयं मेरा मत यह नहीं है—उस समय लन्दन तक तथा अब यहां के उच्चतम न्यायालय तक। उन्होंने कहा है कि अब इस सीमा को बढ़ा कर २०,००० रुपये तक कर दिया गया है। जब उन्हों ने यह टिप्पणी की थी तो मुझे यह विचार आया कि इस का संक्षेप में उत्तर यह हो सकता है कि जो सम्पत्ति इस समय १०,००० रु० के मूल्य की है, आज से बीस वर्ष पहले वह केवल ४,००० रु० के मूल्य की थी तथा जिस सम्पत्ति का मूल्य इस समय २०,००० रुपये है उन दिनों में उस का मूल्य ६,००० या ७,००० रुपये था। अतः वास्तव में आर्थिक क्षेत्राधिकार को किसी प्रकार से संकुचित नहीं किया गया।

बहस में ये मूलभूत बातें उठाई गई थीं। मेरे माननीय मित्र श्री गोपालन ने जिन की जनता के निचले वर्गों, चपरासियों, कांस्टेबलों तथा इस प्रकार के वर्गों के प्रति सहानुभूति को हम समझ सकते हैं, कहा है "आप इन लोगों की अवस्था देखिये तथा ऊंचे अधिकारियों की अवस्था पर दृष्टिपात कीजिये।" उन्हों ने एक बहुत सीधी तथा सादी तरकीब भी बतलाई है; बड़े बड़े वेतनों में कटौती का कर देना, थोड़े वेतनों का बढ़ाना जिस से आप इस समस्या को हल कर सकेंगे। नितान्त

[डा० काटजू]

रूप से ! मेरी इच्छा है कि वह आ कर पैंसिल हाथ में लें तथा एक कागज़ लेकर आंकड़े निकालें। तब उन को पता चल जायगा। मैं किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक वेतन दिये जाने के पक्ष में नहीं हूं। परन्तु जिस तरीके से यह बात कही जाती है उस का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कहने के लिये वह मुझे क्षमा करेंगे, परन्तु इस से किसी को भी पथ-भ्रष्ट किया जा सकता है। मैं वेतन बढ़ाने के पूर्णतः पक्ष में हूं जिस से कि हर एक को रहने तथा निर्वाह करने की मजूरी मिल सके। परन्तु यदि आप ऐसा करेंगे तो वित्त मंत्री चाहे कोई भी हो उसे काफी दुविधा का सामना होगा।

जब आप यहां के वेतनों की समस्या को लेंगे, एक श्रेणी ऐसी है जिस की ओर आप ने निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया है—वह है दिल्ली के आरक्षी दल (पुलिस) के वेतन। मेरे पास यहां आंकड़े विद्यमान हैं मुझे विभिन्न राज्यों की पुलिस के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है। परन्तु दिल्ली के एक मामूली पुलिस कांस्टेबिल को (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा इधर उधर का सब खर्च डाल कर ९२ रु० प्रति मास दिया जाता है तथा वर्ष में २८ रु० वस्त्र भत्ता दिया जाता है। अब मैं यदि आप से प्रश्न करूं तो आप कह सकते हैं कि उसे २०० रुपये दिये जाने चाहियें। आप को ऐसा मत रखने का अधिकार है, परन्तु जिस स्थिति में हम रह रहे हैं उस में भारत में एक कांस्टेबिल के लिए ९२ रु० काफी अच्छी रकम है। हैड कांस्टेबिल को इस से बहुत अधिक मिलता है। मैं चाहता यह हूं कि भारत के सभी व्यक्तियों को निर्वाह वेतन मिले। बहुत सा आन्दोलन केवल लोगों को बहकाने के लिये किया जाता है तथा उन्हें ठीक पथ से ले जा कर उन के इस समय के थोड़े बहुत सुख को दुःख में परिवर्तित करने के लिये किया जाता है। आप को काम को पूरे का पूरा करना होगा। इस में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों, पुलिस कांस्टेबिलों, सैनिकों, चपरासियों, तथा अर्दलियों, नहर विभाग के कर्मचारियों तथा भू-कर्मचारियों, डाक तथा तार घर के प्रत्येक कर्मचारी, रेलवे विभाग के हर कर्मचारी तथा इस प्रकार से समस्त लोगों को इस में सम्मिलित करना होगा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस की हमें एक पद्धतिबद्ध तरीके से जांच करनी होगी। इस का किसी कल्पित ढंग से हल नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से मेरे माननीय मित्र श्री गोपालन ने इसे किया है। मेरा निवेदन है कि चार घंटे की बहस के दौरान में इन सारहीन बातों को भी उठाया गया है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि मेरा मंत्रालय एक बहुत बांका मंत्रालय है तथा मेरे लिये उन्हों ने 'अन्तर्देशीय मंत्री' तथा सदन में 'नवागन्तुक' के शब्द प्रयोग किये हैं। मेरा तो उन्हों ने बिस्तर ही उठा दिया था—तथा परमात्मा ही जानता है कि आगे क्या आने वाला है—परन्तु परिणाम यह है कि मेरे मंत्रालय को तो केवल अनुसूचित आदिम जातियों तथा उन के इलाकों के बारे में कार्यवाही ही करना है तथा और कुछ नहीं तथा दूसरी बात मेरे माननीय मित्र की वक्तृता है। मैं इन सब बातों में विस्तार से नहीं जाना चाहता। क्योंकि इस के लिये दूसरा अवसर तथा समय आयगा जब मैं इस सम्बन्ध में काफ़ी कह सकूंगा। मैं इस बारे में आप को अपना दृष्टिकोण बतलाना चाहता हूं। अपने भाषण में प्रत्येक मिनट अपने व्यक्तित्व का वर्णन करना एक बहुत अनुचित सी बात है। मैं ने अपना सारा जीवन न्यायालयों में व्यतीत किया है। मैं उत्तर प्रदेश का न्याय मंत्री भी रह चुका हूं।

ये सब बातें तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, भाषण की स्वतंत्रता तथा संविधान में प्रत्याभूत सभी बातों की चर्चा के इस पुनीत अधिकार के बारे में ये सब दृष्टिकोण मेरे लिये बहुत रुचिकारक हैं। मैं ने इन महानुभावों की न्यायालयों में कई बार पैरवी की है—तथा कई बार यह सोचा गया कि वे इस के पात्र नहीं हैं, परन्तु कई बार वे छूट गये तथा कई बार असफलता ही हुई और मैं ने हर एक की पैरवी की है। परन्तु कृपया याद रखिये कि जब हमारे कई कार्यों की ओर निर्देश करते हैं अथवा कई उन कार्यों की ओर निर्देश करते हैं जिन से लोग विदेशी सत्ता के दिनों में भली प्रकार से परिचित हो गये थे तो आप को बदली हुई स्थिति के कई पहलुओं को भी विचार में रखना चाहिये। श्री गोपालन ने कहा है कि वह 'शान्ति तथा व्यवस्था' के शब्दों को पसन्द नहीं करते क्योंकि इस से उन्हें पुराने दिनों की याद ताज़ा हो जाती है। मैं उन्हे प्रयोग में नहीं लाऊंगा।

श्री ए० के० गोपालन : प्रधान मंत्री ने भी इन का प्रयोग किया है।

डा० काटजू : मैं केवल शान्ति तथा अमन चैन के बनाये रखने के शब्दों का ही प्रयोग करूंगा। मैं 'व्यवस्था' अथवा कानून के शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्यों कि इसे 'अव्यवस्था' समझा जाता है। दूसरी बड़ी शर्त यह है—प्रत्येक व्यक्ति प्रजातन्त्र की बात कहता है। मेरे माननीय मंत्री ने इस की यहां चर्चा की है तथा जब बहस आरम्भ हुई थी तो कुछ महानुभावों ने कहा था। इस प्रजातन्त्र का बध किया जा सकता है। किसी स्वतंत्र देश में किसी लोकतन्त्र तथा संसदीय प्रथाओं के काम करने से पहले आवश्यक शर्त यह है कि मैं—किसी विदेशी सत्ता के अधीन देश की बात नहीं कह रहा, वहां पर और किस्म की विचारनीय बातें होतीं हैं कानून का आदर अवश्य होना चाहिये तथा जो भी आदेश जारी किया जाये उस का पालन होना चाहिये। हो सकता है कि आप किसी आदेश को बिल्कुल पसन्द न करते हों। यह धारा १४४ के अन्तर्गत आदेश हो सकता है तथा पूर्णतः अनुचित हो सकता है। हो सकता है कि यह किसी सभा विशेष पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में हो अथवा किसी और बात के सम्बन्ध में, परन्तु यदि इसे किसी संविधान के अन्तर्गत प्राधिकार द्वारा जारी किया गया हो तो इस का पालन अवश्य होना चाहिये। श्री गोपालन ने कहा है : ओह आप लोगों को युद्ध कराने के लिये उकसाते हैं। जभी आप लड़ना आरम्भ कर देते हैं तो मैं पूछता हूं कि आखिर इस विधिवत् प्राधिकार के विरुद्ध आप की इस लड़ाई का अर्थ क्या है? इस का निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। इस का सामना अवश्य होना चाहिये। मैं यहां पर उत्तेजना पैदा नहीं करना चाहता। मैं अभी कलकत्ता से आ रहा हूं। मैं ने वहां पर बहुत कुछ सुना तथा देखा है। हो सकता है कि जिन बातों की ओर श्री गोपालन ने निर्देश किया है वह ग़लत हों या ठीक हों। जब मैं ने कलकत्ता में किसी व्यक्ति के नौजवान पुत्र को गोली से उड़ा दिये जाने की बात सुनी तो मेरा मन उतना ही करुणा से भर गया जितना कि श्री गोपालन का आंध्र देश की यात्रा के अवसर पर भरा था। मैं यह नहीं कहता कि आप ने ऐसा किया है। कर्मगार हमारी सहानुभूति के पात्र हैं। चार व्यक्तियों को जिन में कार्यपालक, व्यवस्थापक तथा अधिकारियों को वस्तुतः पकड़ा गया तथा जैसप कारखाने के बायलर में फेंक दिया गया। तनिक विचार कीजिये : बायलर में। मैं नहीं कह सकता कि यह जान कर आप के मन की अवस्था क्या हो; मेरा मन अवश्य थोड़ा सा पिघला था यह एक तथ्य है। मैं यह नहीं कहता कि आप दोषी हैं। मैं आपको तनक भी दोष नहीं देता हूं। मैं मूल प्रश्न की ओर आता हूं। यदि

[डा० काटजू]

हम प्रजातन्त्र की बात को लें, यदि हम बिना मुकदमा चलाये, बिना नज़रबन्दी के खतरों के सवाल को लें तथा अन्त में प्रत्येक व्यक्ति के अपना बचाव करने के अधिकार को लें तो इस से पहिले यह एक आवश्यक शर्त है कि कानून का पालन किया जाय। यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं तथा कहते है "मैं तो छुप जाता हूं मैं अपना पता भी छोड़ कर नहीं जाऊंगा तथा बियाना दौड़ जाऊंगा।" तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कर सकें। परन्तु फिर आप को प्रजातन्त्र सम्बन्धी बात नहीं कहनी चाहिये। आप इस शर्त को पूरा करें।

मैं निवारक निरोध अधिनियम के बारे में नहीं पड़ना चाहता। जैसा कि राष्ट्रपति ने अपन उद्घाटन अभिभाषण में कहा है, सम्भवतः निवारक निरोध विधेयक सदन के सामने रखा जायेगा। पिछले सत्र में हम इसे समाप्त हो जाने वाली संसद् में पारित कर सकते थे। परन्तु हम ने सोचा कि यदि नई संसद् इसे आपके सामने रखे तथा तब विचार किया जाय तो यह अधिक उचित होगा तथा इस से नई निर्वाचित संसद् का सम्मान तथा गरिमा बढ़ेगी। परन्तु एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं वह यह कि जो तमाशा हम इस पूरे सदन में देख रहे हैं वह आप सारे संसद् में अन्यत्र कहीं नहीं देखेंगे। हम सब लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं। हम तानाशाही मनोवृत्ति की बड़े चाव से चर्चा करते रहते हैं तथा कांग्रेस को लोगों की स्वतंत्रता कुचलने के लिये दोष देते रहते हैं। परन्तु यदि उन्हों ने इस की तनिक भी कोशिश की होती तो आप आज यहां नहीं होते तथा जो भाषण आप अब दे रहे हैं, वे कभी नहीं दिये जा सकते।

एक माननीय सदस्य : फिर क्या होता ?

डा० एस पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : तो क्या आप यहां सदा ही रह जाते ?

एक माननीय सदस्य : कभी नहीं।

डा० काटजू : जब कभी डा० मुखर्जी सी उड़ाते हैं तो मुझे कुछ आश्चर्य सा होता है क्योंकि मैं ने उन्हें सदैव एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति समझा है। सच ही मैं इस पक्ष के बहुत से लोगों के लिये शायद ऐसा न कह सकूं। परन्तु अपने सामने बैठे हुए लोगों को मैं ने सदैव बहुत बुद्धिमान, तर्कयुक्त तथा सामान्य बुद्धिमत्ता के व्यक्ति समझा है।

श्री ए० के० गोपालन : जब माननीय मंत्री युक्तियुक्त तथा युक्तिरहित व्यक्तियों की ओर निर्देश करते हैं तो इस से यहां क्या अन्तर पड़ता है ?

६ म० प०

डा० काटजू : इस से केवल लोकहित की सचाई सिद्ध होती है कि हर व्यक्ति को अपनी संगत के बारे में सावधान रहना चाहिये। यदि डा० मुखर्जी चाहें तो मैं....

डा० एस० पी० मुखर्जी : आप अपनी वर्तमान संगति के बारे में सावधान रहिये।

डा० काटजू : मैं ने अपने जीवन के ४० वर्ष बहुत अविवेकपूर्ण संगति में बिताए हैं। अतः मुझे कोई डर नहीं है।

मेरा समय समाप्त हो चुका है तथा जैसा कि मैं ने कहा है, मैं ने सदस्यों के भाषणों के नोट लिखे थे। मैं निवारक निरोध विधयक के बारे में इतने भी शब्द नहीं कहना चाहता था परन्तु उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अपने मित्र के भाषण से मुझे कुछ उत्तेजना सी हुई तथा उन्हों ने एक विशेष बात की चर्चा की है। उन्हों ने मुझ से एक वकील की हैसियत से इस आय-कर के बारे में अपील की है। मैं इस के सम्बन्ध में उत्तर प्रत्योत्तर

में नहीं पड़ना चाहता । यह विषय माननीय वित्त मंत्री से सम्बन्ध रखता है परन्तु एक वकील होने से मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे यह कोई सामान्य न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो अथवा अधीनस्थ क्षेत्राधिकार का न्यायालय हो उस का काम क्या है ? यह न्यायालय कानून का निर्वाचन करने की कोशिश करते हैं । अब कानून के निर्वाचन का अर्थ यह है कि संविधि की भाषा से संसद् के ठीक ठीक विचारों का पता लगाना । मूलभूत समस्या यही है । अब इस प्रश्न के बारे में कि संसद् का क्या इरादा था, आप ने कई कई दिनों बल्कि महीनों तक लम्बी चौड़ी दलीलों को सुना है । लोक हित में यह अधिक वांछनीय है कि जब संसद् का सत्र हो रहा हो तो स्वयं उसे ही कहा जाये तथा प्रश्न की चर्चा करके इतने वकीलों तथा योग्य न्यायाधीशों को कष्ट न दिया जाये। यदि संसद् को अपनी धारणा बहुत स्पष्ट हो तो वह ऐसा कह देती है । आप के न्यायाधीशों को बहुत ही काम करना पड़ता है । प्रत्येक न्यायालय में बहुत सा काम पड़ा है । ऐसा न्यायालय के अधिकारों का संकुचन करना नहीं है । मैं समझता हूं कि जिस प्रकार आप ने इस का वर्णन किया है, उच्चतम न्यायालय इसे उस रूप में स्वीकार नहीं करेगा ।

उच्चतम न्यायालय आप से कहेगा कि हम संसद् के बहुत कृतज्ञ हैं क्योंकि पूर्व इस के कि इस मामले को लें हमारे इस भार को दूर कर दिया गया है कि हम संसद् के वास्तविक विचार का निश्चित रूप से पता लगायें । संविधि के शब्दों से संसद् के वास्तविक विचार का पता लगाना कोई आसान बात नहीं तथा यदि संसद् दखल दे तथा कहे कि वास्तव में कानून यह है तो आप इसे समाप्त समझिये । यह मामला वहीं खत्म हो जाता है । अतः मैं समझता हूं कि इन सब युक्तियों में कोई विशेष बात नहीं थी ।

अब मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमें भी वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा भाषण की स्वतंत्रता उतनी ही प्रिय है जितनी कि किसी और को । प्रेस आयोग के बारे में भी कुछ कहा गया था । उक्त आयोग के निर्देश के पदों पर विचार किया जा रहा है । हम चाहते हैं कि ये निर्देश के पद यथासम्भव विस्तृत हों तथा हम चाहते हैं कि यह आयोग प्रेस से सम्बन्ध सभी हितों का प्रतिनिधि हो । मुझे यह भी आशा है कि अगले महीने के अन्दर अन्दर हम एक पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग के बनाने की घोषणा कर सकेंगे । परन्तु जैसा कि मैं ने कहा है, यह बात हम सब को बहुत प्रिय है, परन्तु सरकार को भाषण की स्वतंत्रता के संकुचित करने के बारे में निन्दित करने से पहले यह अच्छा होगा कि विरोधी दल के माननीय सदस्य समाचार पत्रों में प्रकाशित बातों को पढ़ें । मैं आप को सच्चे दिल से बताना चाहता हूं कि कभी कभी मुझे स्वयं अपनी नरमी पर बहुत आश्चर्य होता है । जो कुछ मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, वह बिल्कुल झूठ, उत्तेजनाजनक, ईर्ष्यापूर्ण तथा शान्ति और सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने की बातें होती हैं । मैं किसी सभा विशेष की ओर संकेत नहीं करना चाहता अथवा न ही किसी गुट या दल की ओर संकेत है । आप अपना प्रचार जरूर करते रहिये । हमारा विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्बन्ध है । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राजनैतिक विचार धारा को जनता के सामने रखने का अधिकार है । वह जनता के सामने अपने राजनैतिक सिद्धान्त तथा उपाय पेश कर सकता है । परन्तु हम में से हर एक को एक भारतीय के नाते यह स्मरण रहे—मैं खाली सिद्धान्तों की बातें ही नहीं कह रहा— कि समय बहुत कठिन जा रहा है । आज प्रातः ही की बात है कि श्री गोपालन ने एक स्थगन

[डा० काटजू]

प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्हों ने कहा है कि "तीसरा विश्वयुद्ध आ रहा है, सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?" यह समय बहुत कठिन है, गम्भीर है। मैं कठिन के शब्द को वापिस लेता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि संसार की स्थिति को सामने रखते हुए यह काफी गम्भीर है। तो एक भारतीय का इस समय क्या कर्त्तव्य है चाहे वह कांग्रेसी हो अथवा किसी और राजनैतिक दल का सदस्य ? क्या यदि वह इस देश में सार्वजनिक शान्ति तथा व्यवस्था को भंग करने का कोई प्रयास करे, तो हम उस के ऐसे किसी कार्य को देशभक्ति का काम समझेंगे ? क्या यदि वह जनता को उत्तेजित करने का—चाहे यह साम्प्रदायकता के नाम पर अथवा किसी और आधार पर—या किसी श्रेणी विशेष को दूसरी श्रेणी के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा करे तो इसे आप देश भक्ति का काम समझेंगे ? क्या, यदि वह यह सब काम करे तो इन्हें देश-भक्ति के काम समझा जायेगा ? मैं ये सब कुछ इतनी बात पर छोड़ता हूं।

मैं एक बार फिर सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्हों ने अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों तथा उन की विभिन्न समस्याओं के बारे में भाषण दिये हैं। मैं ने उन से बहुत लाभ उठाया है तथा अवश्य ही मेरी ऐसी आशा है कि आदिम जातियों के बारे में जो सम्मेलन किया गया था उस के तथा इस बहस से ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे जो काफी लाभकारी और रचनात्मक सिद्ध होंगे तथा जिन से इन जातियों को बहुत लाभ पहुंचेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य किसी कटौती प्रस्ताव को पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने के पक्ष में न हों तो मैं समस्त कटौती प्रस्तावों को एक साथ सदन में प्रस्तुत करूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य : हम चाहते हैं कि कटौती प्रस्ताव ७०७ को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि ।

" 'गृह कार्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सदन में मत विभाजन हुआ :
पक्ष में ६८ : विपक्ष में २२७ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष सभी कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेशपत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या ५४, ५६, ५७ ५८, ५९, ६०, तथा १२० के निमित्त जो व्यय होगा उस की पूर्ति के लिये उक्त आदेश पत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन द्वारा यह मांगें स्वीकृत की गईं :

मांग संख्या ५४—गृह कार्य मंत्रालय—७४,६३ ००० रुपये ।

मांग संख्या ५६—दिल्ली, ८४,८४,००० रुपये ।

मांग संख्या ५७—पुलिस, ४६,४०,००० रुपये ।

मांग संख्या ५८—जनगणना, १२,४६,००० रुपये ।

मांग संख्या ५९—गृह कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय–६,०१,००० रुपये।

मांग संख्या ६०—अंडमान तथा नकोबार द्वीप—१,०५,३९,००० रुपये ।

मांग संख्या १२०—गृह कार्य मंत्रालय पर पूंजी व्यय—१५,९०,००० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : 'मंत्रिमंडल' सम्बन्धी मांग के अतिरिक्त गृह कार्य मंत्रालय की सभी मांगें स्वीकृत हो गई हैं ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार २६ जून, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।